



**National Centre for Biological Sciences  
Tata Institute of Fundamental Research  
GKVK CAMPUS, BELLARY ROAD, BANGALORE - 560065.**

**एनसीबीएस परिसर, जीकेवीके बैंगलोर में 750 केवीए डीजी की स्थापना के लिए सिविल कार्य।**

**Civil works for installation of 750 KVA DG at NCBS campus, GKVK Bangalore**

**निविदा सूचना संख्या/TENDER NOTICE NO:  
NCBS/Maint(Civil)/671/NIT-216/2025 Dt. 01/12/2025**

**TENDER DOCUMENT**

**SCIENTIFIC ENGINEERING AND MAINTENANCE-2025**



नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज  
(टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च)  
जीकेवीके परिसर, बेल्लारी रोड, बैंगलोर - 560065।

**कार्य का नाम:** एनसीबीएस परिसर, जीकेवीके बैंगलोर में 750 केवीए डीजी की स्थापना के लिए सिविल कार्य।

मद	पृष्ठ सं	टिप्पणियां
निविदा आमंत्रित करने की सूचना	04-31	खंड 'I'
वाणिज्यिक और अतिरिक्त शर्तें	32-37	खंड 'II'
संविदा का दायरा	38-49	-
कार्य क्षेत्र	50-55	खंड 'III'
अनुबंध के सामान्य नियम और शर्तें	56-67	खंड 'IV'
विचलन की अनुसूची	68-71	खंड 'V'
परफॉर्मा शेड्यूल	72-81	खंड 'VI'
संविदा के खंड	82-177	-
तकनीकी विनिर्देश	178-179	-

**National Centre for Biological Sciences  
Tata institute of fundamental Research  
GKVK CAMPUS, BELLARY ROAD, BANGALORE - 560065.**

**Name of the work: - Civil works for installation of 750 KVA DG at NCBS campus, GKVK  
Bangalore**

<b>Item</b>	<b>Page No</b>	<b>Remarks</b>
Notice Inviting Tender	04-31	Section 'I'
Commercial and Additional Conditions	32-37	Section 'II'
Scope of Contract	38-49	-
Scope of Work	50-55	Section 'III'
General terms & conditions of Contract	56-67	Section 'IV'
Schedule of deviations	68-71	Section 'V'
Performa Schedule	72-81	Section 'VI'
Clauses of Contract	82-177	-
Technical Specification	178-179	-

	<p><b>NATIONAL CENTRE FOR BIOLOGICAL SCIENCE (TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH) GKVK Campus, Bellary Road, Bangalore-560065 Phone: 2366359/ 23666354 – Fax: 23636662</b></p>
---	--

### ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

**निविदा सूचना संख्या: NCBS/Maint(Civil)/671/NIT-216/2025 Dt. 01/12/2025**

#### I. एनआईटी विवरण:

1. दो भागों में ऑन लाइन आइटम दर निविदा अर्थात भाग ए - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग बी - केंद्र निदेशक एनसीबीएस, बैंगलोर-560065 की ओर से प्रमुख-एसई एंड एम एनसीबी द्वारा ई-निविदा मोड के माध्यम से पात्र ठेकेदारों से अनुमोदित सूची में निम्नलिखित कार्य के लिए आमंत्रित किया जाता है। सीपीडीब्ल्यूडी, एमई, रेलवे, राज्य पीडीब्ल्यूडी, केंद्र या राज्य सरकारों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या एनसीबी में इस तरह के परिमाण के समान कार्यों को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त अनुभव और क्षमता रखने वाले।

i)	कार्य का नाम:	:	<b>एनसीबीएस परिसर, जीकेवीके बैंगलोर में 750 केवीए डीजी की स्थापना के लिए सिविल कार्य।</b>
ii)	अनुमानित लागत:	:	<b>₹. 5,90,499.00/-</b>
iii)	बयाना राशि:	:	<b>₹ 11,810.00/-/-</b>
<b>टिप्पणि: केंद्र निदेशक एनसीबीएस बैंगलोर के पक्ष में जारी किए गए मूल में बयाना राशि अधिमानतः सावधि जमा रसीद के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / अनुसूचित बैंक के पे ऑर्डर के रूप में जमा की जानी है।</b>			
iv)	निविदा दस्तावेज की लागत:	:	<b>शून्य</b>
v)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क:	:	<b>शून्य</b>
vi)	पूरा होने की अवधि:	:	कैलेंडर 2 (दो महीना) मानसून अवधि सहित।
vii)	डाउनलोड करने के लिए निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता की तारीख:	:	<b>02.12.2025 (10.00 बजे) से 10.12.2025 (15:00 बजे) तक</b> डाउनलोड करने के लिए - कृपया सीपीपीपी वेबसाइट <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> पर जाएँ। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट <a href="http://www.ncbs.res.in">www.ncbs.res.in</a> पर भी उपलब्ध है।
viii)	बोली पूर्व स्पष्टीकरण की तिथि:	:	<b>11.12.2025 (11:00 बजे)</b>

	<p><b>NATIONAL CENTRE FOR BIOLOGICAL SCIENCE (TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH)</b>  <b>GKVK Campus, Bellary Road, Bangalore-560065</b>  <b>Phone: 2366359/ 23666354 – Fax: 23636662</b></p>
---	--

**NOTICE INVITING e-TENDER**

**TENDER NOTICE NO: NCBS/Maint(Civil)/671/NIT-216/2025 Dt. 01/12/2025**

**I. NIT Details:**

1. On line item rate tender in two parts i.e. Part A –Techno-commercial Bid and Part B – Financial Bid are hereby invited through **e-Tendering mode** by Head-SE&M NCBS on behalf of The Centre Director NCBS, Bangalore-560065 for the following work from eligible contractors on approved list of CPWD, MES, Railways, State PWDs, Public Sector Undertakings of Central or State Governments / Central Autonomous bodies or those having adequate experience and capabilities to execute similar works of such magnitude in NCBS.

i)	Name of Work	:	<b>Civil works for installation of 750 KVA DG at NCBS campus, GKVK Bangalore</b>
ii)	Estimated Cost	:	<b>Rs. 5,90,499.00/-</b>
iii)	Earnest Money	:	<b>Rs. 11,810.00/-</b>
<p><b>Note: Earnest Money in original to be submitted preferably in the form of Fixed Deposit Receipt or in the form of Demand Draft / Bankers Cheque / Pay Order of a Scheduled Bank, issued in favour of the centre Director NCBS Bangalore.</b></p>			
iv)	Cost of Tender Document	:	<b>NIL</b>
v)	Tender Processing Fee	:	<b>NIL</b>
vi)	Period of completion	:	<b>02 (Two Months)</b> calendar months including monsoon period.
vii)	Dates of availability of Tender Documents for Download	:	<p>From <b>02.12.2025 (10:00 Hrs.) to 10.12.2025 (15:00 Hrs.)</b>  To Download – please visit CPPP website on:  <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a>.  Detailed NIT is also available on website <a href="http://www.ncbs.res.in">www.ncbs.res.in</a> for view only.</p>
viii)	Date of pre-bid clarification	:	<b>11.12.2025 (11:00 Hrs.)</b>

ix)	निविदा की प्रारंभ तिथि और समय:	:	<b>12.12.2025 (11:00 बजे)</b>
x)	निविदाओं को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि और समय:	:	<b>17.12.2025 (15:00 बजे.)</b>
xi)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:	:	<b>17.12.2025</b> को या उससे पहले (15:00 बजे) एनसीबीएस में, जीकेवीके परिसर, बेल्लारी रोड, बैंगलोर-560065। एक सीलबंद सुपरस्क्राइब लिफाफे में काम के नाम और एनआईटी नंबर का उल्लेख किया गया है। मूल दस्तावेज अधिमानतः व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हालांकि डाक या कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वह नियत तारीख और समय के भीतर प्राप्त हों।
xii)	भाग ए के ऑनलाइन उद्घाटन की तारीख और समय अर्थात् तकनीकी बोली:	:	<b>18.12.2025 (15:30 बजे.)</b>
xiii)	भाग-बी खोलने की तिथि यानी वित्तीय: योग्य बोलीदाताओं की बोली:	:	बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा।

## **II. प्रारंभिक पात्रता मानदंड:**

2. i) बोली लगाने वाला उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगा। इसके अलावा बोलीदाता को स्थानीय सामग्री के लिए बोली के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। विषय निविदा में .... % की पेशकश की गई।
- ii) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 में परिभाषित केवल 'कक्षा-I से कक्षा-III स्थानीय आपूर्तिकर्ता' विषय निविदा के लिए भाग लेने के पात्र हैं।
- iii) बोलीदाता के पास निम्नलिखित होना चाहिए:
  - क) वैध बोलीदाता के पास राज्य या केंद्र सरकार के सरकारी संगठनों/अर्ध-सरकारी संगठनों या राज्य या केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सिविल कार्य श्रेणी के तहत पंजीकरण विवरण की प्रतियां होनी चाहिए। बोलीदाता के पास राज्य/केंद्र सरकार के विभागों के साथ कार्य अनुभव होना चाहिए और ईसीपीटी के बराबर मूल्य के लिए कार्य प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  - ख) वाणिज्यिक बैंक से बैंकर प्रमाण पत्र या निवल मूल्य प्रमाण पत्र: **2.36 लाख रुपये** के बराबर राशि का बैंकर प्रमाण पत्र, या यूडीआईएन के साथ प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी न्यूनतम **5.90 लाख रुपये** का निवल मूल्य प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। निविदा खोलने की तिथि।
  - ग) **31 मार्च 2025** को समाप्त होने वाले तत्काल पिछले 3 लगातार वित्तीय वर्षों के दौरान निर्माण कार्यों पर औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम से कम **5.90 लाख रुपये** होना चाहिए। इसे एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट किया जाना चाहिए।

ix)	Start date and time of online submission of tenders:	:	<b>12.12.2025 (11:00 Hrs.)</b>
x)	Last date and time of closing of online submission of tenders:	:	<b>17.12.2025 (15:00 Hrs.)</b>
xi)	Last date for submission of EMD:	:	<b>On or before 17.12.2025 (15:00 Hrs.)</b> at NCBS, GKVK campus, Bellary Road, Bangalore-560065. In a sealed superscribed envelope mentioning name of work and NIT Number. Original documents should be submitted preferably in person. However, documents sent by post or courier will also be considered provided the same is received within due date & time.
xii)	Date and time of online opening of Part A i.e. Technical Bid:	:	<b>18.12.2025 (15:30 Hrs.)</b>
xiii)	Date of opening of Part -B i.e. Financial Bids of qualified bidders:	:	Will be notified at a later date.

## II. Initial Eligibility Criteria:

2. i) The bidder shall be compliant to the Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 (as amended from time to time) issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry. Also, bidder must submit undertaking along with bid for local content of.... % offered in subject tender.
- iv) Only 'Class-I local supplier' as defined in Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017, are eligible to participate for subject tender.
- v) The bidder should have the following:
- (a) Bidder should have the Copies of valid registration details under civil works category with Government organizations / Semi-Government organizations of State or Central Government or Public sector undertakings or Autonomous bodies of State or Central Government. The bidder should have work experience with state/central Govt departments and must have work done certificate for a value equal to ECPT.
- (b) Banker's Certificate from a Commercial Bank or Net worth Certificate: Banker's Certificate of the amount equal to **Rs.2.36 lakhs**, or Net worth certificate of minimum **Rs.5.90 lakhs** issued by certified Chartered Accountant with UDIN should not be older than one year from the date of opening of tender.
- (c) Average Annual Financial Turnover on maintenance works should be at least **Rs.5.90 Lakhs**, during the immediate last 3 consecutive financial years ending **31st March 2025**. This should be duly audited by a registered Chartered Accountant.

घ) **31 मार्च 2025** को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो साल से अधिक की हानि नहीं हुई होनी चाहिए।

ड) पिछले 7 वर्षों के दौरान इसी तरह के काम किए।

कार्य की समान प्रकृति का अर्थ है: प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) संस्थानों/राज्य या केंद्र सरकार के कार्यों के लिए संतोषजनक रूप से पूरा किए गए सिविल कार्य में अनुभव।

च) प्रदर्शन प्रमाण पत्र।

छ) रखरखाव के लिए निर्माण संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं और समय पर काम पूरा करना।

ज) आवश्यक तकनीकी कर्मचारी।

झ) स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटी प्रमाण पत्र।

बोलीदाता को संतोषजनक ढंग से पूरा करना चाहिए (कार्यों के ग्राहक द्वारा प्रदर्शन के प्रमाणीकरण के आधार पर) **3 (तीन)** समान कार्य प्रत्येक मूल्य का ₹ **2.36 लाख** या **2 (दो)** समान कार्य प्रत्येक मूल्य का ₹ **3.54 लाख** या **1 (एक)** से कम नहीं होना चाहिए। मूल्य का समान कार्य उस महीने के अंतिम दिन समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान कम से कम ₹ **4.72 लाख** जिसमें निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं / निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन तक पूरे किए गए कार्यों पर भी विचार किया जाएगा और यदि पात्र समान कार्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र या राज्य सरकारों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नहीं किए जाते हैं, तो बोलीदाता द्वारा उसी के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र का उत्पादन किया जाना चाहिए।

**टिप्पणी:** इच्छित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे साइट का दौरा अनिवार्य करें और निविदा के साथ साइट विजिट रिपोर्ट अपलोड करें। एनसीबीएस प्राधिकरण द्वारा जारी साइट विजिट पावती विक्रेताओं द्वारा अपलोड की जानी चाहिए। अन्यथा निविदाएं अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. निष्पादित कार्यों के मूल्य को कार्य के वास्तविक मूल्य को 7% प्रति वर्ष की साधारण दर पर बढ़ाकर वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना पूरा होने की तारीख से निविदा जमा करने की अंतिम तारीख तक की जाएगी।

4. लागू ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में लगाए गए कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली लगाने की क्षमता की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी:

$$\text{बोली क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां,

A = पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित रखरखाव कार्यों का अधिकतम मूल्य पूर्ण होने के साथ-साथ प्रगति पर कार्यों को ध्यान में रखते हुए।

N = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

- (d) Should not have incurred any loss in more than two years during last five years ending **31st March 2025**.
- (e) Carried out similar works during last 7 years.  
**Similar nature of work means:** Experience in the satisfactorily completed civil works for Premier Research Institutes/ Universities/ Public Sector Undertakings (PSUs) institutes/state or central Govt works.
- (f) Performance Certificates.
- (g) Construction Plant & Machinery, equipment's, accessories & other infrastructure facilities for maintenance and complete the work in time.
- (h) Required Technical Staff.
- (i) Permanent Account Number (PAN) & GST Certificate.

The bidder should have satisfactorily completed (based on certification of performance by client of the works) **3 (Three)** similar works each of value not less than **₹ 2.36 Lakhs** or **2 (Two)** similar works each of value not less than **₹ 3.54 Lakhs** or **1 (One)** similar work of value at least **₹ 4.72 Lakhs** during the last 7 (Seven) years ending on the last day of the month previous to the one in which the tenders are invited/**the works completed up to previous day of the last date of submission of tenders shall also be considered and if the eligible similar works are not carried out in Central Government / State Government / Public Sector Undertaking of Central or State Governments / Central Autonomous bodies, then TDS certificates should be produced by bidder for the same.**

**NOTE: Intended bidders are requested to make compulsory site visit and upload the site visit report along with Tender. The timeline for site visit is permitted up to pre bid meeting date. Tenders without site visit reports are liable to rejected.**

- 3. The value of executed works shall be brought to the current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of 7 % per annum, calculated from the date of completion to last date of submission of tenders.
- 4. The bidding capacity of the contractor applicable should be equal to or more than the estimated cost of the work put to tender. The bidding capacity shall be worked out by the following formula:

$$\text{Bidding Capacity} = [A \times N \times 2] - B$$

Where,

A = Maximum Value of construction works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress.

N= Number of years prescribed for completion of work for which bids have been invited.

B= मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों का मूल्य कार्य के पूरा होने की अवधि के दौरान पूरा किया जाना है जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

## 5. बोलीदाता को भारत में एक पंजीकृत फर्म होनी चाहिए। संयुक्त उद्यम और या संघ स्वीकार्य नहीं हैं।

### III. सूचना:

6. निविदा दस्तावेज दो भागों में तैयार किया जाता है। भाग 'ए' (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग 'बी' (वित्तीय बोली)।

भाग 'ए' में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली शामिल है। खंड I - ई-निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस, खंड II - वाणिज्यिक और अतिरिक्त शर्तें, अनुबंध खंड III का दायरा - कार्य का दायरा खंड IV - अनुबंध के सामान्य नियम और शर्तें, धारा V - विचलन की अनुसूची, वैधानिक दायित्व, धारा VI निविदाकर्ता द्वारा उपक्रम और अनुसूची 'ए' से 'एफ' का प्रोफार्मा।

भाग 'बी' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'बी' - मात्रा का बिल शामिल है। सफल बोलीदाता को कार्य प्रदान करने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज समझौते का हिस्सा होंगे।

मानक दस्तावेज प्राप्त करना: संभावित बोलीदाता या आम जनता उपरोक्त दस्तावेजों के पीडीएफ प्रारूप को [www.ncbs.res.in](http://www.ncbs.res.in) [Tenders and NITs](#) [Other Information](#) से निः शुल्क देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

### IV. सीपीपीपी वेबसाइट में ई-निविदा के लिए दिशानिर्देश:

सीपीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीदाताओं को एक वैध वर्ग III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। निविदा के पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश सीपीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने में बोलीदाताओं की सहायता करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी बोलियां जमा करने के लिए हैं।

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर प्राप्त की जा सकती है।

### 7. पंजीकरण

- (i) बोलीदाताओं को सीपीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (URL: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है जो निः शुल्क है।
- (ii) नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बोलीदाताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनने और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड सौंपने की आवश्यकता होगी।
- (iii) वैध बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है। इनका उपयोग सीपीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।
- (iv) नामांकन पर, बोलीदाताओं को सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ वर्ग III प्रमाणपत्र) पंजीकृत करना होगा (उदाहरण के लिए एसआईएफवाई/एनकोड/ईएमयूडीएचआरए आदि।), उनकी प्रोफ़ाइल के साथ।

B= Value of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of completion of work for which bids have been invited.

**5. Bidder should be a registered firm in India. Joint Ventures and or Consortiums are not acceptable.**

**III. Information:**

**6. Tender document is prepared in two parts viz. Part ‘A’ (Techno-commercial Bid) and Part ‘B’ (Financial Bid).**

Part ‘A’ consists of Techno-commercial Bid Viz. Section I – Notice Inviting e-Tender, Section II – commercial and additional conditions, scope of the contract Section III –Scope of the work Section IV – General terms and conditions of the contract, Section V – Schedule of deviations, Statutory obligations, Section VI undertaking by the tenderer and Proforma of Schedules ‘A’ to ‘F’.

Part ‘B’ (Financial bid) consists of Schedule ‘B’ - Bill of Quantities. All the above documents will form part of Agreement after award of work to the successful bidder.

**OBTAINING OF STANDARD DOCUMENTS:** Prospective Bidders or general public can see and download free of cost **PDF format** of the above documents from website [www.ncbs.res.in](http://www.ncbs.res.in) **Tenders and NITs** **Other Information**

**IV. Guidelines for e-Tendering in CPPP website:**

To participate in the Tendering process on the CPP Portal, Prospective Bidders require a valid Class III Digital Signature Certificates. All the documents related to the eligibility criteria of tender should be submitted electronically through CPPP portal only. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

**7. Registration**

- (i) Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) by clicking on the link “**Online Bidder Enrollment**” on the CPP Portal which is free of charge.
- (ii) As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.
- (iii) Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.
- (iv) Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify / nCode / eMudhra etc.), with their profile.

- (v) केवल एक वैध डीएससी एक बोली लगाने वाला द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार नहीं देते हैं जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
- (vi) बोली लगाने वाला अपने उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड और डीएससी / टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट में लॉग इन करता है।

## **8. निविदा दस्तावेजों की खोज**

- (i) कई मापदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज करने के लिए बोलीदाताओं की सुविधा के लिए सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता कई खोज मापदंडों जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि को जोड़ सकते हैं। सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज करना।
- (ii) एक बार जब बोलीदाताओं ने निविदाओं का चयन कर लिया है तो वे आवश्यक दस्तावेजों/निविदा अनुसूचियों को डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'मेरी निविदाओं' फ़ोल्डर में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बोलीदाताओं को सूचित करने में सक्षम बनाएगा, यदि निविदा दस्तावेज को कोई शुद्धिपत्र जारी किया गया है।
- (iii) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को सौंपी गई विशिष्ट निविदा आईडी बनाना चाहिए, यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

## **9. बोलियों की तैयारी**

- (i) बोलीदाता को अपनी बोलियां जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।
- (ii) बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से देखें। कृपया उन कवरों की संख्या नोट करें जिनमें बोली दस्तावेज जमा किए जाने हैं, दस्तावेजों की संख्या - जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री शामिल हैं। इनमें से किसी भी विचलन से बोली की अस्वीकृति हो सकती है। निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है और ईएमडी या तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-ए) के साथ प्रकट की गई किसी भी मूल्य बोली जानकारी पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- (iii) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को पहले से तैयार करना चाहिए और आम तौर पर, वे पीडीएफ/ एक्सएलएस/ आरएआर/ डीडब्ल्यूएफ/ जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।
- (iv) मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए जो प्रत्येक बोली के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ऐसे मानक दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान (उदाहरण के लिए) पैन कार्ड कॉपी, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) बोलीदाताओं को प्रदान किया गया है। "बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके लिए उपलब्ध ""मेरा स्थान"" या ""अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज"" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं।" "इन दस्तावेजों को बोली जमा करते समय सीधे ""MYSPEACE"" क्षेत्र से प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।" इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।

**टिप्पणी:** मेरा दस्तावेज स्थान केवल अपलोड करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलीदाताओं को दिया गया एक भंडार है। यदि बोलीदाता ने मेरे दस्तावेज स्थान में अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, तो यह स्वचालित रूप से सुनिश्चित नहीं करता है कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का हिस्सा हैं।

- (v) Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.
- (vi) Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of the DSC /e-Token.

## **8. Searching for Tender Documents**

- (i) There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, OrganizationName, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.
- (ii) Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents / tender schedules. These tenders can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS/e-mail in case, there is any corrigendum issued to the tender document.
- (iii) The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case, they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

## **9. Preparation of Bids**

- (i) Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.
- (ii) Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid. **The tender is liable to be rejected and will not be processed further if any price bid information disclosed along with EMD or Techno-commercial Bid (Part-A).**
- (iii) Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF/ JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
- (iv) To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "MySpace" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

**Note:** *My Documents space is only a repository given to the Bidders to ease the uploading process. If Bidder has uploaded his Documents in My Documents space, this does not automatically ensure these Documents being part of Technical Bid.*

## 10. बोलियां प्रस्तुत करना

- (i) बोलियां केवल सीपीपीपी वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>
- (ii) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही साइट में लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अपलोड कर सकें अर्थात बोली प्रस्तुत करने के समय पर या उससे पहले। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोली लगाने वाला जिम्मेदार होगा।
- (iii) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दर्शाए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेजों पर एक-एक करके डिजिटल हस्ताक्षर करना और अपलोड करना होगा।
- (iv) बोलीदाता को लागू ईएमडी का भुगतान करने के लिए "ऑफ़लाइन" के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और साधन का विवरण दर्ज करना होगा।
- (v) बोलीदाता को लागू निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी चाहिए। मूल को संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तैनात / कूरियर / दिया जाना चाहिए, जो बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार नवीनतम है। भौतिक रूप से भेजे गए डीडी/किसी अन्य स्वीकृत साधन का विवरण, स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) या केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत हैं, केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ईएमडी के भुगतान से छूट दी गई है। **दस्तावेजों (यदि कोई हो) को ई निविदा पोर्टल में अपलोड किया जाएगा** अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vii) **बोली पूर्व स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो कार्य के लिए डाउनलोड करेगा और विधिवत हस्ताक्षरित और सील किए गए उसी (स्कैन की गई प्रति) को अपलोड करेगा। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) ई निविदा पोर्टल में अपलोड किए जाएंगे**
- (viii) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे आवश्यक रूप से प्रदान किए गए प्रारूप में अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। **यदि निविदा दस्तावेज के साथ मूल्य बोली को मानक बीओक्यू प्रारूप के रूप में दिया गया है**, तो इसे डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को बीओक्यू फ़ाइल डाउनलोड करने, इसे खोलने और अपने संबंधित वित्तीय उद्धरणों और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ स्काईब्लू कलर (असुरक्षित) कोशिकाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। कोई अन्य कोशिकाएं नहीं बदलनी चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को इसे सहेजना चाहिए और फ़ाइलनाम बदले बिना, इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बीओक्यू फ़ाइल को बोलीदाता द्वारा संशोधित पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (ix) किरायेदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों को पहले से अपलोड करें, ताकि सर्वर पर अंतिम मिनट की भीड़ या अपलोड करने में जटिलताओं से बचा जा सके। किसी भी स्थिति में, एनसीबी को सर्वर और तकनीकी समस्याओं सहित दस्तावेजों को अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

## 10. Submission of Bids

- (i) Bids shall be submitted online only at CPPP website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>
- (ii) Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.
- (iii) The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.
- (iv) Bidder has to select the payment option as “offline” to pay the EMD as applicable and enter details of the instrument.
- (v) Bidder should prepare the EMD as per the instructions specified in the tender document as applicable. The original should be posted/couriered/given in person to the concerned official, latest by the last date of bid submission or as specified in the tender documents. The details of the DD/any other accepted instrument, physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.
- (vi) Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase Organization or the concerned Ministry or Department are exempted from payment of EMD for supply of goods and services only. **The documents (if any) shall be uploaded in e tender portal** Otherwise the uploaded bid will be rejected.
- (vii) **The agency shall download the pre-bid clarification if any for the work and upload the same (scanned copy) duly signed and sealed. The revised documents (if any) shall be uploaded in e-tender portal.**
- (viii) Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. **If the price bid has been given as a standard BOQ format with the tender document**, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BOQ file, open it and complete the SKYBLUE coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BOQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.
- (ix) Tenderers are advised to upload their documents well in advance, to avoid last minutes’ rush on the server or complications in uploading. NCBS, in any case, shall not be held responsible for any type of difficulties during uploading the documents including server and technical problems whatsoever.

- (x) काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ बोली दस्तावेजों को स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।
- (xi) सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने, बोलियां खोलने आदि के लिए समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय माना जाएगा। बोली प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाताओं को इस बार का पालन करना चाहिए।
- (xii) नियत तारीख और समय (विस्तारित अवधि सहित) के बाद निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xiii) डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों को पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को बोली खोलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। बोलियों की गोपनीयता सुरक्षित सॉफ्टवेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किए गए किसी भी बोली दस्तावेज को सिस्टम जनित सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक चाबियों का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। **कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय हो जाते हैं।**
- xiv) बोलियों की सफल और समय पर प्रस्तुति पर (अर्थात पोर्टल में "फ्रीज बोली सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद, पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा और बोली सारांश बोली संख्या के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली प्रस्तुत करने की तारीख और समय।
- xv) बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए।
- xvi) निविदा में किसी भी परिवर्तन/संशोधन के रूप में खुद को अपडेट रखने के लिए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक बोली लगाने वालाओं को इस वेबसाइट पर नियमित रूप से जाने की सलाह दी जाती है, केवल शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन द्वारा इस वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

## **11. बोलीदाताओं को सहायता**

- निविदा दस्तावेज से संबंधित कोई भी प्रश्न और उसमें निहित नियम और शर्तें निविदा में इंगित निविदा या संबंधित संपर्क व्यक्ति के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को संबोधित की जानी चाहिए।
- ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रश्न को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर निर्देशित किया जा सकता है।

### **शर्तें:**

- निविदा के भाग 'ए' को खोलने के बाद, प्रमुख एसई एंड एम, एनसीबी एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन करेंगे जो पहले कार्य के लिए उनकी पात्रता के संबंध में बोली लगाने वाला द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन क्रेडेंशियल को सत्यापित करेगी और यदि आवश्यक हो, तो चयनित कार्यस्थलों का दौरा करेगी। अनुबंध-2 के आधार पर बोलीदाताओं की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बोलीदाताओं के चालू/पूर्ण कार्य।

- (x) Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
- (xi) The server time (which is displayed on the bidders' dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.
- (xii) Submission of the tender documents after the due date and time (including extended period) shall not be permitted.
- (xiii) All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid opener's public keys. **Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.**
- (xiv) Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking "Freeze Bid Submission" in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.
- (xv) The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid.
- (xvi) Intending Bidders are advised to visit this website regularly till closing date of submission to keep themselves updated as any change/ modification in the tender

#### **11. Assistance to Bidders**

- 1) Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.
- 2) Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

#### **Conditions:**

12. After opening of Part 'A' of tender, Head SE&M, NCBS shall constitute a Technical Evaluation Committee which will first verify the online credentials submitted by the bidder with respect to their eligibility for the work and if required, will visit selected worksites of on-going/completed works of the bidders to evaluate the capability of the bidders based on the Annexure-2.

13. भाग 'ए' खोलने के बाद निविदा में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त के साथ निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि, बिना शर्त छूट वाली निविदाओं को स्वीकार किया जाएगा।
15. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी बाद के चरण में गलत पाई जाती है, तो उन्हें एनसीबी में काम करने / लेने से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि ऐसा उल्लंघन कार्य शुरू होने से पहले विभाग के ध्यान में आता है, तो प्रभारी अभियंता ईएमडी और प्रदर्शन गारंटी की पूरी राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
16. कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश की तारीख के बाद 15 वें दिन से या साइट को सौंपने के पहले दिन, जो भी बाद में हो, के अनुसार की जाएगी, यदि कोई हो, निविदा दस्तावेजों में दर्शाया गया है।
17. निविदा को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि से 75 (पचहत्तर दिन) दिनों के लिए वैध रखा जाएगा।
18. यदि ईएमडी के लिए मूल दस्तावेज प्राप्त करने और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।
19. मूल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे ऑर्डर/फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद/बैंक गारंटी, यदि कोई अनुसूचित बैंक बयाना राशि जमा करने के लिए लागू हो, तो उपरोक्त स्थान, तारीख और समय पर प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा निविदाएं अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी हैं और आगे संसाधित नहीं किया जाएगा।
20. बयाना जमा राशि के चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
21. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अपने अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, ऐसी राशि जो कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% होगी। इसके अलावा, ठेकेदार को प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में अनुबंध के निविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि जमा करनी होगी। निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन होगा। बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली 5% की प्रदर्शन सुरक्षा। इसे अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीदों के रूप में या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है।
22. सुरक्षा जमा ठेकेदारों के चालू बिल की सकल राशि के 2.5% की दर से कटौती द्वारा एकत्र किया जाएगा जब तक कि वसूल की गई कुल सुरक्षा जमा कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% होगा। सुरक्षा जमा को सरकारी प्रतिभूतियों, अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा रसीदों के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। इन्हें केंद्र निदेशक एनसीबी के पक्ष में पृष्ठांकित किया जाएगा। सफल बोली लगाने वाला की बयाना जमा राशि को प्रदर्शन सुरक्षा जमा प्राप्त होने पर वापस / वापस कर दिया जाएगा, हालांकि यदि प्रदर्शन सुरक्षा जमा बैंक गारंटी के रूप में है, तो जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी के सत्यापन की पुष्टि के बाद बयाना जमा जारी किया जाएगा।
23. यदि सफल निविदाकर्ता, प्रारंभ की निर्धारित तारीखों पर या उससे पहले निर्धारित प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो विभाग (एनसीबी) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. No modifications in the tender shall be allowed after opening Part 'A'.
14. Tenders with any condition including conditional rebate shall be rejected. However, tenders with unconditional rebate will be accepted.
15. If any information furnished by the applicant is found to be incorrect at a later stage, they shall be **liable to be debarred from tendering / taking up works in NCBS**. Also, if such a violation comes to the notice of Department before start of work, the Engineer-in-charge shall be free to forfeit the entire amount **of EMD & Performance Guarantee**.
16. The time allowed for carrying out the work will be reckoned from the 15<sup>th</sup> day after date of written order to commence the work or from the first day of handing over of the site, whichever is later, in accordance with the phasing, if any, indicated in the tender documents.
17. Tender will be kept valid for **75 (Seventy-Five) days** from the Last date of closing of online submission of tenders.
18. **In case the last date of receipt of original document towards EMD and opening of tender are declared as holiday, the respective date shall be treated as postponed to the next working day, correspondingly.**
19. **Original Demand Draft/Bankers Cheque /Pay Order / Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee, if any of a Scheduled Bank towards Earnest Money Deposit as applicable shall be submitted at aforementioned place, date and time otherwise Tenders are liable to be rejected and will not be processed further.**
20. **Cheques for Earnest Money Deposit will not be accepted.**
21. The contractor whose tender is accepted will be required to furnish by way of security deposit for the due fulfillment of his contract, such sum as will amount to 2.5% of the tendered value of work. In addition, the contractor shall be required to deposit an amount equal to 5% of the tendered value of the contract as Performance Security. Time allowed for submission of Performance Guarantee shall be 15 days from the date of issue of letter of acceptance. Performance Security of 5% to be submitted in the form of Bank guarantees. It can also be accepted in the form of fixed deposit receipts of Scheduled Bank or in the form of Government Securities.
22. The Security Deposit will be collected by deductions @ 2.5 % of the gross amount of the running bill of the contractors till the total security deposit recovered will amount to 2.5% of the tendered value of work. The Security deposit will also be accepted in the form of Governments Securities, Fixed deposit Receipts of Scheduled Bank and Nationalized Bank. These shall be endorsed in favour of The Centre Director NCBS. **Earnest Money Deposit of successful bidder shall be returned back / refunded on receipt of Performance Security Deposit, however in case Performance Security Deposit is in the form of Bank Guarantee, Earnest Money Deposit will be released subsequent to confirmation of verification of Bank Guarantee from the issuing Bank.**
23. **If the successful tenderer, fails to furnish the prescribed performance guarantee on or before stipulated dates of commencement the department (NCBS) shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely.**

24. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास होगी जो बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने के लिए सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और अपने पास अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी निविदाएं जिनमें किसी भी निर्धारित शर्त को पूरा नहीं किया गया है या किसी भी संबंध में अधूरा है, अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
25. निविदाओं के संबंध में प्रचार सख्ती से निषिद्ध है और कैनवसिंग का सहारा लेने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगी।
26. निविदा की स्वीकृति पर, ठेकेदार के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि (ओं) का नाम जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, प्रभारी अभियंता को सूचित किया जाएगा।
27. विभाग के पास निविदा के पूरे या केवल हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर इसे करने के लिए बाध्य होगा।

**28. ठेकेदार द्वारा देय शुल्क/कर:**

- i) माल और सेवा कर (जीएसटी) या इस अनुबंध के लिए ठेकेदार द्वारा खरीदे गए इनपुट के संबंध में लागू कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी। हालांकि, सेवा की आपूर्ति के समय जीएसटी का घटक (सीजीएसटी अधिनियम 2017 में प्रदान किया गया) अनुबंध द्वारा प्रदान किया गया है, यदि निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर लागू से अलग है, तो विस्तार सहित यदि कोई हो।
  - ii) सभी निविदा दरों में निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि पर लागू सभी कर, जीएसटी, लेवी या उपकर शामिल होंगे, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो।
  - iii) किए गए कार्य के सकल मूल्य का 1% श्रम कल्याण उपकर ठेकेदार को प्रत्येक बिल से वसूल किया जाएगा।
  - iv) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से लागू आयकर और उपकर की कटौती की जाएगी।
  - v) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए और संबंधित विभाग को अनुबंध श्रमिकों के ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान करेगा और विभाग द्वारा उसे इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। बोलीदाता को न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी में वृद्धि, ईपीएफ और ईएसआईसी, बोनस आदि पर विचार करना चाहिए। उसकी दरों में।  
  
ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/श्रमिकों के संबंध में ईपीएफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का पालन करेंगे और प्रत्येक आरए बिल के साथ नियमित रूप से दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।
  - vi) सरकारी निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य कर/उपकर की कटौती ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से की जाएगी।
29. बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एबी (जैसा लागू हो) के अनुसार अपने लेटर हेड पर वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

24. The acceptance of tender shall rest with department which does not bind itself to accept the lowest tender and reserves to itself the authority to reject any or all of the tenders received, without assigning any reason. All tenders in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or incomplete in any respect are liable to be rejected.
25. Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable for rejection.
26. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Engineer-In-charge shall be communicated to the Engineer-In-charge.
27. The department reserves the right to accept the whole or only part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rates quoted.
28. **LEVY/TAXES Payable by Contractor:**
- i) **Goods & Services Tax (GST)** or any other tax applicable in respect of **inputs procured by the Contractor** for this contract shall be payable by the Contractor and Government will not entertain any claim whatsoever in respect of the same. However, **component of GST at time of supply of service (as provided in CGST Act 2017) provided by the contract shall be varied if different from that applicable on the last date of receipt of tender including extension if any.**
  - ii) All tendered rates shall be inclusive of all taxes, GST, levy or cess applicable on last stipulated date of receipt of tender including extension if any.
  - iii) Labour welfare cess @1% of gross value of work done shall be recovered from each bill paid to the contractor.
  - iv) Income tax and cess as applicable shall be deducted from each bill paid to the contractor.
  - v) **Contractor should be registered under EPF & ESIC and shall pay EPF & ESIC of contract workers to concerned Department and it will not be reimbursed to him by the Department. The bidder should consider Min wages, Increase in wages, EPF & ESIC, bonus, etc. In his rates.**
- Contractors shall comply provisions of the EPF Act, 1952 in respect of all the eligible employees / workers/ labours and submit the documentary proof regularly with every RA Bill.
- vi) Any other taxes /cess as per Government directives shall be deducted from each bill paid to the contractor, from time to time.
29. Bidder has to submit Undertaking on their letter head pursuant to the section 206 AB (as applicable) of the Income Tax Act, 1961 in prescribed format.

30. यदि कोई निविदाकर्ता वैधता अवधि के भीतर और कार्य सौंपने से पहले, जो भी पहले हो, अपना निविदा वापस लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं हैं, तो सरकार किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरी तरह से बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।  
इसके अलावा, निविदाकर्ता को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
31. सफल बोलीदाता को कार्य सौंपने के बाद, सफल बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए समय अनुसूची और नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो समझौते का हिस्सा होगा।

### **निर्देश:**

32. ठेकेदार को <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। जिन ठेकेदारों को ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं किया गया है, उन्हें पंजीकृत होना आवश्यक है।
33. निविदा दस्तावेज (एक्सेल/वर्ड प्रारूप) की खरीद/डाउनलोड के अनुरोध के लिए इच्छुक बोलीदाता के पास वैध श्रेणी-III डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। बोली केवल सावधि जमा रसीदों और या किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी का विवरण बयाना राशि जमा करने और निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के लिए प्रदान करने के बाद जमा / अपलोड की जा सकती है।
34. निविदा समय और तारीख तक ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी जैसा कि ऊपर एनआईटी विवरण में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त एनआईटी विवरण में उल्लिखित समय और तारीख पर भाग ए खोला जाएगा। पहले ईएमडी की प्राप्ति की जांच की जाएगी। यदि क्रम में पाया जाता है, तो भाग 'ए' खोला जाएगा। भाग 'ए' खोलने के बाद, मूल्यांकन के लिए, ठेकेदार के तकनीकी-वाणिज्यिक बोली से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार निविदाकारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। योग्य निविदाकर्ताओं का भाग 'बी' (वित्तीय बोली) तब अधिसूचित तिथि और समय पर खोला जाएगा। भाग 'बी' (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
35. सीपीपी पोर्टल पर बोलीदाताओं की वित्तीय मूल्यांकन स्थिति प्रकाशित करने के बाद ही असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
36. वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/बीओक्यू प्रारूप <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर इस निविदा दस्तावेज के साथ बीओक्यू-जेडजेड.एक्सएलएस के रूप में प्रदान किया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस बीओक्यू-जेडजेड.एक्सएलएस को डाउनलोड करें और अनुमत कॉलम में अपने प्रस्ताव/दरों को उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। **सभी निविदा दरों में संबंधित क़ानूनों के तहत देय सभी कर और शुल्क शामिल होंगे। बोलीदाता किसी भी तरीके से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा।** यदि किसी भी तरीके से छेड़छाड़/संशोधित पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा और **विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।**
37. खोलने की तारीख पर, ठेकेदार लॉगिन कर सकता है और खोलने के बाद बोलियों की स्थिति देख सकता है।
38. ठेकेदार को प्रत्येक आइटम की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम स्काई ब्लू कलर में दिखाई देता है। किसी भी कोशिका का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को "0" (शून्य) सहित किसी भी मूल्य से भरती प्रतीत होती है।

30. If any tenderer withdraws his tender within the validity period and before award of work whichever is earlier or make any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the department, then the Government shall without prejudice to any right or remedy, be at liberty to forfeit 50 % (Fifty Percent) of the Earnest Money absolutely.

Further, the tenderer shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work.

31. After award of work to the successful bidder, the successful bidder shall submit time schedule & cash flow statement for approval of Competent Authority which will form part of Agreement.

### **Instructions:**

32. The contractor should be registered with <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Those contractors not registered on the website mentioned above, are required to get registered.
33. The intending bidder must have valid class-III digital signature for Request for purchase / Download of Tender Document (excel / word formats). **The bid can only be submitted/uploaded after providing details of Fixed Deposit Receipts and or Bank Guarantee of any Scheduled Bank towards Earnest Money Deposit and other documents as specified.**
34. Tenders will be received online up to time & date as mentioned in the NIT details above. Part A will be opened on the time & date as mentioned in the NIT details above. **The receipt of EMD will be checked first.** If found in order, Part 'A' will be opened. After opening of Part 'A', for evaluation, the contractor's Techno-commercial Bid related documents shall be evaluated and accordingly tenderers will be qualified/disqualified by the Competent Authority. The Part 'B' (Financial Bid) of the qualified tenderers shall then be opened at notified date and time. Date of opening of Part 'B' (Financial Bid) will be intimated to all bidders through the CPP Portal website.
35. **The EMDs of the unsuccessful bidders will be returned without any interest only after publishing financial evaluation status of bidders on CPP portal.**
36. The Financial Proposal/Commercial bid / BOQ format is provided as BOQ-ZZZ.xls along with this tender document at <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Bidders are advised to download this BOQ-ZZZ.xls as it is and quote their offer/rates in the permitted column and upload the same in the commercial bid. **All tendered rates shall be inclusive of all taxes and levies payable under respective statutes. Bidder shall not tamper/modify downloaded price bid template in any manner.** In case if the same is found to be tampered/modified in any manner, tender will be completely rejected and **appropriate action will be taken by department.**
37. On opening date, the contractor can login and see the status of Bids after opening.
38. Contractor must ensure to quote rate of each item. The column meant for quoting rate in figures appears in SKY BLUE colour. While selecting any of the cells a warning appears **to mandatorily fill all such cells with any value, including "0" (ZERO).**

**टिप्पणि:** संभावित एजेंसियां निविदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करने के लिए खुद को संतुष्ट करेंगी। विभाग निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों की निविदा पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

39. मूल से स्कैन किए जाने वाले और बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

- i. सीए द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्नओवर।
- ii. द्वितीय. सीए द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण।
- iii. नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र।
- iv. पिछले सात वर्षों में पूरे किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें
  - क) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है,
  - ख) कार्य का मूल्य,
  - ग) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय,
  - घ) ग्राहकों से पात्र समान कार्यों के प्रदर्शन प्रमाण पत्र।

v. प्रमाण पत्र:

- क) पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
  - ख) जीएसटी के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  - ग) पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीकरण
  - घ) ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण के प्रमाण पत्र
- vi. ईएमडी के विरुद्ध किसी भी अनुसूचित बैंक का एफडीआर/डीडी/पीओ/बीसी।
- vii. ईएमडी के हिस्से के खिलाफ किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी, यदि कोई हो।
- viii. **बोलीदाता के लेटर हेड** पर निविदा स्वीकृति पत्र जैसा कि **अनुबंध 1** में दिखाया गया है।

**टिप्पणि:** तकनीकी मूल्यांकन के दौरान लापता दस्तावेज, यदि कोई हो, निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए पूछा जा सकता है।

**40. बोलीदाता को निम्नलिखित को भरना आवश्यक है:**

- क) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली
- ख) **अनुसूची - 'बी' (वित्तीय बोली)**

**टिप्पणियाँ:**

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण और बोली प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती

**Note: Prospective agencies shall satisfy themselves of fulfilling all the NIT criteria before submission of tender. Department reserves the right of non-consideration of tender of the agencies not fulfilling the stipulated criteria.**

- 39.** List of Documents to be scanned from original & uploaded within the period of bid submission by bidder
- i. Financial Turn Over certified by CA.
  - ii. Profit & Loss statement certified by CA.
  - iii. Latest Bank Solvency Certificate.
  - iv. List of Similar Works completed in last seven years indicating
    - a) Agency for whom executed,
    - b) Value of work,
    - c) Stipulated and Actual time of completion,
    - d) Performance certificates of the eligible similar works from the clients.
  - v. Certificates:
    - a. Registration certificate, if any
    - b. Certificate of Registration for GST.
    - c. PAN (Permanent Account Number) Registration
    - d. Certificates of Registration for EPF & ESIC
  - vi. FDR/DD/PO/BC of any Scheduled Bank against **EMD**.
  - vii.** Bank Guarantee of any Scheduled Bank against part of EMD, **if any**.
  - viii. Tender Acceptance letter **on bidder's letter head** as shown in Annexure **1**.

Note: During technical evaluation missing documents, if any, can be asked by inspection committee for submission.

**40. The Bidder is required to fill the following:**

- a) Techno-commercial Bid**
- b) Schedule - 'B' (Financial Bid)**

**Notes:**

1. Interested agencies may visit website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> for registration and BidSubmission.

2. निविदा दस्तावेजों से संबंधित सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क: (080)- 6717 6352, 2366353, 6354.
3. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी के लिए सहायता के लिए संपर्क करें:
  - क) 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क - (0120) 4001 002, (0120) 4001 005, (0120) 6277 787
  - ख) ईमेल [support-eproc@nic.in](mailto:support-eproc@nic.in) पर
4. साइट विजिट/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी  
To: [natarajang@ncbs.res.in](mailto:natarajang@ncbs.res.in),  
CC: [basavaraja@ncbs.re.sin](mailto:basavaraja@ncbs.re.sin)

-एसडी-  
प्रमुख-एसई एवं एम  
एनसीबीएस  
केंद्र निदेशक के लिए और उनकी ओर से

2. Contact for assistance/ clarifications related to tender documents: (080)- 6717 6352, 23666353, 6354.
3. Contact for assistance for registration and participation in e-Tendering:
  - a) 24x7 CPP Portal Helpdesk - (0120) 4001 002, (0120) 4001 005, (0120) 6277 787
  - b) email at [support-eproc@nic.in](mailto:support-eproc@nic.in)
4. Email Ids for sending request for Site visit / clarifications  
To: *natarajang@ncbs.res.in*,  
CC: *basavaraja@ncbs.re.sin*

-SD-  
Head SE&M  
NCBS

For and on behalf of the centre Director

निविदा स्वीकृति पत्र  
(कंपनी लेटर हेड पर दिया जाना है)

दिनांक:

To,

The Head-SE&M  
NCBS, GKVK campus,  
Bellary Road, Bangalore-560065.

**विषय: निविदा के नियमों और शर्तों की स्वीकृति।**

**निविदा संदर्भ संख्या:**

**निविदा/कार्य का नाम:**

प्रिय महोदय,

मैंने/हमने उपरोक्त उल्लिखित निविदा/कार्य के लिए वेब साइट (साइटों) से निविदा दस्तावेज डाउनलोड / प्राप्त किए हैं, अर्थात्: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> और [www.ncbs.res.in](http://www.ncbs.res.in) उपरोक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार।

1. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के संपूर्ण नियमों और शर्तों (सेड निविदा दस्तावेजों, अनुबंध (ओं), अनुसूची (ओं), शुद्धिपत्र (ओं), नागरिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए तकनीकी विनिर्देश, निर्माण सुरक्षा मैनुअल शामिल है) को पढ़ा है। कार्य अनुबंध आदि के लिए, एनसीबीएस वेबसाइट <https://www.ncbs.res.in/tenders> और [https://cpwd.gov.in/documents/cpwd\\_publication.aspx](https://cpwd.gov.in/documents/cpwd_publication.aspx) पर उपलब्ध अन्य सूचना अनुभाग आदि के तहत। ), जो अनुबंध समझौते का हिस्सा होगा और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।
2. आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुद्धिपत्र (कों) को भी इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखा गया है।
3. मैं/हम एतद्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों) की निविदा शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं / इसकी समग्रता/संपूर्णता में शुद्धिपत्र।
4. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट/डिबार नहीं किया गया है। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
5. मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सही है और इस स्थिति में कि जानकारी गलत / असत्य पाई जाती है या उल्लंघन पाई जाती है, तो आपका विभाग / संगठन बिना कोई नोटिस या कारण दिए या संक्षेप में अस्वीकार कर देगा। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सहित किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोली या अनुबंध को समाप्त करें।

भवदीय,  
(मुहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर)

**TENDER ACCEPTANCE LETTER  
(To be given on Company Letter Head)**

**Date:**

**To,**

The Head-SE&M  
NCBS, GKVK campus,  
Bellary Road, Bangalore-560065.

**Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.**

**Tender Reference No:**

**Name of Tender / Work: -**

Dear Sir,

I / We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned Tender / Work from the web site(s) namely: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> and [www.ncbs.res.in](http://www.ncbs.res.in) as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

1. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents (including CED Tender documents, annexure(s), schedule(s), corrigendum(s), Technical Specifications for Civil and Public Health works, Construction Safety Manual for Works Contract etc., available at NCBS website <https://www.ncbs.res.in/tenders> and [https://cpwd.gov.in/Documents/cpwd\\_publication.aspx](https://cpwd.gov.in/Documents/cpwd_publication.aspx) under Other Information section etc.), which will form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.
2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too have also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
3. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum (s) in its totality /entirety.
4. I / We do hereby declare that our Firm has not been blacklisted/ debarred by any Govt. Department/Public sector undertaking.
5. I / We certify that all information furnished by our Firm is true & correct and, in the event, that the information is found to be incorrect/untrue or found violated, then your department/ organization shall without giving any notice or reason therefore or summarily reject the bid or terminate the contract, without prejudice to any other rights or remedy including actions **as** taken by Department.

Yours Faithfully,  
**(Signature of the Bidder, with Seal)**

**बोलीदाताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन की विधि**

कार्य का नाम: “ एनसीबीएस परिसर, जीकेवीके बेंगलोर में 750 केवीए डीजी की स्थापना के लिए सिविल कार्य। ”

निविदा सूचना संख्या: NCBS/Maint(Civil)/671/NIT-216/2025 Dt. 01/12/2025.

निविदा में रखी गई अनुमानित राशि: रु.5.90 लाख

	विशेषताएँ		मूल्यांकन			
(i)	<b>वित्तीय ताकत</b>	<b>(20 अंक)</b>	(i) न्यूनतम पात्रता मानदंड के लिए 60% अंक			
	(क) औसत वार्षिक कारोबार (पिछले 3 वर्ष)	16 अंक	(ii) न्यूनतम पात्रता मानदंड या उससे दोगुने के लिए 100% अंक			
	(ख) बैंकर्स प्रमाण पत्र / निवल मूल्य प्रमाण पत्र	4 अंक	(i) और (ii) के बीच में - यथानुपात आधार पर			
(ii)	<b>समान श्रेणी के कार्यों में अनुभव</b>	<b>(20 अंक)</b>	(i) न्यूनतम पात्रता मानदंड के लिए 60% अंक			
			(ii) न्यूनतम पात्रता मानदंड या उससे दोगुने के लिए 100% अंक			
			(i) और (ii) के बीच में - यथानुपात आधार पर			
(iii)	<b>कार्यों पर कार्यनिष्पादन</b>					
	<b>समय से अधिक रन</b>	<b>(20 अंक)</b>				
	बिन्दुओं के लिए पैरामीटर गणना					
	यदि TOR =		1.00	2.00	3.00	>3.50
	(i) मुआवजे के उद्ग्रहण के बिना		20	15	10	10
	(ii) मुआवजे के उद्ग्रहण के साथ		20	5	0	-5
	(iii) मुआवजे का उद्ग्रहण तय नहीं किया गया		20	10	0	0
(iv)	<b>कार्यों का निष्पादन (गुणवत्ता)</b>	<b>(20 अंक)</b>				
	(i) बकाया		40			
	(ii) बहुत अच्छा		30			
	(iii) अच्छा/संतोषजनक		20			
	(iv) गरीब		0			

टिप्पणि: - योग्यता के लिए प्रत्येक विशेषता में न्यूनतम 50% अंक और न्यूनतम 60% के कुल अंक की आवश्यकता होती है।

**METHOD OF PERFORMANCE EVALUATION OF THE BIDDERS**

Name of work: “Civil works for installation of 750 KVA DG at NCBS campus, GKVK Bangalore”

TENDER NOTICE NO: NCBS/Maint(Civil)/671/NIT-216/2025 Dt. 01/12/2025.

Estimated amount put to tender: Rs.5.90 Lakhs

	Attributes	Marks distribution	Evaluation
(i)	<b>Financial Strength</b>	<b>(20 Marks)</b>	(i) 60% marks for minimum eligibility criteria
	(a) Average annual turn over (last 3 years)	16 Marks	(ii) 100% marks for twice the minimum eligibility criteria or more in between (i) & II) - on pro -rata basis
	(b) Bankers Certificate/Net worth certificate.	4 Marks	
(ii)	<b>Experience in similar class of works</b>	<b>(20 Marks)</b>	(i) 60% marks for minimum eligibility criteria
			(ii) 100% marks for twice the minimum eligibility criteria or more In between (i) & II) - on pro -rata basis
(iii)	<b>Performance on works (Time over run )</b>	<b>(20 Marks)</b>	
	<b>parameter Calculation for points</b>		<b>Score</b>
	If TOR=		1.00 2.00 3.00 > 3.50
	(i) Without Levy of compensation		20, 15, 10, 10
	(ii) With Levy of compensation		20, 5, 0, -5
	(iii) Levy of compensation not decided		20, 10, 0, 0
(iv)	<b>Performance of works(Quality)</b>	<b>( 40 Marks)</b>	This will be done from the existing clients of the work done submitted by the tenderers by NCBS committee.
	(i) Outstanding	<b>40</b>	
	(ii) Very Good	<b>30</b>	
	(iii) Good/Satisfactory	<b>20</b>	
	(iv) Poor	<b>0</b>	

**Note: - 1. Minimum of 50% of marks in each attributes and aggregate marks of minimum 60% is required for qualification.**

## खंड II

निविदा सूचना सं: NCBS/Maint(Civil)/671/NIT-216/2025 Dt. 01/12/2025.

### तकनीकी बोली

### वाणिज्यिक और अतिरिक्त शर्तें

#### 1.0 वाणिज्यिक शर्तें

#### 1.1 अनुबंध का प्रकार

इस निविदा द्वारा दिए जाने वाले कार्य को अविभाज्य कार्य अनुबंध माना जाएगा।

#### 1.2 निविदाएं प्रस्तुत करना और खोलना

##### 1.2.1 ई-निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

(क) तकनीकी विवरण, अनुबंध की शर्तें, निविदाकर्ता द्वारा अंडरटेकिंग।

1.2.2 ई-निविदा दस्तावेज जिसमें शामिल हैं। तकनीकी विवरण और केवल पात्र ठेकेदारों को निर्धारित प्रारूप में बयाना राशि के साथ आवेदन के खिलाफ भाग लेना और जो एनआईटी शर्तों के अनुसार योग्य हैं।

1.2.3 ई-निविदा दस्तावेज निविदाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित के साथ पूरा प्रस्तुत किया जाना होगा: - सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित कार्य की अनुसूची सहित वेबसाइट से डाउनलोड किए गए पूर्ण ई-निविदा दस्तावेज और तदनुसार अपलोड / प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

निविदाकर्ताओं को विभाग द्वारा प्रकाशित एसओक्यू/ई-निविदा दस्तावेज में ही अपनी दरें भरनी होंगी। निविदाएं जिनमें मूल्य विवरण किसी अन्य प्रारूप में दिया गया है, अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.2.4 राशन निविदाकर्ताओं को तकनीकी विनिर्देशों/वस्तुओं, वाणिज्यिक नियमों और एनआईटी की शर्तों जैसे भुगतान, गारंटी, मध्यस्थता खंड, वृद्धि आदि से विचलित नहीं होने की सलाह दी जाती है,

1.2.5 निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ई-निविदा दस्तावेज खोले जाएंगे।

1.2.6 विभाग द्वारा बोली की जांच/मूल्यांकन/सीएसटी की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्ता की बोली एनआईटी विनिर्देशों, आवश्यकताओं और/या किसी भी विचलन के अनुरूप नहीं है, तो विभाग निविदाकर्ता (ओं) को कोई संदर्भ दिए बिना ऐसी फर्म (ओं) की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## Section II

**TENDER NOTICE NO: NCBS/Maint(Civil)/671/NIT-216/2025 Dt. 01/12/2025.**

### **TECHNICAL BID**

#### **COMMERCIAL AND ADDITIONAL CONDITIONS**

#### **1.0 Commercial Conditions**

#### **1.1 Type of contract**

The work to be awarded by this tender shall be treated as indivisible work contract.

#### **1.2 Submission and Opening of Tenders**

1.2.1 The e-tender document is consisting following details:

(a) Technical details, conditions of contract, statutory obligations, undertaking by the tenderer.

1.2.2 e- Tender document consisting of. Technical details and to be participate against application accompanied with the earnest money in prescribed format to only eligible contractors and who are qualified as per NIT conditions.

1.2.3 The e- tender document will have to be submitted by the tenderers complete with the following:- Complete e- tender documents downloaded from the website including the schedule of work duly signed in token of acceptance of all terms and conditions and should be uploaded/submitted accordingly.

The tenderers will have to fill up their rates only in the SOQ/ e- tender document published by the Department. Tenders in which the price details are given in any other format are liable to be rejected.

1.2.4 The tenderers are advised not to deviate from the technical specifications/items, commercial terms and conditions of NIT like terms of payment, guarantee, arbitration clause, escalation etc,

1.2.5 The e- tender documents shall be opened as per NIT conditions, in the presence of tenderers or their authorized representatives.

1.2.6 Scrutiny/ evaluation/ CST of the bid shall be done by the department. In case it is found that the bid of a tenderer is not in line with the NIT specifications, requirements and / or contains any deviations, the department reserves right to reject the bid of such firm(s) without making any reference to the tenderer (s).

- 1.2.7 आवश्यक स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो विभाग द्वारा दिए गए समय के भीतर निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता को जब भी वांछित हो, विभाग के अधिकारी (अधिकारियों) के साथ चर्चा करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करना होगा। यदि विभाग की राय में एक निविदाकर्ता वांछित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में अनुचित लंबा समय ले रहा है, तो उसकी बोली बिना कोई संदर्भ दिए खारिज कर दी जाएगी।
- 1.2.8 सभी निविदाकर्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, विभाग यदि आवश्यक हो तो तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों/विनिर्देशों को संशोधित कर सकता है, और निविदाकर्ताओं को इसकी सूचना देगा, जिनकी बोलियां स्वीकार्य हैं। निविदाकर्ता को बोलियों को स्वीकार करने के बाद एक समय में किसी भी शर्त को वापस लेने या संशोधित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी और बोली खोलने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है जब तक कि तकनीकी विवरण पर बातचीत के दौरान उपाय के कारण संशोधित बोली की अनुमति नहीं दी जाती है।
- 1.2.9 ई-निविदा प्रभारी अभियंता द्वारा निविदाकारों के इच्छुक प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित होना चाहते हैं।
- 1.2.10 विभाग किसी भी या सभी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए नई कीमतें/निविदाएं मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 1.2.11 बोलियां वैधता  
निविदा दस्तावेज खोलने की तारीख से **75 दिनों** के लिए बोलियां वैध होंगी।
- 1.2.12 अनुबंध अवधि  
संस्थान के साथ अनुबंध दो महीने (2 महीने) की अवधि के लिए है। यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो संस्थान अनुबंध अवधि की पेंडेंसी के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**नोट:**

यदि बोली अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो वही लिखित रूप में होना चाहिए। निविदाकर्ता से स्पष्टीकरण और एनसीबी से स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया दोनों लिखित रूप में होनी चाहिए और ऐसे सभी पत्राचार ई-निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

केंद्र निदेशक, एनसीबी सबसे कम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है, और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या कार्यों के कुछ हिस्सों को बिना कोई कारण बताए विभिन्न एजेंसियों को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- 1.2.7 Necessary clarifications if any required by the department shall have to be furnished by the tenderer within the time given by the department for the same. The tenderer will have to depute his representative to discuss with the officer(s) of the department as and when so desired. In case, in the opinion of the department a tenderer is taking undue long time in furnishing the desired clarifications, his bid will be rejected without making any reference.
- 1.2.8 After obtaining clarifications from all the tenderers, the department may modify the technical & commercial conditions / specifications if required, and will intimate the same to the tenderers, whose bids are acceptable. A tenderer will also not be allowed to withdraw or modify any condition at a time after the bids have been accepted and the decision to open the bids has been taken by the department unless revised bid is allowed due to measure changes made during negotiations on technical details.
- 1.2.9 The e-tender will be opened by the Engineer-in-charge in the presence of the interested representative of the tenderers who wish to present.
- 1.2.10 The department reserves the right to reject any or all the price bids and call for fresh prices/ tenders as the case may be without assigning any reason.

1.2.11 Bids Validity

Bids shall be valid for **75 days** from the date of opening of Tenderdocument.

1.2.12 Contract period

The contract with the Institute is for a period of Two months (2 months). The Institute reserves the right to terminate the Contract during the pendency of the Contract period if the performance is found unsatisfactory.

**NOTE:**

If clarifications are sought by the contractor during the bidding period, the same should be in writing. Both the clarifications from the tenderer and the response to the clarifications from **NCBS** should be in writing and all such correspondences should be enclosed along with **e- tender document**.

Centre Director, NCBS does not bind herself / himself to accept the lowest or any other tender, and reserves the authority to reject any or all the tenders or to allot parts of the works to different agencies without assigning any reason thereof.

## फॉर्म "बी"

### अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित करना है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मेसर्स / श्री-  
..... मामूली रूप से नोट किया गया  
पता....., हमारे बैंक के ग्राहक के रूप में सम्मानजनक हैं / हैं और रुपये की सीमा तक  
किसी भी सगाई के लिए अच्छे के रूप में माना जा सकता है .....

(रुपये.....)

यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर किसी भी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

बैंक(हस्ताक्षर) के लिए

1. बैंकर प्रमाण पत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, निविदा प्राधिकरण को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

## फॉर्म "बी-1"

### चार्टर्ड एकाउंटेंट से नेट वर्थ के प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म

"यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते के अनुसार....., मेसर्स की निवल संपत्ति ....., (व्यक्तिगत/फर्म/कंपनी का नाम और पंजीकृत पता), यथा दिनांक के रूप में..... (प्रासंगिक दिनांक) रु. सभी देनदारियों पर विचार करने के बाद ..... यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी की निवल संपत्ति (प्रासंगिक तिथि) को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में 30% से अधिक नहीं हुई है। विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन).....

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर.....

चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम .....

सदस्यता सं. आईसीएआई

तारीख और मुहर

**FORM "B"**

**BANKERS' CERTIFICATE FROM A SCHEDULED BANK**

This is to certify that to the best of our knowledge and information that M/s./Sh .....  
.....having marginally noted address, ..... as a Customer of  
our bank are/ is respectable and can be treated as good for any engagement upto a limit of  
Rs..... (Rupees. ....)

This certificate is issued without any guarantee or responsibility on the bank or any of the officers.

(Signature) For the Bank

1. Bankers Certificates should be on letter head of the Bank, addressed to tendering authority.
2. In case of Partnership firm, certificate should include names of all partners as recorded with the Bank.

**FORM "B-1"**

**FORM FOR CERTIFICATE OF NET WORTH FROM CHARTERED ACCOUNTANT**

"It is to certify that as per the audited balance sheet and profit & loss account during the financial year  
....., the Net Worth of M/s ..... (Name & Registered Address of  
individual/firm/ company), as on..... (The relevant Date) is Rs.  
..... after considering all liabilities. It is further certified that the Net Worth of the company  
has not eroded by more than 30 % in the last three years ending on (the relevant date)." Unique  
Document Identification Number (UDIN).....

Signature of Chartered Accountant.....

Name of Chartered Accountant.....

Membership No. of ICAI

Date and Seal

**नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज  
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च  
जीकेवीके परिसर, बेल्लारी रोड, बैंगलोर - 560065।**

**संविदा का दायरा**

- 1.1 ठेकेदार, कुछ समय के लिए, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, जी के वी के परिसर, बेल्लारी रोड, बैंगलोर - 560 065 में सेवाएं प्रदान करेगा और निम्नलिखित विवरण में निर्धारित विवरण के अनुसार
  - क) कार्य का दायरा
  - बी) सामान्य नियम और शर्तें।
  - ग) विचलन की अनुसूची
  - घ) वैधानिक दायित्व।
  - ई) अनुसूची का प्रदर्शन
- 1.2 एक बार कार्य आदेश जारी होने के बाद, ठेकेदार को इस उद्देश्य (अभियंता-प्रभारी) या उसके अधिकृत नामांकित व्यक्ति के लिए नामित अभियंता से निर्देश प्राप्त होंगे और ठेकेदार इसके द्वारा अपने किसी भी सुझाव/निर्देश आदि का पालन करने का वचन देता है। जहां तक इस अनुबंध में शामिल सेवाओं का संबंध है।
- 1.3 कार्य मात्रा की अनुसूची के अनुसार आवश्यक रूप से किया जाना है। अन्य सभी नियम और शर्तें, कार्य विवरण आदि। जैसा कि निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, का पालन किया जाना चाहिए।
- 1.4 संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किया जाएगा।

**2. कार्य की गुणवत्ता और दायरा विवरण:**

- 2.1 ठेकेदार एक अच्छे असर वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और बारी आउट के उच्च मानकों को बनाए रखेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को बनाए रखेगा कि किसी भी कारण से किसी भी सेवा पर रोक न हो। तैनात कर्मचारियों की संख्या में किसी भी कमी से संस्थान द्वारा तय किए गए मुआवजे से दंडात्मक कटौती होगी। जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, सफल ठेकेदार उन्हें जारी नियुक्ति आदेश की प्रति के साथ अपने कामगारों/पर्यवेक्षकों/अन्य की एक सूची प्रस्तुत करेगा। जब भी पोस्ट किए गए कर्मचारियों में कोई बदलाव होता है, तो एक संशोधित सूची नए नियुक्त/नियुक्त व्यक्तियों को जारी नियुक्ति आदेश की प्रति के साथ एक साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- 2.2 यह आम तौर पर दोनों पक्षों के बीच समझा और सहमति व्यक्त की जाती है कि संस्थान किसी भी कानून के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या उत्तरदायी नहीं होगा जो ठेकेदार द्वारा लगे कर्मियों के संबंध में समय-समय पर लागू हो सकता है और वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा उनकी सेवाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वैधानिक आवश्यकता, आदि के नियमों और शर्तों के लिए।
- 2.3 ठेकेदार को प्रस्तावित अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना होगा, जो साइट पर उपलब्ध रहेंगे, अनुबंध कर्मचारियों की निगरानी करेंगे और निर्धारित सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दैनिक/साप्ताहिक आधार पर इंजीनियर-इन-चार्ज के साथ समन्वय करेंगे।

**National Centre for biological sciences  
Tata institute of fundamental Research  
GKVK CAMPUS, BELLARY ROAD, BANGALORE - 560065.**

**Scope of Contract**

- 1.1 The Contractor will, for the time being, provide services at National Centre for Biological Sciences, G K V K Campus, Bellary Road, Bangalore – 560 065 and as per the details laid down in the following details
  - a) Scope of work
  - b) General Terms and conditions.
  - c) Schedule of Deviations
  - d) Statutory Obligation.
  - e) Performa of Schedule
- 1.2. Once the Work Order is issued, the Contractor will receive instructions from an Engineer designated for this purpose (Engineer-in-Charge) or his authorized nominee and the Contractor hereby undertakes to abide by his/her any suggestions/instructions, etc. as regards services covered in this contract.
- 1.3 The work is to be carried out as required as per schedule of quantity. All other terms and conditions, work details etc. as mentioned in the tender document should be followed.
- 1.4 The work will be carried out as per the requirements of the Institute.

**2. Quality and scope of works Details:**

- 2.1 The Contractor shall appoint trained staff having a good bearing and maintain high standards of turn out, maintain adequate staff to ensure there is no hold up of any service for any reason whatsoever. Any deficiency in the number of staffs deployed will entail penal reduction from the compensation payable as decided by the Institute. The successful Contractor as soon as the agreement is signed shall submit a list of their workmen / supervisor/ others along with copy of appointment order issued to them. As and when there is a change in the staff posted, a revised list shall be submitted along with copy of appointment order issued to the new appointee/ appointees, simultaneously.
- 2.2 It is normally understood and agreed between both the parties that Institute will not be responsible or be liable for any laws that are in force / that may come into force from time to time in respect of personnel engaged by the Contractor and he will be solely responsible for the terms and conditions of their services, safety, health, statutory requirement, etc.
- 2.3 The Contractor shall depute such officers and supervisors as proposed by him, who shall be available on site to supervise the Contract employees and interact on daily/weekly basis with Engineer-in-Charge regarding delivering the specified services.

- 2.4 यह समझा जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि ठेकेदार को अपने कर्मचारियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी अनुशासनात्मक मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ठेकेदार उन कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जो केंद्र के परिसर में या यहां संदर्भित सेवाओं के संबंध में अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य में लिप्त पाए जाते हैं।
- 2.5 कार्य ठेकेदार अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के लिए उचित और विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखेगा और अनुबंध श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ईएसआई अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी रिकॉर्ड और रिटर्न को भी बनाए रखेगा, पीएफ अधिनियम, आदि, जैसा कि प्रासंगिक और समय-समय पर लागू होता है।
- 2.6 ठेकेदार इस समझौते से उत्पन्न होने वाली सभी कानूनी और वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और यहां संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में ठेकेदार द्वारा लगे कर्मचारियों के संबंध में।
- 2.7 यह स्पष्ट रूप से समझा और सहमत है कि न तो ठेकेदार और न ही अनुबंध कर्मचारियों का किसी भी समय संस्थान के साथ रोजगार पर कोई दावा होगा और न ही यह व्यवस्था विशुद्ध रूप से ठेकेदार और संस्थान के बीच निर्दिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट सेवाओं के लिए होगी।
- 2.8 सफल ठेकेदार इस निविदा से उत्पन्न होने वाले सभी दावों/हानियों के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति देगा/समझा जाएगा। ठेकेदार को कार्य आदेश दिए जाने के बाद किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी दावे के खिलाफ संस्थान की क्षतिपूर्ति माना जाता है। यदि संस्थान को इस निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कारणों से किसी भी व्यक्ति, वैधानिक निकाय या किसी एजेंसी का भुगतान करना पड़ता है, तो ठेकेदार केवल ऐसे दावे / क्षति का भुगतान करेगा और भले ही संस्थान को भुगतान करने के लिए कहा गया हो, ऐसी क्षति / दंड और या लागत ठेकेदार के बकाया / देय राशि से वसूल की जाएगी या एनसीबी से मांग पर ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- 2.9 ठेकेदार इस निविदा को कवर करने वाले सभी पहलुओं पर एनसीबी में समय-समय पर मौजूद या तैयार किए जा सकने वाले सभी नियमों का पालन करेगा। सामग्री आंदोलन, कर्मियों का प्रवेश/निकास, पहचान पत्र, सुरक्षा, आदि। समय-समय पर संशोधित एनसीबी में मौजूद प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।

### 3. कार्यकाल और समाप्ति

- 3.1 अनुबंध की 02 महीने (दो महीने) की अवधि के लिए है। यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो संस्थान अनुबंध अवधि की पेंडेंसी के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 3.2 नीचे दिए गए खंड 3.6 को छोड़कर, अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि नोटिस की अवधि नहीं दी जाती है या यदि ठेकेदार द्वारा कम नोटिस दिया जाता है, तो पूरी सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। ठेकेदार को अनुबंधित सेवाओं को बनाए रखने के लिए संस्थान द्वारा किए गए किसी भी अन्य लागत और/या नुकसान को इस तरह के अल्प सूचना के कारण ठेकेदार को देय बकाया राशि से काट लिया जाएगा, या ठेकेदार द्वारा मांग पर भुगतान किया जाएगा यदि ऐसी बकाया राशि से कम हो जाती है ऐसी लागत।

- 2.4 It is understood and agreed that the Contractor will be held responsible for any disciplinary matters arising out of their employees and the Contractor will take appropriate disciplinary action against those employees found indulging in any act of indiscipline in Center's premises or in connection with the services referred to herein.  
The Contractor will immediately replace any employee found to be unfit in any manner immediately or on receipt of advice from any authorized person in NCBS.
- 2.5 The Contractor shall maintain proper and detailed record for the job carried out by their employees and shall also maintain all records and returns as necessary for carrying out the work smoothly and as provided under the Contract Labour Act, Minimum Wages Act, ESI Act, PF Act, etc, as relevant and applicable from time to time.
- 2.6 The Contractor shall be solely responsible to comply with all legal and statutory requirements that arise out of this agreement and in respect of the employees engaged by the Contractor in fulfillment of the contractual obligations stated herein.
- 2.7 It is clearly understood and agreed upon that neither the Contractor nor Contractor employees shall have any claim on employment with Institute at any point of time nor this arrangement is purely between the Contractor and the Institute for specific services for the period specified.
- 2.8 The successful Contractor shall indemnify/deemed to have indemnified the Institute for all claims/losses arising out of this tender. The Contractor is deemed to have indemnified the Institute against any claim by any authority once the work order is awarded. In the event the Institute has to pay any individual, statutory body or any agency for reasons directly or indirectly attributable to this tender, the Contractor only shall pay such claim/damages and even if the Institute is called upon to pay, such damages/penalties and or cost shall be recovered from the contractor's dues /amount payable or shall be paid by the Contractor on demand from NCBS.
- 2.9 The Contractor shall follow all rules as may be existing or may be framed from time to time at NCBS on all aspects covering this tender. Material movement, entry/exit of personnel, identity card, safety, etc. shall be according to procedures existing in NCBS as amended from time to time.

### **3. Tenure & Termination**

- 3.1 The period of contract is for 2 months (Two months). The Institute reserves the right to terminate the Contract during the pendency of the Contract period if the performance is found unsatisfactory.
- 3.2 Except as provided in Clause 3.6 below, the Contract could be terminated by either side by giving one month's notice in writing. If the notice period is not given or if a shorter notice is given by the Contractor, the entire security deposit would be forfeited. Any other costs and / or damages incurred by the Institute to maintain the services contracted to the Contractor, on account of such short notice will be deducted from the dues payable to the Contractor, or shall be paid by the Contractor on demand if such dues fall short of such costs.

- 3.3 निविदा में निर्दिष्ट अनुबंध अवधि के भीतर ऐसे अनुबंधों के संदर्भ में अनुबंध को पूरा करने में विफलता के मामले में काम करना और अनुबंध में शामिल किया गया है और यदि ऐसा संस्थान द्वारा किसी भी पार्टी से उच्च दर पर किया जाता है तो ठेकेदार संस्थान को मौजूदा दर और नए अनुबंध की दर के बीच अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 3.4 **जोखिम खंड:** इसमें अन्य शर्तों के बावजूद, संस्थान अपने विकल्प पर होगा अनुबंध को समाप्त करने और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कहीं और से सेवा का लाभ उठाने का हकदार या तो पूरा अनुबंध या कोई भी हिस्सा जिसे ठेकेदार संस्थान की राय में निर्धारित समय के भीतर करने में विफल रहा है या यदि वही प्रदर्शन उपलब्ध नहीं है, तो सबसे अच्छा और निकटतम उपलब्ध स्थान। ठेकेदार किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा जिसे संस्थान दंड के अलावा ऐसे जोखिम के कारण बनाए रख सकता है।
- 3.5 **संविदा का दिवालियापन और उल्लंघन:** संस्थान किसी भी समय, लिखित सूचना द्वारा निम्नलिखित घटनाओं में ठेकेदार को मुआवजे के बिना अनुबंध को संक्षेप में समाप्त कर सकता है:
- (क) यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या एक फर्म है यदि ठेकेदार की फर्म में किसी भी भागीदार को दिवालिया घोषित किया जाएगा या उसके खिलाफ की गई उसकी संपत्ति के प्रशासन के लिए एक प्राप्त आदेश या आदेश होगा या परिसमापन या संरचना के लिए कोई कार्यवाही करेगा। कुछ समय के लिए लागू दिवाला अधिनियम के तहत या उसके प्रभावों का कोई हस्तांतरण या असाइनमेंट या उसके लेनदारों के साथ व्यवस्था या संरचना या भुगतान निलंबित करें, या यदि फर्म को साझेदारी अधिनियम के तहत भंग कर दिया गया है, या
- (ख) यदि ठेकेदार एक प्रस्ताव पारित करेगा या अदालत अपने मामलों के परिसमापन के लिए एक आदेश देगी या डिबेंचर धारकों की ओर से एक रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा या परिस्थिति उत्पन्न होगी जो अदालत या डिबेंचर धारकों को एक रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती है, या
- (ग) यदि ठेकेदार अनुबंध का कोई उल्लंघन करता है जो विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है, तो हमेशा इस तरह के निर्धारण से कार्रवाई या उपाय के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो तब अर्जित किया जाएगा या उसके बाद संस्थान को अर्जित किया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार संस्थान को किसी भी अतिरिक्त व्यय के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उसे दिया जाता है लेकिन फिर से निविदा पर किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा।
- (घ) ठेकेदार द्वारा कर्तव्यों के अपर्याप्त या असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में, संस्थान को अपनी ओर से डिफ़ॉल्ट (ओं) को ठेकेदार के ध्यान में लाने का अधिकार होगा और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त डिफ़ॉल्ट (ओं) को दोहराया गया है / नहीं है और / या विधिवत रूप से ठीक किया गया है, उक्त नोटिस की प्राप्ति से तीन दिनों की अवधि के भीतर। इस तरह की उपचारात्मक कार्रवाई में विफल रहने पर, या उक्त डिफ़ॉल्ट (ओं) के अपर्याप्त रूप से सही होने की स्थिति में, संस्थान को समझौते को तुरंत समाप्त करने का अधिकार होगा।

- 3.3 In the case of failure to complete the contract in terms of such contracts within the contract period specified in the tender and incorporated in the contract and if such work is got done by the Institute from any party at a higher rate the Contractor shall be liable to pay the Institute the difference between existing rate and the rate of the new Contract.
- 3.4 **Risk Clause:** Notwithstanding the other terms therein, the Institute at its option will be entitled to terminate the contract and to avail service from elsewhere at the risk and cost of contractor either the whole of the contract or any part which the contractor has failed to perform in the opinion of the Institute within the time stipulated or if the same performance is not available, the best and the nearest available substitute thereof. The contractor shall be liable for any loss which the Institute may sustain by reason of such risk in addition to penalty.
- 3.5 **Insolvency and breach of contract:** The Institute may, at any time, by notice in writing summarily terminate the contract without compensation to the Contractor in any of the following events:
- (a) If the Contractor being an individual or a firm if any partner in the contractor's firm shall be adjudged insolvent or shall have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition under any insolvency act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or enter into an arrangement or composition with his creditors or suspend payment, or if the firm be dissolved under the Partnership Act, or
  - (b) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order for the liquidation of its affairs or a receiver or manager on behalf of the debenture holders shall be appointed or circumstance shall have arisen which entitle the court or debenture holders to appoint a receiver or manager, or
  - (c) If the contractor commits any breach of contract not herein specifically provided always that such determination shall not prejudice any right of action or remedy which shall have then accrued or shall accrue thereafter to the Institute provided also that the contractor shall be liable to pay the Institute for any extra expenditure he is thereby put to but shall not be entitled to any gain on re-tender.
  - (d) In the event of inadequate or unsatisfactory performance of duties by the Contractor, the Institute shall have the right to bring to the notice of the Contractor the default (s) on their part and the Contractor shall ensure that the said default (s) is / are not repeated and/or are duly remedied, within a period of three days from the receipt of the said notice. Failing such remedial action, or in the event of the said default (s)'s being inadequately corrected, the Institute shall have the right to immediately terminate the agreement.

3.6 यदि ठेकेदार या अनुबंध कर्मचारियों द्वारा कोई कार्य या चूक होती है जो संस्थान की सुरक्षा/सुरक्षा को खतरे में डालती है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

क) एनसीबी की संपत्ति की चोरी या चोरी

बी) आग लगना, बाढ़, टूटना या क्षति

ग) परिसर में हिंसा या शारीरिक हमला

घ) कोई भी कार्य या घटना जो एनसीबी के हितों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है - अनुबंध बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार लगाया जाएगा

दंड, जैसा कि डीमड प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त है। संस्थान निदेशक का निर्णय ऐसे मामलों में अंतिम होगा।

#### 4. भुगतान की शर्तें:

4.1.1 ठेकेदार प्रत्येक कैलेंडर माह के पूरा होने के बाद बिल प्रस्तुत करेगा और आम तौर पर बिल जमा करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान जारी किया जाएगा यदि बिल सभी प्रकार से पूर्ण और सही है।

4.1.2 प्रभारी अभियंता ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में किसी भी कमी के लिए ठेकेदार को देय राशि से संस्थान निदेशक द्वारा निर्धारित किसी भी राशि की कटौती करने के लिए अधिकृत है।

4.1.3 ठेकेदार के बिल का भुगतान आम तौर पर प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते कि दावा सभी मामलों में और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार उचित पाया जाए। सभी भुगतान समय-समय पर लागू स्रोत पर करें और शुल्कों की कटौती के बाद किए जाएंगे।

4.1.4 अंतिम बिल के भुगतान के 90 दिनों के भीतर ऐसी मांग नहीं की जाती है तो किसी भी विसंगति या दोष या छोटे दावे के संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा।

4.2 जब तक ठेकेदार द्वारा श्रम अधिकारी से निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक सुरक्षा वापस नहीं की जाएगी। हालांकि, यदि निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वास्तविक कठिनाई होती है, तो इंजीनियर-इन-चार्ज सुरक्षा जमा जारी करने से पहले श्रम अधिकारी का संदर्भ देगा। यदि इस तरह के संदर्भ की तारीख से 1 महीने की उचित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अभियंता-प्रभारी अपने विवेक के आधार पर रिहा करने का निर्णय ले सकता है।

4.3 दर काम करती है, क्योंकि यह एक आइटम अनुबंध है, ठेकेदार के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्धृत दर में सभी कर और शुल्क आदि शामिल होंगे।

- 3.6 Not with standing any other clause herein, if there is any act or omission by the Contractor or the Contract employees which jeopardizes the safety / security of the Institute including, but not limited to:
- a) Theft or pilferage of property of NCBS
  - b) Fire, flooding, breakage or damage
  - c) Violence or physical attack on the Campus
  - d) Any act or incident which may prove detrimental to the interests of NCBS - the contract would be terminated without any notice. Further, the Contractor would be levied

Penalties, as appropriate by the deemed authority. The decision of the Institute Director shall be final in such matters.

#### **4. Payment Terms:**

- 4.1.1 The contractor shall submit bills after the completion of every calendar month and normally payment will be released within 15 working days from the date of submission of bill if the bill is complete and correct in all respects.
- 4.1.2 The Engineer-in-Charge is authorized to deduct any amounts as determined by the Institute Director from the amounts due to the Contractor for any deficiency in services, provided by the Contractor.
- 4.1.3 Payment of Contractor's bill shall normally be made within 15 days of submission subject to the claim being found proper in all respects and in accordance with the terms and conditions of the contract. All payments will be made after deduction of taxes and duties at source as applicable from time to time.
- 4.1.4 No claims will be entertained in respect of any discrepancy or defect or short claim if such demand is not made within 90 days of payment of the final bill.
- 4.2 Security Deposit will not be refunded till clearance certificate from labour officer is obtained by Contractor. However, if there is genuine difficulty to obtain a clearance certificate, Engineer-in-Charge will make a reference to Labour Officer before releasing Security Deposit. If no reply is received within a reasonable period, say 1 month from the date of such reference then Engineer-In-Charge may make his decision to release based on his discretion.
- 4.3 Since, it is a Item Rate Works Contract, it is important for the Contractor to note that the rate quoted shall be inclusive of all taxes and duties etc.

- 4.4 ठेकेदार सेवा में किसी भी कमी (मूर्त और अमूर्त दोनों) के लिए संस्थान द्वारा किए गए किसी भी दावे का भुगतान करेगा। ऐसी राशि ठेकेदार को देय बिलों से भी काटी जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संस्थान को ठेकेदार के कारण किसी भी देय / क्षति के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार होगा। यदि ठेकेदार की सुरक्षा जमा या बकाया बिल अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो ऐसी मौद्रिक वसूली इस या किसी अन्य अनुबंध के खिलाफ ठेकेदार को देय किसी भी राशि से प्रभावित होगी जब तक कि संस्थान की बकाया राशि पूरी तरह से तय नहीं हो जाती। यदि संस्थान के दावे को इस तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ठेकेदार ऐसे सभी दावों का भुगतान करेगा यदि एनसीबी द्वारा मांग की जाती है।
- 4.5 अनुबंध, यह एक कार्य है, प्रत्येक आइटम के लिए ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर सभी को शामिल करती है अर्थात् सामग्री, मजदूरी, पीएफ, ईएसआई, बोनस और जीएसटी कुछ भी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। हालांकि, ठेकेदारों को मासिक आधार पर निम्नानुसार उत्पादन करना अनिवार्य है।

## 5. सुरक्षा, सुरक्षा और बीमा

- 5.1 ठेकेदार संस्थान के सभी सुरक्षा नियमों और ठेकेदार के कार्मिक पहचान पत्र, सामग्री आंदोलन, आदि के संबंध में समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा।
- 5.2 समझौते के लंबित रहने के दौरान, ठेकेदार किसी भी नुकसान, कार्यों के निर्माण की हानि, निर्माण, संयंत्र और मशीनरी, व्यक्ति, संपत्ति आदि के लिए सभी संबंधितों को पूरी तरह से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। समझौते के कारण होने वाले कारणों के कारण उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के जोखिमों सहित। संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित मूल्य का कर्मचारी देयता बीमा लेगा। इसे समय-समय पर संशोधित कामगार मुआवजा अधिनियम, 1928 के तहत सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को पर्याप्त रूप से कवर किया जाना चाहिए। काम शुरू करने से पहले, ठेकेदार मूल बीमा पॉलिसी और संस्थान पर लागू श्रमिकों के लाइसेंस का उत्पादन करेगा।

## 6. प्रकीर्ण

- 6.1 अनुसूची में उल्लिखित कार्य केवल सांकेतिक है। संस्थान के पास काम की मात्रा बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। ठेकेदार समझौते की अवधि के दौरान समान नियमों और शर्तों और दरों पर काम निष्पादित करेगा।
- 6.2 शिकायतें ठेकेदार या उसके पर्यवेक्षक हर दिन संस्थान के नामित अधिकारी से मुलाकात करेंगे ताकि उपस्थित होने वाले मुद्दों / शिकायतों का विवरण प्राप्त किया जा सके और इन शिकायतों पर ध्यान देने के बाद, संबंधित अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.4 The Contractor shall pay any claim made by the Institute for any deficiency (both tangible and intangible) in service. Such amount may also be deducted from bills payable to the Contractor. It may be noted that the Institute shall have the right to forfeit the Security Deposit in full or part for any due/damages caused by the Contractor. If the Security Deposit or outstanding bills of the Contractor is found inadequate, then such monetary recoveries shall be affected from any amount payable to the Contractor against this or any other contract until the dues of the Institute are fully settled. If the claim of the Institute could not be met in this manner, the Contractor shall pay up all such claims if a demand is made by NCBS.

4.5 Since, it is a works contract, the rate quoted by the contractor for each item is inclusive of all i.e. Materials, Wages, PF, ESI, Bonus and GST nothing shall be reimbursed extra. However, contractors are mandatory to produce on monthly wise as below.

## **5. Safety, Security and Insurance**

5.1 The Contractor shall follow all security rules of the Institute and instructions received from time to time regarding personnel identity cards, material movement, etc, of the Contractor.

5.2 During the pendency of the agreement, the contractor shall be liable fully to compensate all concerned for any loss, damage of construction of works, construction, plant & machinery, person, property, etc. including third party risks arising due to causes attributable to the agreement. The decision of the Institute Director will be final & will be binding on both parties.

The contractor shall take Employees Liability Insurance of prescribed value for their employees. It must be adequately covered all employees/workers under Workmen Compensation Act, 1928 as amended from time to time. Before starting the work, the Contractor shall produce the original insurance policy and the license of the workers where applicable to the Institute.

## **6. Miscellaneous**

6.1 The work mentioned in the schedule is only indicative. The Institute reserves the right to increase or decrease the quantum of work. The contractor shall execute the work on the same terms and conditions and rates throughout the period of agreement.

6.2 The contractor or his supervisor shall meet the designated Officer of the Institute every day to receive the details of issues / complaints to be attended and after attending to these complaints, a report on the same has to be submitted to the concerned Officer.

## **7. विवाद और समाधान**

- 7.1 पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेदों को संस्थान के निदेशक या उसके नामांकित व्यक्तियों की एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और ठेकेदार को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में निदेशक या उसके नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान बेंगलूर और कोई अन्य स्थान नहीं होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान समय-समय पर संशोधित/लागू होंगे। बंगलूर के न्यायालयों को पक्षकारों के बीच किसी भी या सभी विवादों से निपटने के लिए अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

## **8. दस्तावेजों की प्रधानता**

निविदा दस्तावेज, बाद में संचार आदान-प्रदान और कार्य आदेश के साथ-साथ सभी अनुबंध इस समझौते का हिस्सा और पार्सल होंगे। यदि उपरोक्त दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में विवरण कार्य आदेश के बाद जारी संचार के लिए प्रधानता के साथ लागू होगा, किसी भी पूर्व-आदेश पत्राचार को संयुक्त रूप से स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद कार्य आदेश, निविदा दस्तावेज और उसके अनुबंध, यानी निविदा दस्तावेजों और अनुलग्नकों में कम से कम प्राथमिक है, यदि कोई खंड या विवरण बोली खोलने के बाद संचार द्वारा अधिक्रमित किया गया है यदि संयुक्त रूप से स्वीकार किया जाता है, तो कार्य आदेश या ठेकेदार को बाद में संचार।

## **9. कार्य आदेश/समझौते में संशोधन:**

कार्य आदेश/समझौते में कोई भी संशोधन तभी मान्य होगा जब दोनों पक्ष दोनों पक्षों के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित रूप में ऐसे संशोधन (संशोधनों) पर सहमत हों।

## **7. Dispute and Resolution**

7.1 Any dispute or differences that may arise between the parties shall be referred to the sole arbitration of the Institute Director or his nominees and the Contractor shall have no right to object to the appointment of the Director or his nominee as the sole arbitrator. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the parties. The venue for arbitration shall be Bangalore and no other place. The provisions of the Arbitration and Conciliation act, 1996 as / amended from time to time shall apply. The courts in Bangalore shall have exclusive jurisdiction to deal with any or all disputes between the parties.

## **8. Primacy of Documents**

The tender documents, subsequent communication exchanged and the work order as well as all annexure shall be part and parcel of this agreement. If there is any discrepancy between the above documents, the statement in the following documents will apply with primacy for communications issued after the work order, any pre-order correspondence as accepted jointly, followed by work order, tender documents and annexure thereof, i.e. tender documents and annexures have least primary, if any clause or detail there has been superseded by communication after the opening of bids if jointly accepted, work order or subsequent communication to the Contractor.

## **9. Amendments to Work Order / Agreement:**

Any amendment to the Work Order/agreement shall be valid only if both parties have agreed to such amendment(s) in writing duly authenticated by authorized personnel of both parties.

### खंड III

#### कार्य का दायरा

एनसीबीएस परिसर, जीकेवीके बैंगलोर में 750 केवीए डीजी की स्थापना के लिए सिविल कार्य।

#### निविदा उदधत करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश

##### कार्य के दायरे की सामान्य शर्तें:

सभी कार्य प्रासंगिक सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों और भारतीय मानकों के अनुसार और मानक विनिर्देशों के अनुसार, सभी घटक, सहायक उपकरण, उप-असेंबली, असेंबली आदि। जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कुर्की या भाग हैं। कोई भी अन्य कार्य जो आकस्मिक या उपरोक्त का हिस्सा है, लेकिन विशेष रूप से नहीं बताया गया है, उसे भी दायरे में शामिल किया जाएगा।

1. उपरोक्त कार्य करने के लिए ठेकेदार को काम करने के लिए उपकरणों, टैकल और माप उपकरण, मीटर मापने, सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।
2. एनसीबीएस एक अनुसंधान संस्थान है और इसमें महत्वपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता है। कृपया ध्यान दें कि काम इस तरह से होना चाहिए कि ये उपयोगकर्ता के लिए कोई बाधा न हो।
3. बारिश आदि जैसे आपातकालीन कार्यों में, मानव शक्ति को चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है।
4. ठेकेदारों को कार्यों को संभालने में अनुभव रखने वाले सिविल कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए और ड्राइंग पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए और शूटिंग और सुधार को परेशान करने में सक्षम होना चाहिए।
5. सभी श्रम और विशेषज्ञता कार्य के दायरे में शामिल हैं। नियमित दस्तावेजी और निवारक रखरखाव, यदि कोई हो, करने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. सभी सुनिश्चित कार्यों में तुरंत भाग लिया जाना चाहिए, यदि आवृत्ति/कार्य की अधिक जनशक्ति की मांग होती है, तो ठेकेदार अतिरिक्त जनशक्ति की व्यवस्था करेगा ताकि अनुसंधान गतिविधियों को बाधित न किया जा सके। अतिरिक्त श्रम शक्ति के लिए भुगतान हाल के संशोधन और ठेकेदार लाभ के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अतिरिक्त किया जाएगा।
7. ठेकेदार काम और कार्य बल की निरंतरता, सही परेशानी शूटिंग, अच्छे कामगार जहाज सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगा और स्वस्थ वातावरण और विश्वसनीय सेवाओं को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा।
8. यह विशुद्ध रूप से ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को साइट की स्थिति, विनिर्देशों के अनुसार कार्य का निष्पादन, संचालन और रखरखाव प्रक्रिया यदि कोई हो, उपकरण विवरण, सुरक्षा उपकरण, कार्य का दायरा आदि से परिचित कराए।

### **Section- III**

#### **SCOPE OF WORK**

##### **Civil works for installation of 750 KVA DG at NCBS campus, GKVK Bangalore**

#### **General Guidelines for Quoting the Tender**

##### **General Conditions of scope of work:**

All works to be carried out in accordance with relevant CPWD specifications and Indian Standards and as per standard specifications, all the components, accessories, Sub-Assembly, assemblies etc. Which are attachments or parts needed for the purpose. Any other work which are incidental or part of the above, but not specifically spelt out will also be included in the scope.

1. For carrying out above job the contractor has to make his own arrangements for tools, tackles and measuring equipment, measuring meters, safety and protective devices for carrying out the work.
2. NCBS is a research institute and has critical man power requirement. Please note work should be in such a way that these shall not be any hindrance to user.
3. At an emergency works like during rain etc., man power has to work round the clock.
4. Contractors should deploy civil staff having experience in handling works and have ability to read drawing and capable of trouble shooting and rectification.
5. All the labours and expertise are included in the scope of work. No extra payment will be made for carrying out routine documentary and preventive maintenances if any.
6. All the assured works should be attended immediately, in case frequency / work demands more manpower, Contractor will arrange additional manpower so as not to disturb the research activities. Payment for the additional man power will be made extra based on minimum wages as per recent amendment plus contractor profit.
7. Contractor will ensure consistency of work and work force, correct trouble shooting, good workmen ship follow all safety procedures and will make all necessary efforts to maintain healthy environments and reliable services.
8. It is purely contractor's responsibility to get his staff acquainted with the site condition, Execution of work as per specifications, operation and maintenance procedure if any, Equipment detail, Safety devices, Scope of work etc.

## **विशेष शर्तें:**

1. प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार और संशोधित सीपीडब्ल्यूडी नियमों के अनुसार किए जाने वाले सभी कार्य। कोई भी अन्य कार्य जो आकस्मिक या उपरोक्त का हिस्सा है, लेकिन विशेष रूप से नहीं बताया गया है, उसे भी दायरे में शामिल किया जाएगा।
2. उपरोक्त कार्य करने के लिए ठेकेदार को काम करने के लिए उपकरणों, टैकल और माप उपकरण, मीटर मापने, सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।
3. ठेकेदारों को ऐसे कार्यों को संभालने में अनुभव रखने वाले अनुभवी कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए और 30 पृष्ठों या उससे अधिक के निरंतर ड्राइंग को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए और शूटिंग और सुधार को परेशान करने में सक्षम होना चाहिए।
4. चूंकि इसमें शामिल कार्य काफी विशिष्ट है और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, ठेकेदार के कर्मचारियों की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभारी अभियंता कार्य के गैर-अनुपालन के लिए बिलों में दंडात्मक कटौती करने के लिए अधिकृत है। ठेकेदार हर समय उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा। कमी के मामले में जुर्माना लगाया जाएगा।
5. सभी सामग्री, श्रम और विशेषज्ञता कार्य के दायरे में शामिल हैं। कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. कार्य के दायरे में निर्दिष्ट योग्य अनुभवी श्रमिकों को तैनात करना पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार को भारतीय मानक, सीपीडब्ल्यूडी के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी चाहिए और लागू कार्य करना चाहिए और इसमें औद्योगिक सुरक्षा प्रथाएं होनी चाहिए।
9. ठेकेदार कार्य सामग्री और कार्य बल की निरंतरता, सही परेशानी शूटिंग, अच्छे कामगार जहाज सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और स्वस्थ वातावरण और विश्वसनीय सेवाओं को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेंगे।
10. अपने कर्मचारियों को साइट की स्थिति, संचालन और प्रक्रिया, उपकरण विवरण, सुरक्षा उपकरण, कार्य के दायरे आदि से परिचित कराना विशुद्ध रूप से ठेकेदार की जिम्मेदारी है।
11. ठेकेदार निविदा के साथ उपरोक्त कार्य करने के लिए अपनी विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा। टाइपिंग में त्रुटि के मामले में, विभिन्न आंकड़ों की रिपोर्ट, केवल कठोर स्थिति लागू होगी।

### **Special Conditions:**

2. All works to be carried out in accordance with relevant Indian Standards and as per CPWD rules as amended. Any other work which are incidental or part of the above, but not specifically spelt out will also be included in the scope.
3. For carrying out above job the contractor has to make his own arrangements for tools, tackles and measuring equipment, measuring meters, safety and protective devices for carrying out the work.
4. Contractors should deploy experienced staff having experience in handling such works and have ability to read continuous drawing of 30 pages or more and capable of trouble shooting and rectification.
5. As the work involved is quite specialized and continuous monitoring is required, absenteeism of the contractor's employees will not be tolerated. **The Engineer- In Charge is authorized to make penal deductions in the bills for the non- compliance of the work.** The contractor will ensure proper supervision all the time. In case of deficiency penalty will be imposed.
6. All the materials, labours and expertise are included in the scope of work. No extra payment will be made.
8. It is fully contractor's responsibility to deploy qualified experienced workers as specified in the scope of work. Contractor should be well conversant with Indian Standard, CPWD and acts as applicable and should have Industrial safety practices.
9. Contractor will ensure consistency of work materials and work force, correct trouble shooting, good workmen ship follow all safety procedures and will make all necessary efforts to maintain healthy environments and reliable services.
10. It is purely contractor's responsibility to get his staff acquainted with the site condition, operation and procedure, Equipment detail, Safety devices, Scope of work etc.
11. Contractor will submit their detailed scheme to carry out above work along with the tender. In case of error in typing, report of different figures, only stringent condition will apply.

## दंड खंड:

कार्य का गैर-अनुपालन: निर्धारित समय में दिए गए कार्य के अनुपालन में विफलता की स्थिति में अन्य एजेंसी द्वारा उसी पर ध्यान देने में किए गए वास्तविक व्यय के दोहरे के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

निर्धारित समय अवधि के भीतर अनुबंध (कार्य आदेश/एलओआई) के पुरस्कार के बाद काम शुरू करना होगा। काम शुरू होने से डेढ़ महीने की अवधि के भीतर, पूर्ण जनशक्ति को तैनात करना होगा, ऐसा न करने पर ऊपर उल्लिखित दंड लगाया जाएगा।

हर महीने सभी व्यक्तियों को एनसीबी के असाइनमेंट के अनुसार साइट पर प्रचलित सामान्य शिफ्ट कार्य अनुसूची के अनुसार कार्य शिफ्ट/दिन पूरे करने होते हैं

सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने में लापरवाही के कारण कोई भी दुर्घटना पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी पर होती है। विभाग किसी भी दुर्घटना/क्षति/मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठेकेदार के सभी कर्मचारियों की सुरक्षा ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी है।

**Penalty Clause:**

**Non- Compliance of work:** In the event of failure of compliance of awarded work in stipulated time penalty will be imposed as per double of actual expenditure incurred in attending to the same by another Agency.

After the award of contract (Work order/LOI) within the stipulated time period the work has to be started. Within one and half month's period from the starting of work, complete manpower has to be deployed failing which penalties will be levied as mentioned above.

Every month all the persons have to complete the working shifts/days as per general shift working schedule prevailing at site as per the NCBS assignment

**Any accident due to negligence in following of safety procedures is purely at the responsibility of Contractor. Department is not responsible for any accidents/ damages /death. Safety of all the staff of the Contractor is the sole responsibility of the Contractor.**

## खंड IV

### अनुबंध के सामान्य नियम और शर्तें

#### नोट:

1. नवीनतम संशोधनों के साथ सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों, विनिर्देश और जीसीसी के अनुसार अनुबंध कवर करता है। इसलिए सभी मानदंडों का पालन करना ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी है।
2. निविदाकर्ता बोली प्रस्तुत करने से पहले अपनी लागत पर इस अनुबंध में शामिल नौकरियों और जिम्मेदारियों की प्रकृति से खुद को परिचित करेगा। ठेकेदार को पिछले एक वर्ष में ऑपरेशन वर्क्स रिसर्च लेबोरेटरीज की समान प्रकृति में एक अच्छा अनुभव होना चाहिए और उद्धरण के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3. प्रभारी अभियंता/एनसीबी अधिकारी द्वारा तय किए गए कार्यों की संख्या और कार्यों की प्राथमिकता दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी और ठेकेदार प्रभारी अभियंता/एनसीबी अधिकारियों द्वारा कही गई नौकरियों के निष्पादन के लिए पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त कार्य के लिए कोई अग्रिम भुगतान ठेकेदार को देय नहीं होगा।
5. कृपया ध्यान दें कि जब भी मामूली और छोटे कार्य उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए समय अनुसूची की शर्त के साथ प्रभारी अभियंता द्वारा नौकरी के आदेश जारी किए जाएंगे और इन समय अनुसूची का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि कोई अपरिहार्य बाधा आती है, तो समय का उपयुक्त विस्तार लागू किया जाएगा और एनसीबी वास्तविक मामलों पर, समय का उचित विस्तार जारी कर सकते हैं और इस पर एनसीबी का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। यदि अधिकृत समय अनुसूची से परे नौकरियों में देरी होती है तो ईआईसी अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजा लगाएगा।
6. ठेकेदार श्रम लाइसेंस, ईपीएफ, बीमा पॉलिसी, जीएसटी, आयकर निकासी प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता का पालन करेगा।

## Section-IV

### GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT

**Note:**

1. The contract covers as per CPWD norms, specification and GCC with latest amendments. So it is fully responsibility of the contractor to follow all norms.
2. Tenderer shall familiarize himself with the nature of jobs and responsibilities involved in this contract at his own cost before submitting the bid. The contractor should have a good experience in the similar nature of Operation works Research laboratories in the last One year and should produce a certificate along with the quote.
3. The number of works & priority of works to be carried out on day to day basis as decided by Engineer-in-charge/NCBS official and Contractor shall arrange the sufficient manpower for execution of the jobs as said by Engineer-in-charge/ NCBS officials.
4. No advance payment for the above work will be payable to the contractor.
5. Please note that as and when minor and petty works arise, job orders will be issued by the Engineer-In-Charge with stipulation of time schedule for such works and these time schedule shall be strictly adhered to. If any unavoidable hindrance occurs, suitable extension of time shall be applied and NCBS will on genuine cases, may issue an appropriate extension of time and the decision of NCBS on this is final and binding on both the parties. In case the jobs are delayed beyond the authorized time schedule EIC shall levy appropriate compensation as per provisions of the contract.
6. The contractor shall comply with the requirement of labour license, EPF, Insurance policy, GST, Income tax clearance certificate etc.

## **अनुबंध के विशेष निर्देश**

अनुबंध के विशेष निर्देशों को अनुबंध की सामान्य शर्तों के साथ पढ़ा जाना है। यदि कोई भिन्नता या विसंगतियां या परस्पर विरोधी प्रावधान हैं तो विशेष शर्तों में प्रावधान अनुबंध की सामान्य शर्तों में प्रावधानों पर प्राथमिकता लेंगे।

1. निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वह साइट की स्थिति, कार्य स्थिति ओडी फील्ड स्टेशन से खुद को परिचित कराने के लिए साइट का दौरा करे।

### **2. कार्य का स्थान और दायरा:**

स्थान: एनसीबीएस, जीकेवीके, बैंगलोर-560065

कार्य का दायरा: एनसीबीएस परिसर, जीकेवीके बैंगलोर में 750 केवीए डीजी की स्थापना के लिए सिविल कार्य।

### **3. सामान्य:**

कृपया कार्यकारी सारांश पढ़ें जो इस दस्तावेज़ के साथ शुरू में जुड़ा हुआ है।

निविदा या यह भी ध्यान देना चाहिए कि अन्य ठेकेदार आसपास के क्षेत्र में काम करेगा और उसका काम उनके साथ उचित समन्वय में करना होगा। ठेकेदारों को साइट और कार्य के दायरे से जुड़ी सभी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए माना जाता है।

### **4. उचित अनुसूची में कार्य शुरू करना और पूरा करना:**

अनुबंध की अवधि 2 महीने के लिए है।

### **5. अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग:**

ठेकेदार सभी सुविधाएं वहन करेगा और विभिन्न अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए पूर्ण सहयोग देगा, यदि अन्य एजेंसियों द्वारा एक साथ किए जाने की आवश्यकता है, जबकि उसका अपना काम प्रगति पर है। कार्य के प्रभारी अभियंता के परामर्श से समन्वय प्रभावित होगा। निर्माण चरण के दौरान उसी क्षेत्र में काम करने के लिए मालिकों द्वारा अन्य ठेकेदारों को भी अधिकृत किए जाने की संभावना है।

## **SPECIAL INSTRUCTIONS OF CONTRACT**

The Special Instructions of Contract are to be read in conjunction with General Conditions of Contract. If there are any variations or discrepancies or conflicting provision the provisions in Special Conditions shall take precedence over the provisions in the General Conditions of Contract.

1. The tenderer is requested to visit the site to acquaint himself with the site conditions, working conditions of field station.

### **2. LOCATION AND SCOPE OF WORK:**

LOCATION: NCBS, GKVK, BANGALORE-560065

SCOPE OF WORK: **Civil works for installation of 750 KVA DG at NCBS campus, GKVK Bangalore**

### **3. GENERAL:**

Please read the executive summary which is attached with this document in the beginning.

The tenderer should also note that other contractor will be working in the vicinity and his work will have to be carried out in proper co-ordination with them. The contractors are deemed to have catered for all contingencies connected with the site and scope of work.

### **4. COMMENCEMENT AND COMPLETION OF WORK IN PROPER SCHEDULE:**

The contract period is for 2 months.

### **5. CO-OPERATION WITH OTHER CONTRACTORS:**

The contractor shall afford all facilities and give complete co-operation for the execution of various other works, if required to be carried out simultaneously by other agencies while his own work is in progress. The co-ordination will be affected in consultation with the Engineer-in-Charge of the work. Other contractors are also likely to be authorized by the owners to work in the same area during the construction stage.

## 6. निरीक्षण:

कार्य प्रभारी अभियंता के सामान्य निर्देश के तहत किया जाएगा और अनुबंध की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसके नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के अधीन है। इस अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री की खोज करने या अस्वीकार करने या काम करने के लिए काम की प्रगति के दौरान प्रभारी अभियंता या उसके नामित प्रतिनिधि की किसी भी विफलता को उसकी स्वीकृति नहीं माना जाएगा, या उसमें दोषों की छूट और भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा परिसर के आंशिक या संपूर्ण अधिभोग को उस कार्य या सामग्री की स्वीकृति माना जाएगा जो इस अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार सख्ती से नहीं हैं। प्रभारी अभियंता से लिखित प्राधिकरण के बिना विनिर्देशों के किसी भी प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

## 7. सुरक्षा निर्देश: पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल उपकरण

- i) पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित रूप से जांच, परीक्षण और रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपकरण और इसका भार अच्छे क्रम में है।
- ii) सभी पोर्टेबल उपकरणों को तीन पिन प्लग के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपकरण के धातु भाग को प्रभावी ढंग से अर्जित किया जाना चाहिए।
- iii) बीएआर तार का उपयोग बिजली के दोहन के लिए नहीं किया जाना चाहिए
- क) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक्सटेंशन कॉर्ड का इंसुलेशन और तार आकार वोल्टेज और करंट ले जाने के लिए पर्याप्त है।
- ख) पोर्टेबल लैंप, उपकरण और उपकरण के लिए ट्रेलिंग और लचीले केबल जैसे सभी ढीले तारों की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।

## सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया:

- i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी मरम्मत कार्य के शुरू होने से पहले उपकरणों की बिजली की आपूर्ति काट दी जाए।
- ii) एक विद्युत उपकरण के काम करने के लिए इंसुलेटेड उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- iii) निर्माण स्थलों के निर्माण में, हेलमेट और सुरक्षा जूतों का उपयोग किया जाएगा।
- iv) ठेकेदार को साइट पर प्राथमिक चिकित्सा किट रखनी होगी।

## 8. कामगारों को हटाना:

ठेकेदार काम के निष्पादन में या उसके बारे में केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो अपने कई ट्रेडों में सावधान, कुशल और अनुभव रखते हैं और इंजीनियर-प्रभारी, अनुबंध पर आपत्ति करने और आवश्यकता करने या कार्यों से हटाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अनुबंध द्वारा या कार्यों के निष्पादन के बारे में नियोजित कोई भी व्यक्ति, जो प्रभारी अभियंता की राय में अपने कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन ई में अक्षम या लापरवाह है और ऐसे सभी व्यक्तियों को प्रभारी अभियंता की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

## **6. INSPECTION:**

The work shall be conducted under the general direction of the Engineer-in-Charge and is subject to inspection by his appointed representative to ensure strict compliance with the terms of contract. No failure of the Engineer-in-Charge or his designated representative during the progress of work to discover or to reject materials or work not in accordance with the requirements of this contract shall be deemed an acceptance thereof, or a waiver of defects there in, and payment by the Engineer-in-Charge a partial or entire occupancy of the Premises shall be construed to be an acceptance of work or materials which are not strictly in accordance with the requirements of this contract. No changes whatsoever to any provision of the specifications shall be made without written authorization from the Engineer-in-charge.

## **7. SAFETY INSTRUCTIONS: PORTABLE ELECTRICAL EQUIPMENT**

- i) Portable electrical equipment should be regularly examined, tested and maintained to ensure that the equipment and its loads are in good order.
- ii) All portable appliances should be provided with a three pin plugs. It should be ensured that the metal part of the equipment should be effectively earthed.
- iii) **BARE WIRE SHOULD NOT BE USED FOR TAPPING ELECTRICITY**
  - a) It should be sure that the insulation and wire size of extension cords are adequate for the voltage and current to be carried.
  - b) All loose wiring such as trailing and flexible cables for portable lamps, tools and apparatus should be regularly examined.

## **GENERAL SAFETY PROCEDURE:**

- i) It should be ensured that power supply to equipment is disconnected before any repair work is undertaken.
- ii) Insulated tools shall be used for working on electrical equipment's.
- iii) At building constructional sites, helmets and safety shoes shall be used.
- iv) The contractor shall keep a first aid kit at site.

## **8. REMOVAL OF WORKMEN:**

The contractor shall employ in or about execution of the work only such persons as are careful, skilled and experienced in their several trades and the Engineer-in-Charge, shall be at liberty to object to and require the contract or to remove from the works any persons employed by the contract or in or about the execution of works who in the opinion of the Engineer-in-Charge misconduct himself for is incompetent, or negligent in the proper performance of his duties and all such persons shall not again be employed upon the works without the permission of the Engineer-in-Charge.

## 9. मात्राओं की अनुसूची:

कार्य और विनिर्देश के संबंध में संभावित मात्रा की एक अनुसूची संलग्न है। संभावित मात्राओं की अनुसूची प्रभारी अभियंता के विवेक पर चूक, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कार्यकारी सारांश में प्रासंगिक पैराग्राफ पढ़ें।

## 10. निविदा दरें:

अनुसूची में निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों में जीएसटी शामिल होगा। जब तक सभी वस्तुओं के लिए मात्रा दरों की अनुसूची में अन्य वार नहीं कहा गया है, तब तक पूरा काम होगा।

निविदा राशि को कार्यों के पूर्ण और संपूर्ण समापन के लिए शामिल माना जाएगा और ठेकेदार के पास किसी भी त्रुटि के कारण कोई दावा नहीं होगा।

विवरण में कोई भी त्रुटि, प्रस्ताव की अनुसूची में मात्रा या वहां से कोई चूक, ठेकेदार को ड्राइंग और विनिर्देशों के अनुसार या अनुबंध के तहत उसके कई दायित्वों के अनुसार शामिल पूरे या किसी भी हिस्से के निष्पादन से ठेकेदार को मुक्त नहीं करेगा। बोली मूल्य की पेशकश की अनुसूची में उद्धृत राशि में किसी भी त्रुटि को बाद में यहां निहित निम्नलिखित नियमों के अनुसार समायोजित किया जाएगा

क) निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत शब्दों और आंकड़ों में विवरण के बीच विसंगति की स्थिति में, शब्दों में विवरण प्रचलित होगा।

ख) कुल राशि कॉलम में और आगे के योग को ले जाने में सभी त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।

ग) अनंतिम रकम हॉल को सही करने के लिए कुल प्रकार में शामिल करने के लिए कोई भी आयोग।

## 11. निविदा के रावल को तोड़ें:

निविदा खोलने की तारीख से न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। यदि निविदाकर्ता अपने निविदा को ड्रा या संशोधित करता है या किसी पूर्व-अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या बार-बार अनुस्मारक के साथ कोई पूर्व-अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं करता है या इस वैधता अवधि में बार-बार अनुस्मारक के साथ कोई अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं करता है, तो उसकी बयाना राशि देय किसी भी शुल्क की वसूली के साथ सुविधा के लिए उत्तरदायी होगी।

## 12. ठेकेदार के कर्मचारी:

निविदाकर्ता अपने निविदा के साथ कुशल, अर्ध कुशल तकनीशियनों और संयुक्त राष्ट्र कुशल सहायकों की सूची प्रस्तुत करेगा, जिनकी योग्यता और अनुभव वह इस अनुबंध द्वारा कवर किए गए कार्य के निष्पादन के लिए नियोजित करने का प्रस्ताव करता है।

## 13. निविदाकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की सूची:

निविदाकर्ता एक निविदा के साथ विभिन्न सरकारी विभाग या सार्वजनिक निकायों के लिए कार्यों की एक सूची और अतीत में उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य की उचित लागत भी प्रस्तुत करेगा।

## **9. SCHEDULE OF QUANTITIES:**

A schedule of probable quantities in respect of the work and specification is enclosed. The schedule of probable quantities is liable to alterations by omission, deduction or additions at the discretion of the Engineer-in-charge. Also, tenderers are requested to read the relevant paragraphs in the Executive summary in this regard.

## **10. TENDER RATES:**

The rates quoted by the tenderer in the schedule shall be inclusive of GST. Unless otherwise stated in the schedule of quantities rates for all items shall be for the complete work.

The tendered amount shall be deemed to include for the full and entire completion of the works and the Contractor shall have no claims on account of any errors.

Any error in description, quantity in schedule of offer or any omissions there from, shall not vitiate the Contractor release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works comprised there in according to drawings and specifications or from many of his obligations under the contract. Any error in amount quoted in Schedule of Offer of the price bid, shall be adjusted in accordance with the following rules contained Here in after

- a) In the event of discrepancy between description in words and figures quoted by the tenderer, the description in words shall prevail.
- b) All errors in totaling the amount column and in carrying forward totals shall be corrected.
- c) Any commissions to include in the total sort o carry forward the provisional sums shall be corrected.

## **11. WITHDRAWAL OF TENDER:**

The tender should be valid for a minimum period of **90 days** from the date of opening of tenders. Should the tenderer withdraw or modify his tender or refuse to pay any pre-requisite fee or do not pay any pre-requisite fee with repeated reminders or do not submit any requisite document with repeated reminders within this validity period, his earnest money deposit will be liable for forfeiture with recovery of any fees due.

## **12. CONTRACTOR'S STAFF:**

The tenderer shall furnish along his tender the list of Skilled, Semi-skilled technicians and Un-skilled assistants with their qualifications and experience he proposes to employ for execution of the work covered by this contract.

## **13. LIST OF WORKS CARRIED OUT BY TENDERERS:**

The tenderer shall also submit along with a tender a list of works and also the appropriate cost of each work carried out by him in the past for different Government Department or Public bodies.

#### 14. उचित चित्र और निर्देश:

प्रभारी अभियंता के पास कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर ठेकेदार को ऐसे अतिरिक्त चित्रों और निर्देशों की आपूर्ति करने की पूरी शक्ति और अधिकार होगा जो उचित पर्याप्त निष्पादन और कार्य के रखरखाव के उद्देश्य से आवश्यक होंगे। यदि कोई हो और ठेकेदार काम को पूरा करेगा और उससे बाध होगा।

#### 15. प्रभारी अभियंता की संपूर्ण संतुष्टि के लिए कार्य:

जहां तक यह कानूनी या शारीरिक रूप से असंभव है, ठेकेदार प्रभारी अभियंता की पूरी संतुष्टि के अनुसार कार्यों की जांच और पूरा करेगा और बनाए रखेगा और किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर प्रभारी अभियंता के निर्देशों और निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा। काम। ठेकेदार केवल प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से निर्देश और निर्देश लेगा।

#### 16. कार्य की देखभाल:

कार्य शुरू होने से लेकर कार्य पूरा होने तक, ठेकेदार वहां की देखभाल और सभी संचालन और रखरखाव कार्य, यदि कोई हो, की जिम्मेदारी लेगा और यदि किसी भी कारण से कार्यों को कोई क्षति, हानि या चोट लगेगी, तो उसकी अपनी लागत की मरम्मत और उसे अच्छा बनाना। ताकि पूरा होने पर, कार्य अच्छी स्थिति और स्थिति में होंगे और अनुबंध की आवश्यकताओं और प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुरूप होंगे।

#### 17. ठेकेदार का मशीनरी संयंत्र और ईओयूआईपीमेंट:

निविदाकर्ता निविदा के साथ संयंत्र और उपकरणों की एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसे वह कार्य के निष्पादन के लिए अपनी लागत पर साइट पर लाने का प्रस्ताव करता है, ताकि संस्थान को कार्य के निष्पादन के अपने तरीके का आकलन करने में सक्षम बनाया जा सके।

18. ठेकेदार, उसके कर्मचारी और एजेंट संस्थान द्वारा उसे दी गई किसी भी जानकारी या ड्राइंग का खुलासा नहीं करेंगे। ठेकेदार द्वारा / संस्थान द्वारा या दोनों द्वारा संयुक्त रूप से अनुबंध के निष्पादन के लिए तैयार किए गए सभी ड्राइंग, रिपोर्ट और अन्य जानकारी प्रभारी अभियंता के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। प्रभारी अभियंता की पूर्व स्वीकृति के साथ परिसर के भीतर कार्यों या संयंत्र की कोई तस्वीर नहीं ली जाएगी।

19. निविदाकर्ताओं को यह नोट करना आवश्यक है कि जैसा कि धारा III के खंड 45 के तहत निर्दिष्ट है- अनुबंध की शर्तें, अनुबंध या "अनुबंध: श्रम" (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और नियमों और आदेशों के प्रावधानों का पालन करना होगा। समय-समय पर जारी किया गया।

#### 20. सरकारी श्रम अधिनियम/कानून:

अनुबंध या सख्ती से सरकारी श्रम अधिनियमों का पालन करना पड़ता है, जो वर्तमान में लागू होते हैं और समय-समय पर पेश किए जाते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईएसआईएस निदेशालय और अनुबंध श्रम अधिनियम के प्रवर्तन अधिकारी, और श्रम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था, सुरक्षा बीमा ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर किया जाना होगा।

**14. PROPER DRAWINGS AND INSTRUCTIONS:**

The Engineer-in-Charge shall have full powers and authority to supply to the contractor from time to time during progress of the work such further drawings and instructions as shall be necessary for the purpose of proper adequate execution and maintenance of the work if any and the contractor shall carry out the work and be bound by the same.

**15. WORK TO THE ENTIRE SATISFACTION OF THE ENGINEER-IN-CHARGE:**

Save in so far as it is legally or physically impossible the contractor shall examine and complete and maintain the works in strict accordance with the entire satisfaction of the Engineer-in-Charge and shall comply with and adhere strictly to the instructions and directions of Engineer-in-Charge on any important matter concerning the work. The contractor shall take instructions and directions only from the Engineer-in-Charge or his authorized representative.

**16. CARE OF WORK:**

From the commencement to the completion of works, the contractor shall take responsibility for the care there of and all operation and maintenance works if any and in case any damage, loss or injury shall happen to the works from any cause what so ever at his own cost repair and make good the same. So that on completion, the works shall be in good order and condition and in the conformity in every respect with the requirements of the contract and the Engineer-in-Charge's instructions.

**17. CONTRACTOR'S MACHINERY PLANT & EQUIPMENTS:**

The tenderer shall furnish with the tender a list of plant and equipment that he proposes to bring to site at his own cost for the execution of the work, to enable institute to assess his mode of execution of work.

**18.** The contractor, his employees and agents shall not disclose any information or drawings furnished to him by the institute. All drawings, reports and other information prepared by the contractor / by the Institute or jointly by both for the execution of the contract shall not be disclosed without the prior approval of the Engineer-in-Charge. No photograph of the works or plant within the premises shall be taken without the prior approval of the Engineer-in-Charge.

**19.** The tenderers are required to note that as specified under Clause 45 of Section III-Conditions of Contract, the contract or has to comply with the provisions of the "Contract: Labour" (Regulation and Abolition) Act 1970 and rules and orders issued there under from time to time.

**20. GOVERNMENT LABOUR ACTS/ LAWS:**

The contract or has to follow strictly the Government Labour Acts, which are in force at present and introduced from time to time, such as, Acts enforced by Regional Provident Fund Commissioner, Directorate of ESIS and Enforcement Officer of Contract Labour Act, and all necessary arrangement for labour, security insurance will have to be made by the Contractor at his own cost.

## 21. आयकर की कटौती:

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या 275/9/72/9-टीजे (परिपत्र संख्या 86) दिनांक 19/5/1972 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) के अनुसार, किए गए कार्य के सकल मूल्य पर लागू आयकर पर @ 1% (केवल एक और आधा प्रतिशत) और 15% (केवल पंद्रह प्रतिशत) अधिभार बिलों से वसूल किया जाएगा। राशि या वसूली के लिए एक प्रमाण पत्र विभाग द्वारा ठेकेदार को जारी किया जाएगा।

## **21. DEDUCTION OF INCOME TAX:**

As per Section 194(C) of Income Tax Act, as amended by letter No.275/9/72/9-TJ (CircularNo.86) dated 19/5/1972 received from Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), New Delhi, the Income Tax@1% (One & half percent only) and 15% (Fifteen percent only) surcharge, on income tax as applicable on the gross valueof the work done will be recovered from the bills. A certificate for the amounts or recovered will be issued by the Department to the contractor.

खंड V  
विचलन की अनुसूची

क्र.सं.	संस्थान की आवश्यकता	क्र.सं. अनुसूची के अनुसार	विचलन प्रस्तावित है।

निविदाकर्ता का नाम और पता

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

**Section V**  
**SCHEDULE OF DEVIATIONS**

<b>Sl. No.</b>	<b>Requirement of the Institute</b>	<b>Sl. No. As per schedule</b>	<b>Deviation Proposed.</b>

**Name and Address of the Tenderer**

**Signature of the Tenderer**

## **प्रकीर्ण**

हम उसके द्वारा लगे ठेकेदार के कर्मचारियों की मृत्यु, दुर्घटना या चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जो हमारे परिसर में अपने कर्तव्य के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, और न ही हम ऐसे व्यक्तियों या तीसरे पक्ष को नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठेकेदार हर समय एनसीबी को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा, जो कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या अन्यथा किसी भी नुकसान या मुआवजे के लिए या उसके संबंध में हो सकते हैं।

संस्थान या परिसर, भवन, उपकरण आदि में किसी भी श्रमिक या अन्य व्यक्ति/व्यक्ति द्वारा की गई किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय। ठेकेदार या उसके कामगारों के लिए जिम्मेदार है, इस तरह के नुकसान ठेकेदार या उसके कामगारों द्वारा किए जाएंगे।

इसके गवाह में पार्टियों ने अपने संबंधित हस्ताक्षरों को सेट और सब्सक्राइब किया है और यहां उल्लिखित तारीख, महीने और वर्ष पर ऊपर दिए गए लेखन पर मुहर लगाई है।

निविदाकर्ता का नाम और पता

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

**Miscellaneous**

We will not be responsible for death, accident or injury to the Contractor's employees engaged by him, which may arise in the course of their duty at our premises, nor shall we be responsible and be liable to pay damages or compensation to such persons or to third parties. The Contractor shall at all times indemnify and keep NCBS indemnified against all claims which may be under the Workmen's Compensation Act, 1923, or any statutory modifications thereof or otherwise for or in respect of any damages or compensation.

Payable in consequence of any accident or injury sustained by any workman or other person/ person at the Institute or premises, building, equipment's etc. is attributable to the Contractor or his workmen, such damages shall be made good by the Contractor or his workmen.

IN WITNESS WHEREOF the parties here to have set and subscribed their respective signatures and seal to the writing herein above on the date, month and year mentioned herein.

Name and Address of the Tenderer

Signature of the Tenderer

**खंड VI**  
**अनुसूचियों का प्रोफार्मा**

<b>अनुसूची- 'क':</b>	
मात्रा की अनुसूची (संलग्न)-	कृपया वित्तीय बोली देखें

<b>अनुसूची - 'ख':</b>				
ठेकेदार को जारी की जाने वाली सामग्री की अनुसूची				
क्र.सं.	आइटम का विवरण	मात्रात्मक	वे दरें जिन पर ठेकेदार से सामग्री चार्ज की जाएगी	जारी करने का स्थान
1	2	3	4	5
शून्य				

<b>अनुसूची - 'ग':</b>			
ठेकेदार को किराए पर लिए जाने वाले उपकरण और संयंत्र			
क्र.सं.	विवरण	किराया शुल्क	जारी करने का स्थान
1	2	3	4
शून्य			

<b>अनुसूची - 'घ' :</b>	
कार्य के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं/दस्तावेजों, यदि कोई हो, के लिए अतिरिक्त अनुसूची	शून्य

<b>अनुसूची- 'च':</b>	
अनुबंध की सामान्य शर्तों का संदर्भ - 2023 और विनिर्देश- 2019 (सीपीडब्ल्यूडी)	
<b>कार्य का नाम:</b> एनसीबीएस परिसर, जीकेवीके बैंगलोर में 750 केवीए डीजी की स्थापना के लिए सिविल कार्य।	
कार्य की अनुमानित लागत:	सभी करों सहित 5.90 लाख रुपये
i) बयाना राशि	रु.11,810.00/- /-
ii) प्रदर्शन गारंटी	निविदा मूल्य का 5%
iii) सुरक्षा जमा	निविदा मूल्य का 2.5%

**Section VI**

**Proforma of Schedules**

<b>SCHEDULE- 'A':</b>	
Schedule of Quantities (Enclosed) -	Please refer Financial Bid

<b>SCHEDULE - 'B':</b>				
Schedule of materials to be issued to the contractor				
Sl. No.	Description of item	Quantity	Rates at which the Materials will be charged to the contractor	Place of issue
1	2	3	4	5
NIL				

<b>SCHEDULE - 'C':</b>			
Tools & plants to be hired to the contractor			
S. No	Description	Hire charges	Place of Issue
1	2	3	4
NIL			

<b>SCHEDULE- 'D':</b>	
Extra schedule for specific requirements / documents for the work, if any	NIL

<b>SCHEDULE- 'F':</b>	
Reference to General Conditions of contract -2023 and Specification- 2019 (CPWD)	
<b>Name of Work</b> - Civil works for installation of 750 KVA DG at NCBS campus, GKVK Bangalore	
Estimated cost of work:	Rs.5.90 Lakhs inclusive of all taxes
i) Earnest money	Rs.11,810.00/-/-
ii) Performance Guarantee	5% of tendered value
iii) Security Deposit	2.5% of tendered value

<b>सामान्य नियम और निर्देश:</b>	
अधिकारी आमंत्रित प्राधिकारी	केंद्र निदेशक/एनसीबी की ओर से एसई एंड एम प्रमुख
निष्पादित किए जाने वाले कार्य की मदों की मात्रा के लिए अधिकतम प्रतिशत जिसके आगे दरें खंड 12.2 और 12.3 के अनुसार निर्धारित की जानी हैं।	संदर्भ। बाद के पृष्ठों में खंड-12

<b>परिभाषाएं</b>		
2(v)	अभियंता प्रभारी	अनुबंध की शर्तों की धारा - 4 का संदर्भ लें
2(viii)	स्वीकृति प्राधिकारी	
2(x)	सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए सामग्री और श्रम की लागत पर प्रतिशत	15% (पंद्रह प्रतिशत)
2(xi)	दरों की मानक अनुसूची	सिविल कार्यों के लिए अंतरिक्ष विभाग एसओआर 2022-23 और सीपीडब्ल्यूडी 2023
2(xii)	विभाग	अनुबंध की शर्तों की धारा - 4 का संदर्भ लें
9(ii)	आइटम दर निविदा के लिए मानक एनसीबीएस अनुबंध फॉर्म जीसीसी जैसा कि संशोधित और अद्यतन किया गया है	2023

### **खंड - 1 (प्रदर्शन गारंटी)**

i) प्रदर्शन गारंटी कार्यक्रम चार्ट समय और प्रगति और लागू श्रम लाइसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण या उससे आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि	15 दिन
ii) विलंब शुल्क के साथ अधिकतम स्वीकार्य विस्तार @ 0.1% प्रति दिन	15 दिन

### **खंड - 2 (देरी के लिए मुआवजा)**

खंड 2 के तहत मुआवजा तय करने के लिए प्राधिकरण।	निदेशक/एन सीबी
---	----------------

### **खंड - 5 (देरी के लिए समय और विस्तार)**

प्रारंभ तिथि की गणना के लिए स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश, जो भी पहले हो, जारी करने की तारीख से दिनों की संख्या।	15 दिन
---	--------

नीचे दी गई तालिका के अनुसार मील पत्थर:

<b>मील पत्थर की तालिका</b>			
क्र.सं.	विवरण	दिनों में अनुमत समय	मील के पत्थर की उपलब्धि न होने की स्थिति में रखी जाने वाली राशि

1.	अनुबंध के पुरस्कार पर अंतिम रूप दिया जाना है	खंड -2 के अनुसार
<b>General Rules &amp; Directions :</b>		
Officer inviting authority		Head SE&M on behalf of Centre Director/NCBS
Maximum percentage for quantity of Items of work to be executed beyond which rates are to be determined in accordance with Clauses 12.2 & 12.3.		Ref. Clause-12 insubsequent page

<b>Definitions :</b>		
2(v)	Engineer-in-charge	Refer section – 4 of conditions of contract
2(viii)	Accepting Authority	
2(x)	Percentage on cost of materials and labour to cover all overheads & profits	15% (Fifteen percent)
2(xi)	Standard Schedule of Rates	Department of space SOR 2022-23 and CPWD 2023 for Civil Works
2(xii)	Department	Refer section – 4 of conditions of contract
9(ii)	Standard NCBS Contract Form GCC for Item rate tender as modified & corrected up to date	2023

<b>Clause – 1 (Performance Guarantee)</b>	
i) Time allowed for submission of Performance Guarantee Programme chart time & progress and applicable labour licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW welfare board or proof of applying thereon from the date of issue of letter of acceptance	<b>15 days</b>
ii) Maximum allowable extension with late fee @ 0.1% per day	<b>15 days</b>

<b>Clause – 2 (Compensation for Delay)</b>	
Authority for fixing compensation under clause 2.	<b>Director/NCBS</b>

<b>Clause – 5 (Time and Extension for Delay)</b>	
Number of days from the date of issue of letter of acceptance / WorkOrder whichever is earlier for reckoning date of start.	<b>15 days</b>

Mile stone(s) as per table given below:

<b>TABLE OF MILE STONE(S)</b>			
Sl. No.	Description of	Time Allowed in days	Amount to be with-held in case of non-achievement of milestone
1.	<b>To be finalized on award of contract</b>		<b>As per Clause -2</b>

कार्य निष्पादन के लिए अनुमत समय	जैसा कि एनआईटी पैरा -1 में कहा
---------------------------------	--------------------------------

निर्णय लेने का अधिकार:	
(i) समय का विस्तार	प्रभारी अभियंता की सिफारिश पर निदेशक/एनसीबी
(ii) मील पथरों का पुनर्निर्धारण	प्रभारी अभियंता की सिफारिश पर निदेशक/एनसीबी
(iii) साइट सौंपने में देरी के मामले में शुरुआत की तारीख का स्थानांतरण	अभियंता प्रभारी

खंड - 6 (किए गए कार्य का मापन)	खंड - 6 क (कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तक)
लागू खंड - (6 या 6 क)	6 क

<b>खंड - 7: मध्यवर्ती प्रमाण पत्र पर भुगतान को अग्रिम माना जाएगा)</b>	
एकत्र की गई सामग्री के लिए अग्रिमों के शुद्ध भुगतान/समायोजन के साथ एक साथ किया जाने वाला सकल कार्य, यदि कोई हो, अंतिम ऐसे भुगतान के लिए पात्र होने के लिए	जैसा कि अनुबंध के खंड - 7 में विस्तृत है

<b>खंड - 7 क (लागू श्रम लाइसेंस तक काम के लिए कोई चालू खाता बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा प्राप्त होते हैं)</b>	
क्या खंड 7ए लागू होगा	हाँ

<b>खंड-10क:</b>	ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री
साइट लैब में ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने वाले परीक्षण उपकरणों की सूची।	
जैसा कि काम के निष्पादन के लिए आवश्यक है।	

<b>खंड-10ख (ii):</b>	मोबिलाइजेशन एडवांस।
क्या खंड 10बी (ii) लागू होगा	लागू नहीं.

<b>खंड - 10ग: वैधानिक आदेश (आदेशों) के कारण मूल्य/मजदूरी में वृद्धि के कारण भुगतान</b>	
कार्य के मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त श्रम का घटक	लागू नहीं

<b>TIME ALLOWED FOR EXECUTION OF WORK</b>	<b>As stated in NIT para-1</b>
---	--------------------------------

<b>Authority to decide:</b>	
	<b>Director / NCBS on recommendation of Engineer-in-charge</b>
(i) Extension of time	
(ii) Rescheduling of mile stones	<b>Director / NCBS on recommendation of Engineer-in-charge</b>
(iii) Shifting of date of start in case of delay in handing over of site	<b>Engineer-in-charge</b>

<b>Clause – 6 (Measurements of work Done)</b>	<b>Clause – 6A (Computerized Measurement Book)</b>
Clause applicable – (6 or 6A)	<b>6A</b>

<b>Clause – 7: Payment on Intermediate Certificate to be regarded as Advances)</b>	
Gross work to be done together with net payment / adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment for being eligible to	<b>As detailed in Clause – 7 of Contract</b>

<b>Clause – 7A (No running account bill shall be paid for the work till the applicable labour licenses are received)</b>	
Whether Clause 7A shall be applicable	<b>YES</b>

<b>Clause-10A:</b>	<b>Materials to be provided by the Contractor</b>
List of testing equipment's to be provided by the contractor at site lab.	
<b>As required for execution of work</b>	

<b>Clause-10B (ii):</b>	<b>Mobilization Advance</b>
Whether Clause 10B (ii) shall be applicable	<b>NOT APPLICABLE</b>

<b>Clause - 10C: Payment on Account of increase in Prices/wages due to Statutory order(s)</b>	
Component of labour expressed as percent of value of the work	<b>NOT APPLICABLE</b>

<b>खंड - 10 ग क: कार्यों के लिए निविदा प्राप्त होने के बाद मूल्यों/मजदूरी में वृद्धि/कमी के कारण भुगतान</b>		
<b>क्र.सं.</b>	<b>इस खंड के अंतर्गत आने वाली सामग्री</b>	<b>लागू नहीं.</b>
<b>खंड - 10 ग ग: इस कार्य के लिए लागू नहीं</b>		
खंड 10 सीसी एक महीने की अवधि से अधिक पूर्णता की निर्धारित अवधि के साथ अनुबंधों में लागू होगा		<b>लागू नहीं.</b>

<b>खंड - 11: विनिर्देशों, चित्रों के अनुसार निष्पादित किया जाने वाला कार्य,</b>	
निष्पादन के लिए पालन किए जाने वाले विनिर्देश	<b>एनसीबी और सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश।</b>

<b>खंड -12: विचलन/भिन्नताएं सीमा और मूल्य निर्धारण</b>		
<b>कार्य का प्रकार</b>	<b>कार्य</b>	
12.2 & 12.3	विचलन सीमा जिसके आगे खंड 12.2 और 12.3 भवन निर्माण कार्य के लिए लागू होंगे	<b>100%</b>
12.5	विचलन सीमा जिसके आगे खंड 12.2 और 12.3 फाउंडेशन कार्य के लिए लागू होंगे (डीएसआर और संबंधित वस्तुओं में पृथ्वी कार्य उपशीर्ष में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर)	<b>100%</b>

<b>खंड 16 (यदि विनिर्देशों के अनुसार काम नहीं किया गया है तो कार्रवाई)</b>	
कम दरों को तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।	निदेशक, एनसीबीएस

<b>खंड -18:</b>	<b>उपकरण और संयंत्र आदि की आपूर्ति के लिए ठेकेदार।</b>
<b>ठेकेदार द्वारा साइट पर तैनात की जाने वाली अनिवार्य मशीनरी, उपकरण और संयंत्रों की सूची :</b>	
जैसा कि काम के निष्पादन के लिए आवश्यक है। और पीईआरटी निविदा दस्तावेज के रूप में।	

<b>खंड -25:</b>	<b>विवादों और मध्यस्थता का निपटान</b>
विवाद निवारण समिति (डीआरसी) का गठन	<b>जैसा कि अनुबंध की शर्तों के खंड - 25 में विस्तृत है</b>
अध्यक्ष -.....	
सदस्य -.....	

<b>Clause – 10 CA: Payment due to Increase / decrease in Prices / wages after receipt of Tender for works</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Materials covered under this clause</b>	<b>NOT APPLICABLE</b>
<b>Clause – 10 CC: Not Applicable for this work</b>		
Clause 10 CC to be applicable in contracts with stipulated period of completion exceeding the period of One Months		<b>NOT APPLICABLE</b>

<b>Clause - 11: Work to be executed in accordance with Specifications, Drawings,</b>	
Specifications to be followed for execution	<b>NCBS and CPWD specification.</b>

<b>Clause -12: Deviations/ Variations Extent and Pricing</b>		
Type of work	<u>Works</u>	
12.2 & 12.3	Deviation Limit beyond which clauses 12.2 & 12.3 shall apply for building work	<b>100%</b>
12.5	Deviation Limit beyond which clauses 12.2 & 12.3 shall apply for foundation work (except items mentioned in earth work subhead in DSR and related items)	<b>100%</b>

<b>Clause 16 (Action in case Work not done as per specifications)</b>	
Competent Authority for deciding reduced rates.	<b>Director, NCBS</b>

<b>Clause – 18:</b>	<b>Contractor to Supply Tools &amp; Plants etc.</b>
<b>List of mandatory machinery, tools &amp; Plants to be deployed by the Contractor at site:-</b>	
As required for Execution of work. And as per tender document.	

<b>Clause 25</b>	<b>Settlement of Disputes &amp; Arbitration</b>
Constitution of Dispute Redressal Committee (DRC)	<b>As detailed in Clause– 25 of Conditions of Contract</b>
Chairman - .....	
Member - .....	

खंड - 36(i):	तकनीकी कर्मचारियों और कर्मचारियों का रोजगार तकनीकी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) की आवश्यकता और वसूली
सीपीडब्ल्यूडी अनुलग्नक-20 के अनुसार	

खंड - 42	लागू नहीं
<p>(i) (क) सीपीडब्ल्यूडी के आधार पर सीमेंट और स्टील की सैद्धांतिक मात्रा निर्धारित करने के लिए अनुसूची / विवरण</p> <p>(ii) सैद्धांतिक मात्राओं पर अनुमेय परिवर्तन:</p> <p>(क) सीमेंट निविदा के लिए अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए रु। से अधिक नहीं। अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की निविदा के लिए। 5 लाख</p> <p>(ख) प्रत्येक व्यास के लिए स्टील सुदृढीकरण और संरचनात्मक इस्पात अनुभाग, अनुभाग और श्रेणी</p>	

<b>Clause – 36(i):</b>	<b>Employment of Technical Staff &amp; Employees Requirement of Technical Representative(s) &amp; recovery</b>
As per CPWD Annexure-20	

<b>Clause – 42</b>	<b>NOT APPLICABLE</b>	
<p>(i) (a) Schedule / Statement for determining theoretical quantity of cement &amp; Steel on the Basis of CPWD</p> <p>(ii) Variations permissible on theoretical quantities:</p> <p>(a) Cement For works with estimated cost put to tender not more than Rs. 5 Lakhs For works with estimates cost put to tender more than Rs. 5 Lakhs</p> <p>(b) Steel Reinforcement and Structural steel sections for each diameter, section and category</p>		

## संविदा की सामान्य शर्त

### संविदा के खंड

<b>कार्यनिष्पादन गारंटी</b>	<b>खंड 1</b> <p>(i) ठेकेदार अनुबंध समझौते के अपने उचित प्रदर्शन के लिए अनुबंध में कहीं और उल्लिखित अन्य जमाओं के अलावा निविदा राशि के 5% (पांच प्रतिशत) की एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करेगा, (इसके बावजूद और / या बिना किसी पूर्वाग्रह के) अनुबंध में कोई अन्य प्रावधान) स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट अवधि के भीतर। प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए प्रदर्शन गारंटी की खरीद में देरी का कारण बताते हुए ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह गारंटी नकद के रूप में होगी (यदि गारंटी राशि 10,000/- रुपये से कम है) या किसी अनुसूचित बैंक/बैंकर के चेक की कॉल रसीद पर जमा/किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/किसी अनुसूचित बैंक का पे ऑर्डर (यदि गारंटी राशि 1,00,000/- रुपये से कम है) या सरकारी प्रतिभूतियां या किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सावधि जमा रसीदें या गारंटी बांड इसके साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार होंगे। यदि निष्पादन गारंटी के हिस्से के रूप में ठेकेदार द्वारा सरकार को किसी बैंक की सावधि जमा रसीद प्रस्तुत की जाती है और बैंक उक्त सावधि जमा रसीद के खिलाफ भुगतान करने में असमर्थ है, तो इससे होने वाला नुकसान ठेकेदार पर पड़ेगा और ठेकेदार मांग पर घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(ii) प्रदर्शन गारंटी शुरू में पूर्णता की निर्धारित तिथि तक मान्य होगी और उससे कम से कम 60 दिन बाद। यदि एजेंसी द्वारा इसे जीसीसी के अनुसार अनुसूची प्रारूप I पर प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसे जीसीसी के अनुसार प्रारूप II पर प्रस्तुत किया जाता है तो प्रदर्शन गारंटी पूर्णता की निर्धारित तिथि तक मान्य होगी और उससे कम से कम 6 महीने बाद। यदि कार्य पूरा करने का समय बढ़ जाता है, तो ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए इस तरह के बढ़े हुए समय को कवर करने के लिए विस्तारित प्रदर्शन गारंटी की वैधता प्राप्त होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र की रिकॉर्डिंग के बाद, प्रदर्शन गारंटी बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। हालांकि, एक ही भवन और सेवाओं/अन्य कार्यों के निर्माण के बाद भवन और सेवाओं/किसी अन्य कार्य के रखरखाव से जुड़े अनुबंधों के मामले में, प्रदर्शन गारंटी का 50% सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा। इसे वर्षवार आनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा।</p> <p>(iii) प्रभारी अभियंता उस राशि को छोड़कर प्रदर्शन गारंटी के तहत दावा नहीं करेगा जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति अनुबंध के तहत हकदार हैं (अनुबंध समझौते में किसी अन्य प्रावधान के बावजूद और/या पूर्वाग्रह के बिना) की स्थिति में:</p> <p>(iv) उपरोक्त वर्णित प्रदर्शन गारंटी की वैधता का विस्तार करने में ठेकेदार द्वारा विफलता, जिस स्थिति में प्रभारी अभियंता प्रदर्शन गारंटी की पूरी राशि का दावा कर सकता है।</p>
-----------------------------	--

## GENERAL CONDITION OF CONTRACT

### CLAUSES OF CONTRACT

<b>Performance Guarantee</b>	<p><b>Clause 1</b></p> <p>(I) The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee of 5% (Five percent) of the tendered amount in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement, (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) within period specified in Schedule 'F' from the date of issue of letter of acceptance. This period can be further extended by the Engineer-in-Charge up to a maximum period as specified in schedule 'F' on written request of the contractor stating the reason for delays in procuring the Performance Guarantee, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. This guarantee shall be in the form of Cash (in case guarantee amount is less than Rs.10,000/-) or Deposit at Call receipt of any scheduled bank/Banker's Cheque of any scheduled bank/Demand Draft of any scheduled bank/Pay Order of any scheduled bank (in case guarantee amount is less than Rs.1,00,000/-) or Government Securities or Fixed Deposit Receipts or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or the State Bank of India in accordance with the form annexed hereto. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the performance guarantee and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.</p> <p>(II) The Performance Guarantee shall be initially valid up to the stipulated date of completion plus minimum 60 days beyond that. If the same is submitted by the agency on schedule format I as per GCC. If the same is submitted on the format II as per GCC then the performance Guarantee shall be valid up to the stipulated date of completion plus minimum 6 months beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After recording of the completion certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest. However, in case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/ other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned year wise proportionately.</p> <p>(III) The Engineer-in-Charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of:</p> <p>(IV) Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer-in-Charge may claim the full amount of the Performance Guarantee.</p>
------------------------------	--

	<p>(v) भारत के राष्ट्रपति द्वारा ठेकेदार द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफलता, या तो ठेकेदार द्वारा सहमति के अनुसार या समझौते के किसी भी खंड / शर्तों के तहत निर्धारित की गई, इंजीनियर द्वारा इस आशय की सूचना की सेवा के 30 दिनों के भीतर- प्रभारी।</p> <p>(vi) अनुबंध के किसी भी खंड/शर्त के प्रावधान के तहत निर्धारित या रद्द किए जाने की स्थिति में, प्रदर्शन गारंटी पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति के निपटान में होगी</p>
<p><b>प्रतिभूति जमा की वसूली</b></p>	<p><b>खंड 1क</b></p> <p>जिन व्यक्ति/व्यक्तियों की निविदा स्वीकार की जा सकती है (बाद में ठेकेदार कहा जाता है) सरकार को अनुबंध के तहत किए गए कार्य के लिए उसे कोई भुगतान करते समय प्रत्येक चल और अंतिम बिल की सकल राशि के 2.5% की दर से राशि काटने की अनुमति देगा। कटौती की गई राशि कार्य के निविदा मूल्य के 2.5% की सुरक्षा जमा राशि की राशि होगी। इस तरह की कटौती सरकार द्वारा सुरक्षा जमा के माध्यम से की जाएगी और रखी जाएगी जब तक कि उसने ऊपर उल्लिखित दर पर सुरक्षा की राशि नकद या सरकारी प्रतिभूतियों या सावधि जमा रसीदों के रूप में जमा नहीं की है। यदि किसी बैंक की सावधि जमा रसीद ठेकेदार द्वारा सरकार को सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जाती है और बैंक उक्त सावधि जमा रसीद के खिलाफ भुगतान करने में असमर्थ है, तो इससे होने वाला नुकसान ठेकेदार पर पड़ेगा और ठेकेदार मांग पर घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रस्तुत करेगा।</p> <p>इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा देय सभी मुआवजे या अन्य रकम की कटौती की जा सकती है, या उसकी सुरक्षा जमा के पर्याप्त हिस्से की बिक्री से या उससे उत्पन्न होने वाले ब्याज से, या किसी भी राशि से भुगतान किया जा सकता है। जो किसी भी खाते पर सरकार द्वारा ठेकेदार को देय हो सकता है या हो सकता है और उसकी सुरक्षा जमा राशि को पूर्वोक्त रूप में ऐसी किसी भी कटौती या बिक्री के कारण कम करने की स्थिति में, ठेकेदार 10 दिनों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों या सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत नकद या सावधि जमा रसीद में अच्छा करेगा (यदि 12 महीने से अधिक समय तक जमा किया जाता है) इंजीनियर-इन-चार्ज के पक्ष में पृष्ठांकित किया जाता है, कोई भी राशि या रकम जो उसकी सुरक्षा जमा या उसके किसी हिस्से की बिक्री से काटी जा सकती है। सुरक्षा जमा ऊपर उल्लिखित दरों पर चालू बिलों और ठेकेदार के अंतिम बिल से एकत्र किया जाएगा।</p> <p>ऊपर कटौती के रूप में सुरक्षा जमा को एक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के खिलाफ जारी किया जा सकता है, इसके संचय पर न्यूनतम रु। 5 लाख इस शर्त के अधीन कि ऐसी बैंक गारंटी की राशि, अंतिम को छोड़कर, रुपये से कम नहीं होगी। 5 लाख. बशर्ते कि बयाना राशि के खिलाफ दी गई बैंक गारंटी की वैधता खंड 17 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी, जिसे खंड 2 और खंड 5 के प्रावधानों के तहत दिए गए अनुबंध के विस्तार के आधार पर समय-समय पर बढ़ाया जाएगा।</p>

	<p>(V) Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer-in- Charge.</p> <p>(VI) In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any of the Clause/Condition of the agreement, the performance guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India</p>
<p><b>Recovery of Security Deposit</b></p>	<p><b>Clause 1A</b></p> <p>The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at the rate of 2.5% of the gross amount of each running and final bill till the sum deducted will amount to security deposit of 2.5% of the tendered value of the work. Such deductions will be made and held by Government by way of Security Deposit unless he/they has/have deposited the amount of Security at the rate mentioned above in cash or in the form of Government Securities or fixed deposit receipts. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.</p> <p>All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favor of the Engineer-in-Charge, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills and the final bill of the contractor at the rates mentioned above.</p> <p>The security deposit as deducted above can be released against bank guarantee issued by a scheduled bank, on its accumulations to a minimum of Rs. 5 lakh subjects to the condition that amount of such bank guarantee, except last one, shall not be less than Rs. 5 lakhs. Provided further that the validity of bank guarantee including the one given against the earnest money shall be in conformity with provisions contained in clause 17 which shall be extended from time to time depending upon extension of contract granted under provisions of clause 2 and clause 5.</p>

	<p>एक ही भवन और सेवाओं/अन्य कार्यों के निर्माण के बाद भवन और सेवाओं/किसी अन्य कार्य के रखरखाव से जुड़े अनुबंधों के मामले में, प्रदर्शन गारंटी का 50% सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा। इसे वर्षवार अनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-1:</b> सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत सरकारी कागजात उसके बाजार मूल्य से 5% (पांच प्रतिशत) कम या उसके अंकित मूल्य पर, जो भी कम हो, लिए जाएंगे। सरकारी कागज के बाजार मूल्य का पता प्रभागीय अधिकारी द्वारा ब्याज के संग्रह के समय लगाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो सरकारी कागज के मूल्य में कमी की सीमा तक ब्याज की राशि रोक दी जाएगी।</p> <p><b>नोट-2:</b> सरकारी प्रतिभूतियों में नियम संख्या में उल्लिखित सभी प्रकार की प्रतिभूतियां शामिल होंगी। निष्ठा बांड को छोड़कर जीएफ नियमों का 274। यह सुरक्षा के प्रत्येक रूप के खिलाफ नियम के तहत उल्लिखित शर्त के पालन के अधीन होगा।</p> <p><b>नोट -3:</b> उपरोक्त नोट 1 और 2 खंड 1 और 1 ए दोनों के लिए लागू होंगे</p>
<p><b>विलंब के लिए मुआवजा</b></p>	<p><b>खंड 2</b></p> <p>यदि ठेकेदार खंड 5 के संदर्भ में आवश्यक प्रगति को बनाए रखने या काम को पूरा करने और अनुबंध पर या उससे पहले साइट को साफ करने में विफल रहता है या खंड 5 (खंड 5.5 के तहत किसी भी विस्तार को छोड़कर) के अनुसार पूर्णता की विस्तारित तिथि को सही ठहराता है। खंड 12 और 15 के तहत दिया गया विस्तार, वह ऐसे उल्लंघन के कारण सरकार को कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे निर्धारित दरों पर गणना की गई राशि का मुआवजे के रूप में भुगतान करेगा क्योंकि अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक पूर्ण दिन/महीने के लिए काम के स्वीकृत निविदा मूल्य की राशि पर निर्णय ले सकता है (जैसा कि निर्धारित किया गया है) कि प्रगति खंड 5 में निर्दिष्ट से नीचे रहती है या वह कार्य अधूरा रहता है।</p> <p>कार्य में विलंब के लिए मुआवजा</p> <p>(i) अधिकतम दर 1% (एक प्रतिशत) के साथ ठेकेदार की ओर से देरी के कारण हुए नुकसान की मात्रा के आधार पर प्रति दिन आधार पर गणना की जाने वाली देरी का अधिकतम प्रति माह। यदि कार्य का निर्धारित पूरा होना एक वर्ष से अधिक है</p> <p>(ii) अधिकतम दर 1% (एक प्रतिशत) से 2% (दो प्रतिशत) (अधिकतम) प्रति माह की देरी के साथ ठेकेदार की ओर से कथित देरी के कारण हुए नुकसान की मात्रा के आधार पर प्रति दिन आधार पर गणना की जानी चाहिए। यदि कार्य का निर्धारित पूरा होना छह महीने से अधिक और एक वर्ष तक है</p> <p>(iii) अधिकतम दर 2% (दो प्रतिशत) से 5% (पांच प्रतिशत) (अधिकतम) प्रति माह की देरी के साथ ठेकेदार की ओर से कथित देरी के कारण हुए नुकसान की मात्रा के आधार पर प्रति दिन आधार पर गणना की जानी है। यदि कार्य का निर्धारित पूरा होना छह महीने तक है</p>

	<p>In case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned yearwise proportionately.</p> <p><b>Note-1:</b> Government papers tendered as security will be taken at 5% (five per cent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market price of Government paper would be ascertained by the Divisional Officer at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Government paper will be withheld if necessary.</p> <p><b>Note-2:</b> Government Securities will include all forms of Securities mentioned in Rule No. 274 of the G.F. Rules except fidelity bond. This will be subject to the observance of the condition mentioned under the rule against each form of security.</p> <p><b>Note-3:</b> Note 1 &amp; 2 above shall be applicable for both clause 1 and 1A.</p>
<p><b>Compensation for Delay</b></p>	<p><b>Clause 2</b></p> <p>If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to complete the work and clear the site on or before the contract or justified extended date of completion as per clause 5 (excluding any extension under Clause 5.5) as well as any extension granted under clauses 12 and 15, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as compensation the amount calculated at the rates stipulated below as the authority specified in schedule 'F' may decide on the amount of accepted Tendered Value of the work for every completed day/month (as determined) that the progress remains below that specified in Clause 5 or that the work remains incomplete.</p> <p>Compensation for delay of work</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) With maximum rate 1% (one percent) maximum per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than one year</li> <li>(ii) With maximum rate 1% (one percent) to 2% (two percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than six months and upto one year</li> <li>(iii) With maximum rate 2% (two percent) to 5% (five percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is up to six months.</li> </ul>

बशर्ते कि इस शर्त के तहत भुगतान की जाने वाली देरी के लिए मुआवजे की कुल राशि काम के स्वीकृत निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी। यदि कार्य की प्रगति के दौरान प्राधिकरण द्वारा अनुसूची 'एफ' में कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है, तो यह उक्त प्राधिकारी द्वारा मुआवजा लगाने के अधिकार की छूट नहीं होगी यदि कार्य पूरा होने की अंतिम उचित विस्तारित तिथि पर अधूरा रहता है। यदि प्रभारी अभियंता उचित विस्तारित तिथि से परे काम के प्रदर्शन की अनुमति देने वाले समय का और विस्तार देने का निर्णय लेता है, तो ठेकेदार ऐसी विस्तारित अवधि के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि उचित विस्तारित तिथि से परे ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान अनुबंध की राशि में कोई भिन्नता होती है और ठेकेदार खंड 12 के तहत अतिरिक्त समय का हकदार हो जाता है, तो मुआवजे के उद्ग्रहण की अवधि तय करते समय ऐसी भिन्नता के लिए शुद्ध अवधि का हिसाब लगाया जाएगा। हालांकि, उचित विस्तारित अवधि से परे ऐसी आगे की विस्तारित अवधि के दौरान, यदि उप खंड 5.2 के तहत घटनाओं से कोई देरी होती है, तो ठेकेदार ऐसी देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यह उस खंड के तहत प्रदर्शन में देरी और मुआवजे के दावे के लिए खंड 3 के तहत प्रभारी अभियंता द्वारा कार्रवाई के अधिकार के पक्षपात के बिना है।

यदि खंड 2 के तहत कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और खंड 3 के तहत काम निर्धारित किया गया है, तो इस खंड के तहत कार्रवाई का अधिकार अनुबंध के निर्धारण के बाद भी रहेगा, लेकिन मुआवजे का उद्ग्रहण उन दिनों के लिए होगा जब प्रगति निर्धारित तिथि पर अनुसूची के पीछे है।, जैसा कि उचित विस्तार के उचित विचार के बाद, अनुसूची एफ में प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया है। विलंब के लिए मुआवजा, यदि अनुबंध के निर्धारण से पहले तय नहीं किया गया है, तो अनुबंध के निर्धारण के बाद तय किया जाएगा।

मुआवजे की राशि को इस या सरकार के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि के खिलाफ समायोजित या सेट-ऑफ किया जा सकता है। यदि ठेकेदार अनुसूची एफ में उल्लिखित किसी विशेष मील के पत्थर को प्राप्त नहीं करता है, या खंड 5.4 के संदर्भ में पुनः निर्धारित मील के पत्थर (ओं) को प्राप्त नहीं करता है, तो उस मील के पत्थर के खिलाफ दिखाई गई राशि को रोक दिया जाएगा, जैसा कि ऊपर लगाए गए मुआवजे के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। एक मील का पत्थर प्राप्त करने में विफलता पर इस राशि को रोकना, ठेकेदार को किसी भी सूचना के बिना स्वचालित होगा। हालांकि, यदि ठेकेदार बाद के मील के पत्थर (ओं) पर काम की प्रगति के साथ पकड़ता है, तो रोक दी गई राशि जारी की जाएगी। यदि ठेकेदार बाद के मील के पत्थर (ओं) में देरी की भरपाई करने में विफल रहता है, तो बाद में छूट गए प्रत्येक मील के पत्थर के खिलाफ उल्लिखित राशि भी रोक दी जाएगी। हालांकि, ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज, जो भी हो, देय नहीं होगा।

Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 10 % of the accepted Tendered Value of work. In case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said authority if the work remains incomplete on final justified extended date of completion.

If the Engineer in Charge decides to give further extension of time allowing performance of work beyond the justified extended date, the contractor shall be liable to pay compensation for such extended period. If any variation in amount of contract takes place during such extended period beyond justified extended date and the contractor becomes entitled to additional time under clause 12, the net period for such variation shall be accounted for while deciding the period for levy of compensation. However, during such further extended period beyond the justified extended period, if any delay occurs by events under sub clause 5.2, the contractor shall be liable to pay compensation for such delay.

This is without prejudice to right of action by the Engineer in Charge under clause 3 for delay in performance and claim of compensation under that clause.

In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been determined under clause 3, the right of action under this clause shall remain post determination of contract but levy of compensation shall be for days the progress is behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in Schedule F, after due consideration of justified extension. The compensation for delay, if not decided before the determination of contract, shall be decided after of determination of contract.

The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract with the Government. In case, the contractor does not achieve a particular milestone mentioned in schedule F, or the re-scheduled milestone(s) in terms of Clause 5.4, the amount shown against that milestone shall be withheld, to be adjusted against the compensation levied as above. With-holding of this amount on failure to achieve a milestone, shall be automatic without any notice to the contractor. However, if the contractor catches up with the progress of work on the subsequent milestone(s), the withheld amount shall be released. In case the contractor fails to make up for the delay in subsequent milestone(s), amount mentioned against each milestone missed subsequently also shall be withheld. However, no interest, whatsoever, shall be payable on such withheld amount.

## खंड 2क

कार्यों के लिए अनुमानित लागत रु. 25 लाख

यदि ठेकेदार कार्य को पूरा करने और अनुबंध अवधि पर या उससे पहले साइट को साफ करने के लिए आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है, तो वह ऐसे उल्लंघन के कारण सरकार को कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुआवजे के रूप में भुगतान करेगा। नीचे निर्धारित दरों पर गणना की गई राशि का भुगतान करें क्योंकि अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक पूर्ण दिन/महीने के लिए कार्य के स्वीकृत निविदा मूल्य की राशि पर निर्णय ले सकता है (जैसा कि निर्धारित किया गया है) कि कार्य निम्नलिखित तरीकों से अधूरा रहता है।

(i) यदि कोई बाधा नहीं है, तो काम अधूरा होने पर मुआवजा लगाया जाएगा।

(ii) यदि साइट उपलब्ध नहीं है तो कोई मुआवजा नहीं होगा।

(iii) यदि आंशिक बाधा है तो प्रभारी अभियंता उपलब्ध बाधा मुक्त समय में निष्पादित कार्य की मात्रा की तुलना करेगा। कुल समय और कुल कार्य। यदि निष्पादित वास्तविक कार्य यथानुपात आधार पर गणना की गई से कम है तो मुआवजा लगाया जाएगा।

कार्य में विलंब के लिए मुआवजा

(i) ठेकेदार के हिस्से में देरी के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा के आधार पर प्रति माह देरी के लिए अधिकतम दर 1% (एक प्रतिशत) की गणना प्रति दिन के आधार पर की जानी है। यदि कार्य का निर्धारित पूरा होना एक वर्ष से अधिक है।

(ii) ठेकेदार की ओर से कथित देरी के कारण हुए नुकसान की मात्रा के आधार पर प्रति माह देरी के 1% (एक प्रतिशत) से 2% (दो प्रतिशत) (अधिकतम) की दर से गणना की जानी है। यदि कार्य का निर्धारित पूरा होना छह महीने से अधिक और एक वर्ष तक है।

(iii) ठेकेदार की ओर से कथित देरी के कारण हुए नुकसान की मात्रा के आधार पर प्रति माह विलंब के 2% (दो प्रतिशत) से 5% (पांच प्रतिशत) (अधिकतम प्रतिशत) की दर से गणना की जानी है। यदि कार्य का निर्धारित पूरा होना छह महीने तक है।

बशर्ते कि इस शर्त के तहत भुगतान की जाने वाली देरी के लिए मुआवजे की कुल राशि काम के स्वीकृत निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी, यदि प्राधिकरण द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान अनुसूची 'एफ' में कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है, तो यह उक्त प्राधिकारी द्वारा मुआवजा लगाने के अधिकार की छूट नहीं होगी यदि कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि पर अधूरा रहता है।

यह उस खंड के तहत प्रदर्शन में देरी और मुआवजे के दावे के लिए खंड 3 के तहत प्रभारी अभियंता द्वारा कार्रवाई के अधिकार के पक्षपात के बिना है।

यदि खंड 2 के तहत कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और खंड 3 के तहत काम निर्धारित किया गया है, तो इस खंड के तहत कार्रवाई का अधिकार अनुबंध के निर्धारण के बाद भी रहेगा, लेकिन मुआवजे का उद्ग्रहण उन दिनों के लिए होगा जो निर्धारण की तारीख पर अनुसूची के पीछे हैं। अनुसूची एफ में प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया। अनुबंध के निर्धारण से पहले देरी के लिए मुआवजा, यदि अनुबंध के निर्धारण से पहले तय नहीं किया गया है, तो अनुबंध के निर्धारण के बाद तय किया जाएगा।

मुआवजे की राशि को इस या सरकार के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि के खिलाफ समायोजित या सेट-ऑफ किया जा सकता है।

**Clause 2A**

For Works estimated cost up to Rs. 25 Lacs

If the contractor fails to maintain the required progress to complete the work and clear the site on or before the contract period he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as compensation the amount calculated at the rates stipulated below as the authority specified in schedule 'F' may decide on the amount of accepted Tendered Value of the work for every completed day/ month (as determined) that the work remains incomplete in the following manners.

- (i) If there is no hindrance, compensation shall be levied if work is incomplete.
- (ii) If site is not available there will be no compensation.
- (iii) If there is partial hindrance then engineer- in - charge will compare amount of work executed in available hindrance free time w.r.t. total time and total work. Compensation will be levied if actual work executed is less than as calculated on pro rata basis.

Compensation for delay of work

- (i) With maximum rate 1% (one percent) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than one year.
- (ii) With rate 1% (one percent) to 2% (two percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than six month and up to one year.
- (iii) With rate 2% (two percent) to 5% (five percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is up to six month.

Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 10 % of the accepted Tendered Value of work In case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said authority if the work remains incomplete on stipulated date of completion.

This is without prejudice to right of action by the Engineer in Charge under clause 3 for delay in performance and claim of compensation under that clause.

In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been determined under clause 3, the right of action under this clause shall remain post determination of contract but levy of compensation shall be for days the progress is behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in Schedule F. The compensation for delay, if not decided before the determination of contract, shall be decided after determination of contract.

The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract with the Government.

<p><b>जब अनुबंध निर्धारित किया जा सकता है</b></p>	<p><b>खंड 3</b></p> <p>इस खंड में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, अभियंता-प्रभारी किसी भी देरी के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ किसी भी अन्य अधिकारों या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षा मानदंडों को हीन कारीगरी का पालन नहीं कर सकता है, नुकसान के लिए कोई दावा और/या इस अनुबंध के किसी अन्य प्रावधान या अन्यथा, और क्या पूरा होने की तारीख समाप्त हो गई है या नहीं, लिखित रूप में नोटिस द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी मामले में अनुबंध का निर्धारण करता है:</p> <p>(i) यदि ठेकेदार को प्रभारी अभियंता द्वारा किसी भी दोषपूर्ण कार्य को सुधारने, पुनर्निर्माण या बदलने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दिया गया है कि काम एक अक्षम या अन्यथा अनुचित या गैर-कर्मकार तरीके से किया जा रहा है। उसके बाद सात दिनों की अवधि के लिए इस तरह के नोटिस की आवश्यकता का पालन करने के लिए छोड़ दिया जाएगा।</p> <p>(ii) यदि ठेकेदार ने उचित कारण के बिना, काम की प्रगति को निलंबित कर दिया है या उचित परिश्रम के साथ काम करने में विफल रहा है और इंजीनियर-प्रभारी से सात दिनों के लिखित नोटिस के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है।</p> <p>(iii) यदि ठेकेदार कार्य या कार्य के अनुभाग को निर्धारित या उचित विस्तारित तिथि को या उससे पहले पूरा करने की व्यक्तिगत तिथि के साथ पूरा करने में विफल रहता है, तो पूरा होने की ऐसी तारीख को या उससे पहले; और प्रभारी अभियंता ने अनुबंध में किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी अन्य अधिकार या उपाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस संबंध में लिखित रूप में दिए गए नोटिस में या तो पारस्परिक रूप से सहमत होने के रूप में या अपने स्वयं के मूल्यांकन द्वारा इस तरह के पारस्परिक समझौते के अभाव में अनुबंध का सार बनाने में और उचित समय दिया है और अभियंता-प्रभारी की राय में ठेकेदार इसे पूरा करने में असमर्थ होगा या निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसे पूरा नहीं करता है।</p> <p>(iv) यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की लगातार उपेक्षा करता है और/या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में चूक करता है और इसे ठीक नहीं करता है या 7 दिनों के भीतर इसे ठीक करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है। प्रभारी अभियंता द्वारा उसे लिखित रूप में नोटिस दिए जाने के बाद।</p> <p>(v) यदि ठेकेदार सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को इस या सरकार के लिए किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने या करने के लिए मना करने या करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपहार या विचार देने की पेशकश करेगा या देने के लिए सहमत होगा।</p> <p>(vi) यदि ठेकेदार सरकार के साथ एक अनुबंध करेगा जिसके संबंध में उसके द्वारा या उसकी जानकारी के लिए कमीशन का भुगतान किया गया है या भुगतान करने के लिए सहमत है, जब तक कि ऐसे किसी कमीशन के विवरण और उसके भुगतान की शर्तों का पहले खुलासा नहीं किया गया है। प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में।</p>
---	--

<p><b>When Contract can be Determined</b></p>	<p><b>Clause 3</b></p> <p>Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-Charge may, without prejudice to any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay, not following safety norms inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) If the contractor having been given by the Engineer-in-Charge a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or un-workman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter.</li> <li>(ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-in-Charge.</li> <li>(iii) If the contractor fails to complete the work or section of work with individual date of completion on or before the stipulated or justified extended date, on or before such date of completion; and the Engineer in Charge without any prejudice to any other right or remedy under any other provision in the contract has given further reasonable time in a notice given in writing in that behalf as either mutually agreed or in absence of such mutual agreement by his own assessment making such time essence of contract and in the opinion of Engineer-in-Charge the contractor will be unable to complete the same or does not complete the same within the period specified.</li> <li>(iv) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and/ or commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge.</li> <li>(v) If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in Government service or to any other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other contract for Government.</li> <li>(vi) If the contractor shall enter into a contract with Government in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-in-Charge.</li> </ul>
---	--

- (vii) यदि ठेकेदार ने गलत निविदा या प्रतिस्पर्धी निविदा के अन्य गैर-वास्तविक तरीकों के परिणामस्वरूप सरकार के साथ अनुबंध हासिल किया था या अखंडता समझौते का उल्लंघन किया था।
- (viii) यदि ठेकेदार एक व्यक्ति है, या यदि कोई फर्म, उसके किसी भी भागीदार को किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाएगा या उसके खिलाफ की गई उसकी संपत्ति के प्रशासन के लिए एक प्राप्त आदेश या आदेश होगा या परिसमापन या संरचना के लिए कोई कार्यवाही करेगा। (समामेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्वैच्छिक परिसमापन के अलावा) किसी भी दिवाला अधिनियम के तहत उसके लेनदारों के लाभ के लिए या उसके प्रभाव संरचना या व्यवस्था के किसी भी वाहन या असाइनमेंट को बनाने के लिए या उसके लेनदारों के लाभ के लिए उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी भी दिवाला अधिनियम के तहत या यदि उसके लेनदारों के लाभ के लिए उसके द्वारा कोई ट्रस्ट डीड निष्पादित किया जाता है।
- (ix) यदि एक कंपनी होने के नाते ठेकेदार एक प्रस्ताव पारित करेगा या अदालत एक आदेश देगी कि कंपनी का घाव हो जाएगा या यदि किसी लेनदार की ओर से एक रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा या यदि परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो अदालत या लेनदार को एक रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती है या जो न्यायालय को एक समापन आदेश देने का अधिकार देती है।
- (x) यदि ठेकेदार को अपने माल पर लगाया जा रहा निष्पादन भुगतना पड़ेगा और उसे 21 दिनों की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति देगा।
- (xi) यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अन्य एजेंसी (ओं) को सौंपे गए कार्य के भाग (ओं) को छोड़कर, स्थानांतरण, उपलेट (टुकड़े-टुकड़े काम के आधार पर श्रम की सगाई या सामग्री के साथ श्रम की सगाई कार्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए) या प्रभारी अभियंता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना पूरे कार्यों या उसके किसी भी हिस्से के साथ सौंपने, स्थानांतरित करने, सबलेट या अन्यथा भागों के साथ या अन्यथा भागों को सौंपने का प्रयास नहीं किया जाएगा। जब ठेकेदार ने उपरोक्त किसी भी मामले के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बनाया है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रभारी अभियंता के पास शक्तियां होंगी:
- (क) जहां तक ठेकेदार द्वारा काम के प्रदर्शन का संबंध है, अनुबंध का निर्धारण करना (जिसमें से प्रभारी अभियंता के हाथ में ठेकेदार को लिखित रूप में निर्धारण नोटिस निर्णायक साक्ष्य होगा)। इस तरह के निर्धारण पर, पहले से ही वसूल की गई सुरक्षा जमा, सुरक्षा जमा, देय, अनुबंध के तहत प्रदर्शन गारंटी जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी और पूरी तरह से सरकार के निपटान में होगी
- (ख) ठेकेदार के काम को मापने और इस तरह के संपूर्ण, या शेष या उसके हिस्से को लेने के लिए ठेकेदार को नोटिस देने के बाद, जैसा कि उसके हाथों से निष्पादित किया जाएगा और इसे किसी अन्य ठेकेदार को देने के लिए काम पूरा करने के लिए। ठेकेदार, जिसका अनुबंध ऊपर के रूप में निर्धारित किया गया है, को शेष कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>(vii) If the contractor had secured the contract with Government as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or commits breach of Integrity Agreement.</p> <p>(viii) If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors.</p> <p>(ix) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or the creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.</p> <p>(x) If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days.</p> <p>(xi) If the contractor assigns (excluding part(s) of work assigned to other agency(s) by the contractor as per terms of contract), transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts with the entire works or any portion thereof without the prior written approval of the Engineer -in-Charge. When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Engineer-in- Charge on behalf of the President of India shall have powers:</p> <p>(a) To determine the contract as aforesaid so far as performance of work by the Contractor is concerned (of which determination notice in writing to the contractor under the hand of the Engineer-in-Charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, Security Deposit already recovered, Security Deposit, payable, Performance Guarantee under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Government</p> <p>(b) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall be un-executed out of his hands and to give it to another contractor to complete the work. The contractor, whose contract is determined as above, shall not be allowed to participate in the tendering process for the balance work.</p> |
|--|---|

	<p>प्रभारी अभियंता द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अपनाए जाने की स्थिति में, ठेकेदार के पास किसी भी सामग्री को खरीदने या खरीदने या किसी भी सगाई में प्रवेश करने या खाते में कोई अग्रिम देने के कारणों से उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा। या कार्य के निष्पादन या अनुबंध के प्रदर्शन की दृष्टि से। और यदि उपरोक्त किसी भी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाती है, तो ठेकेदार किसी भी कार्य के लिए किसी भी राशि की वसूली या भुगतान करने का हकदार नहीं होगा या वास्तव में इस अनुबंध के तहत किया जाएगा जब तक कि प्रभारी अभियंता लिखित रूप में प्रमाणित न कर दे। ऐसे कार्य का प्रदर्शन और उसके संबंध में देय मूल्य और वह केवल प्रमाणित मूल्य का भुगतान करने का हकदार होगा।</p>
	<p><b>खंड 3क</b></p> <p>यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय की 1/8 तारीख के भीतर या एक महीना, जो भी अधिक हो, ठेकेदार के नियंत्रण में नहीं होने के कारणों से काम शुरू नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी पक्ष कारणों को बताते हुए दूसरे पक्ष को नोटिस देकर अनुबंध को बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में, ठेकेदार की प्रदर्शन गारंटी 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी और कोई भी पक्ष ऐसी स्थिति के लिए किसी भी मुआवजे का दावा नहीं करेगा। यह खंड किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के लिए लागू नहीं है।</p>
<p><b>यदि खंड 3 के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है तो भी ठेकेदार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है</b></p>	<p><b>खंड 4</b></p> <p>किसी भी मामले में जिसमें खंड -3 द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रदत्त कोई भी शक्तियां, प्रयोग योग्य हो गई हैं और उनका प्रयोग नहीं किया गया है, उसका गैर-प्रयोग यहां की किसी भी शर्त की छूट का गठन नहीं करेगा और ऐसी शक्तियां ठेकेदार द्वारा डिफॉल्ट के किसी भी भविष्य के मामले में प्रयोग करने योग्य होंगी और मुआवजे के लिए ठेकेदार का दायित्व अप्रभावित रहेगा। प्रभारी अभियंता के पूर्ववर्ती खंड के तहत उसके पास निहित सभी या किसी भी शक्ति को लागू करने की स्थिति में, यदि वह ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद चाहता है, तो उस पर कब्जा कर सकता है (या एकमात्र विवेक पर) प्रभारी अभियंता जो अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) भाड़े पर उपयोग (किराया धन की राशि प्रभारी अभियंता के अंतिम निर्धारण में भी है) सभी या किसी भी उपकरण, संयंत्र, सामग्री और स्टोर, काम में या ठेकेदार से संबंधित या उसके स्थान पर, या ठेकेदार द्वारा खरीदे गए और काम के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने का इरादा रखता है। / या उसका कोई हिस्सा, अनुबंध दरों पर खाते में भुगतान या अनुमति देना, या, इन लागू नहीं होने की स्थिति में, अभियंता-प्रभारी द्वारा प्रमाणित की जाने वाली वर्तमान बाजार दरों पर, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा, और ठेकेदार, फोरमैन या अन्य अधिकृत एजेंट, ऐसे उपकरणों या स्टोर को हटाने के लिए बाध्यकारी होगा, परिसर में निर्दिष्ट समय के भीतर (ऐसे किसी भी समय के भीतर) ठेकेदार को हटाने या ऐसे किसी भी जोखिम की स्थिति में ठेकेदार को हटाने और ऐसे किसी भी जोखिम के लिए ठेकेदार के खर्च और ऐसे खर्च के लिए ठेकेदार द्वारा उन्हें हटाने या बेचने की आवश्यकता हो सकती है।</p>

	<p>In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and until the Engineer-in-Charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.</p>
	<p><b>Clause 3A</b></p> <p>In case, the work cannot be started due to reasons not within the control of the contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or one month whichever is higher, either party may close the contract by giving notice to the other party stating the reasons. In such eventuality, the Performance Guarantee of the contractor shall be refunded within 15 days Neither party shall claim any compensation for such eventuality. This clause is not applicable for any breach of the contract by either party.</p>
<p><b>Contractor liable to pay compensation even if action not taken under Clause 3</b></p>	<p><b>Clause 4</b></p> <p>In any case in which any of the powers conferred upon the Engineer-in-Charge by Clause- 3 thereof, shall have become exercisable and the same are not exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the contractor for compensation shall remain unaffected. In the event of the Engineer-in-Charge putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clause he may, if he so desires after giving a notice in writing to the contractor, take possession of (or at the sole discretion of the Engineer-in-Charge which shall be final and binding on the contractor) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-Charge) all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof belonging to the contractor, or procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work/or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the Engineer-in-Charge, whose certificate thereof shall be final, and binding on the contractor, clerk of the works, foreman or other authorized agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) in the event of the contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-Charge may remove them at the contractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and his risk in all respects and the certificate of the Engineer-in-Charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.</p>

अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमत समय या इन शर्तों के अनुसार विस्तारित समय अनुबंध का सार होगा। कार्य का निष्पादन अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित समय अवधि से या प्रभारी अभियंता द्वारा अधिसूचित साइट को सौंपने की तारीख से, जो भी बाद में हो, शुरू होगा। यदि ठेकेदार पूर्वोक्त कार्य के निष्पादन को शुरू करने में चूक करता है, तो प्रदर्शन गारंटी प्रभारी अभियंता द्वारा जब्त कर ली जाएगी और कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार के निपटान में पूरी तरह से होगी।

5.1 (i) जितनी जल्दी हो सके लेकिन कार्य प्रदान करने के 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर और विचार में

(क) अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट साइट को सौंपने की अनुसूची

(ख) अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट ड्राइंग जारी करने की अनुसूची यदि लागू हो

ठेकेदार प्रत्येक मील पत्थर के लिए एक समय और प्रगति चार्ट प्रस्तुत करेगा। अभियंता-प्रभारी 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर, यदि आवश्यक हो, संशोधित कर सकता है, और ठेकेदार को अनुमोदित कार्यक्रम को सूचित कर सकता है, ऐसा न करने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित माना जाएगा। कार्य कार्यक्रम में शेष आहरणों के सभी विवरण और विशिष्ट तिथियों के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्णय शामिल होंगे, जिसके द्वारा ठेकेदार द्वारा काम के निष्पादन में किसी भी देरी के बिना इन विवरणों की आवश्यकता होती है। कार्य की मदों को पूरा करने के लिए अनुबंध दस्तावेजों में बताए गए समय के संबंध में चार्ट तैयार किया जाएगा। यह कार्य के अनुभागों के विभिन्न ट्रेडों के शुरू होने और पूरा होने की तारीखों का पूर्वानुमान इंगित करेगा और अनुबंध दस्तावेजों में लगाए गए समय की सीमा के भीतर प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच समझौते द्वारा आवश्यक रूप से संशोधित किया जा सकता है।

(ii) ठेकेदार द्वारा कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत न करने के मामले में प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम को अंतिम माना जाएगा।

(iii) ऐसे कार्यक्रम के अभियंता प्रभारी द्वारा अनुमोदन अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व से ठेकेदार को राहत नहीं देगा।

(iv) ठेकेदार पारस्परिक रूप से सहमत सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या पिछले महीने के दौरान किए गए कार्य के लिए इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा तय किए गए अन्य प्रारूप में समय और प्रगति चार्ट और प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक महीने के 5 वें दिन या उससे पहले इंजीनियर-इन-चार्ज को प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा तय की जाने वाली अनुसूची एफ के अनुसार वसूली मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के मामले में प्रति सप्ताह या आंशिक आधार पर की जाएगी।

**Time and Extension for Delay**

**Clause 5**

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the work shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site, notified by the Engineer-in-Charge, whichever is later. If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid, the performance guarantee shall be forfeited by the Engineer in Charge and shall be absolutely at the disposal of the Government without prejudice to any other right or remedy available in law.

**5.1** (i) As soon as possible but within 7 (seven) working days of award of work and in consideration of

- (a) Schedule of handing over of site as specified in the Schedule 'F'
- (b) Schedule of issue of drawings if applicable as specified in the Schedule 'F'

The Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each mile stone. The Engineer-in-Charge may within 7 (seven) working days thereafter, if required modify, and communicate the program approved to the contractor failing which the program submitted by the contractor shall be deemed to be approved by the Engineer-in-Charge. The work programme shall include all details of balance drawings and decisions required to complete the contract with specific dates by which these details are required by contractor without causing any delay in execution of the work. The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the works. It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time imposed in the Contract documents.

- (ii) In case of non-submission of work programme by the contractor the program approved by the Engineer-in-Charge shall be deemed to be final.
- (iii) The approval by the Engineer-in-Charge of such programme shall not relieve the contractor of any of the obligations under the contract.
- (iv) The contractor shall submit the Time and Progress Chart and progress report using the mutually agreed software or in other format decided by Engineer-in- Charge for the work done during previous month to the Engineer-in-charge on or before 5th day of each month failing which a recovery as per Schedule F to be decided by the NIT approving authority shall be made on per week or part basis in case of delay in submission of the monthly progress report.

5.2 यदि कार्य में देरी हो: -

- (i) जबरन अराजकता, या
- (ii) सामान्य रूप से खराब मौसम, या
- (iii) आग से गंभीर हानि या नुकसान,
- (iv) कामगारों की आवाजाही, स्थानीय हंगामा, हड़ताल या तालाबंदी, काम पर नियोजित किसी भी व्यापार को प्रभावित करती है, या
- (v) अनुबंध का हिस्सा नहीं बनने वाले काम को निष्पादित करने में इंजीनियर-प्रभारी द्वारा लगे अन्य ठेकेदारों या व्यापारियों की ओर से देरी, या
- (vi) उपरोक्त जैसा कोई अन्य कारण, जिसमें अभियंता-प्रभारी की तर्कसंगत राय ठेकेदार के नियंत्रण से परे है।

फिर ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, ठेकेदार तुरंत प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में नोटिस देगा, लेकिन फिर भी देरी को रोकने या अच्छा करने के लिए लगातार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और वह सब करेगा जो उचित रूप से आवश्यक हो सकता है। कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए।

उप खंड 5.2 में सूचीबद्ध घटनाओं के लिए ठेकेदार के पास दिए गए समय के विस्तार या मील के पत्थर के पुनर्निर्धारण के लिए नुकसान का कोई दावा नहीं होगा।

5.3 मामले में किसी भी कारण/घटना के लिए विभाग द्वारा ठेकेदार की राय में काम बाधित होता है, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार है। अनुसूची 'एफ' में दर्शाया गया प्राधिकरण, यदि उचित हो, तो समय का उचित और उचित विस्तार देगा और काम पूरा करने के लिए मील के पत्थरों को पुनर्निर्धारित करेगा

समय का ऐसा विस्तार या मील के पत्थर का पुनर्निर्धारण अनुबंध या कानून में पार्टियों के किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा; बशर्ते कि इस उप खंड और उप खंड 5.2 के तहत समवर्ती देरी के लिए उप खंड 5.2 के तहत देरी को कवर करने की सीमा तक ठेकेदार केवल समय के विस्तार का हकदार होगा और कोई नुकसान नहीं होगा।

5.4 मील पत्थरों के पुनर्निर्धारण या समय के विस्तार के लिए अनुरोध, विचार के लिए पात्र होने के लिए, ठेकेदार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर देरी के कारण घटना के होने के चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप में किया जाएगा। अनुसूची 'एफ' में दर्शाए गए अनुसार प्राधिकरण को क्रमशः समय (परिशिष्ट -XVI) के विस्तार की मांग के लिए ठेकेदार द्वारा मील के पत्थर या आवेदन के रूप के पुनर्निर्धारण की मांग के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन का प्रपत्र। ठेकेदार ऐसे अनुरोध में उस अवधि को इंगित करेगा जिसके द्वारा मील के पत्थर का पुनर्निर्धारण या समय का विस्तार वांछित है।

माइलस्टोन के पुनर्निर्धारण के लिए प्रत्येक अनुरोध के साथ, या यदि किसी भी समय कार्य की वास्तविक प्रगति अनुबंध के पूरा होने की निर्धारित अवधि के 10% से अधिक द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के पीछे आती है, तो ठेकेदार एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा जिसमें लंबित ड्राइंग के सभी विवरण शामिल होंगे। और अनुबंध को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्णय और लक्ष्य तिथियां भी जिनके द्वारा ये विवरण काम के निष्पादन में किसी भी देरी के बिना उपलब्ध होने चाहिए। संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने में देरी के मामले में अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट एक वसूली प्रति दिन के आधार पर की जाएगी।

**5.2** If the work(s) be delayed by:-

- (i) force majeure, or
- (ii) abnormally bad weather, or
- (iii) serious loss or damage by fire, or
- (iv) civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the trades employed on the work, or
- (v) delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in-Charge in executing work not forming part of the Contract, or
- (vi) Any other cause like above which, in the reasoned opinion of the Engineer-in-Charge is beyond the Contractor's control.

Then upon the happening of any such event causing delay, the Contractor shall immediately give notice thereof in writing to the Engineer-in-Charge but shall nevertheless use constantly his best endeavours to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to proceed with the works.

The contractor shall have no claim of damages for extension of time granted or rescheduling of milestone/s for events listed in sub clause 5.2.

**5.3** In case the work is hindered in the opinion of the contractor, by the Department for any reason/event, for which the Department is responsible. The authority as indicated in Schedule 'F' shall, if justified, give a fair and reasonable extension of time and reschedule the mile stones for completion of work

Such extension of time or rescheduling of milestone/s shall be without prejudice to any other right or remedy of the parties in contract or in law; provided further that for concurrent delays under this sub clause and sub clause 5.2 to the extent the delay is covered under sub clause 5.2 the contractor shall be entitled to only extension of time and no damages.

**5.4** Request for rescheduling of Mile stones or extension of time, to be eligible for consideration, shall be made by the Contractor in writing within fourteen days of the happening of the event causing delay on the prescribed forms i.e. Form of application by the contractor for seeking rescheduling of milestones or Form of application by the contractor for seeking extension of time (Appendix -XVI) respectively to the authority as indicated in Schedule 'F'. The Contractor shall indicate in such a request the period by which rescheduling of milestone/s or extension of time is desired.

With every request for rescheduling of milestones, or if at any time the actual progress of work falls behind the approved programme by more than 10% of the stipulated period of completion of contract, the contractor shall produce a revised programme which shall include all details of pending drawings and decisions required to complete the contract and also the target dates by which these details should be available without causing any delay in execution of the work. A recovery as specified in Schedule 'F' shall be made on per day basis in case of delay in submission of the revised programme.

	<p><b>5.4.1</b> ऐसे किसी भी मामले में अनुसूची 'एफ' में दर्शाए गए प्राधिकारी कार्य को पूरा करने या मील के पत्थरों को पुनर्निर्धारित करने के लिए उचित और उचित समय दे सकते हैं। प्रभारी अभियंता बाद के मील पत्थर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले किसी विशेष मील पत्थर को अंतिम रूप देगा/पुनर्निर्धारित करेगा, मील के पत्थर के इस तरह के विस्तार या पुनर्निर्धारण को प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को लिखित रूप में अनुसूची 'एफ' में इंगित किया जाएगा। ठेकेदार से इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख के 21 दिनों के भीतर। ठेकेदार को अवसर प्रदान करने के बाद समय ई-इन-सी के विस्तार के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन न करने की स्थिति में, एक कार्यक्रम के साथ समर्थित (जैसा कि ऊपर 5.4 के तहत निर्दिष्ट है), घटना की घटना की उचित अवधि के भीतर एक उचित और उचित विस्तार।</p> <p>यदि ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता की राय में, किसी भी कारण से काम में देरी की जाती है, तो खंड 5.2 या खंड 5.3 या खंड 5.4 में उल्लिखित घटनाओं से परे और उचित विस्तारित तिथि से परे; खंड 3 के तहत कार्रवाई करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभियंता-प्रभारी मील के पत्थर के पुनर्निर्धारण के बिना काम पूरा करने के लिए आवश्यक समय का विस्तार कर सकता है। ठेकेदार ऐसे समय के विस्तार के लिए देरी के लिए मुआवजे के उद्ग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा।</p>
<p><b>समय कार्यों के लिए अनुबंध का सार है</b></p>	<p><b>खंड 5 क</b></p> <p>अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अनुमत समय अनुबंध का सार होगा अर्थात् अनुबंध की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। कार्य का निष्पादन अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित समयावधि से शुरू होगा। यदि ठेकेदार पूर्वोक्त कार्य के निष्पादन को शुरू करने में चूक करता है, तो प्रदर्शन गारंटी प्रभारी अभियंता द्वारा जब्त कर ली जाएगी और कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार के निपटान में होगी।</p>
<p><b>कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका</b></p>	<p><b>खंड 6क</b></p> <p>प्रभारी अभियंता, अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, अनुबंध के अनुसार किए गए कार्य के मूल्य का पता लगाएगा और माप द्वारा निर्धारित करेगा।</p> <p>वित्तीय मूल्य वाली सभी वस्तुओं के सभी माप ठेकेदार द्वारा दर्ज किए जाएंगे और विभाग के प्रारूप के अनुसार ए-4 आकार के पृष्ठों वाली कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका के आकार में संकलित किए जाएंगे ताकि अनुबंध के तहत किए गए कार्यों की सभी वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके।</p> <p>कार्य की प्रगति के दौरान ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर दर्ज किए गए ऐसे सभी माप और स्तरों की जांच ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के परामर्श से निर्धारित अंतराल या कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ। प्रभारी अभियंता द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों के बाद, सुधार को शामिल करने और अभियंता-प्रभारी और ठेकेदार द्वारा दिनांकित हस्ताक्षरों के लिए इंजीनियर-प्रभारी को पुनः प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार को माप पत्र वापस कर दिए जाएंगे। या उनकी स्वीकृति के प्रतीक में उनके प्रतिनिधि।</p> <p>जब भी बिल भुगतान के लिए देय होता है, तो ठेकेदार शुरू में ड्राफ्ट कम्प्यूटरीकृत माप पत्रक प्रस्तुत करेगा और इन मापों की जांच इंजीनियर-प्रभारी और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से की जाएगी। इसके बाद, ठेकेदार अपने ड्राफ्ट कम्प्यूटरीकृत माप में इन चेक/परीक्षण जांच के दौरान किए जा सकने वाले परिवर्तनों को शामिल करेगा, और विभाग को एक कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तक, विधिवत बंधी हुई और इसके पृष्ठों की मशीन संख्या के साथ प्रस्तुत करेगा। अभियंता-प्रभारी और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि इसके बाद इस एमबी की जांच करेंगे, और उनके चेक/परीक्षण जांच के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करेंगे।</p>

	<p><b>5.4.1</b> In any such case the authority as indicated in Schedule 'F' may give a fair and reasonable extension of time for completion of work or reschedule the mile stones. Engineer -in-Charge shall finalize/ reschedule a particular mile stone before taking an action against subsequent mile stone Such extension or rescheduling of the milestones shall be communicated to the Contractor by the authority as indicated in Schedule 'F' in writing, within 21 days of the date of receipt of such request from the Contractor in prescribed form. In event of non-application by the contractor for extension of time E-in-C after affording opportunity to the contractor, may give, supported with a programme (as specified under 5.4 above), a fair and reasonable extension within a reasonable period of occurrence of the event.</p> <p>In case the work is delayed by any reasons, in the opinion of the Engineer-in-Charge, by the contractor for reasons beyond the events mentioned in clause 5.2 or clause 5.3 or clause 5.4 and beyond the justified extended date; without prejudice to right to take action under Clause 3, the Engineer-in-Charge may grant extension of time required for completion of work without rescheduling of milestones. The contractor shall be liable for levy of compensation for delay for such extension of time.</p>
<p><b>Time is the essence of the contract for works</b></p>	<p><b>Clause 5A</b></p> <p>The time allowed for execution of the work as specified in the Schedule 'F' shall be the essence of the Contract i.e. the contract period will not be extended. The execution of the work shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F'. If the contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid the performance guarantee shall be forfeited by the Engineer in Charge and shall be absolutely at the disposal of the Government without prejudice to any other right or remedy available in law.</p>
<p><b>Computerized Measurement Book</b></p>	<p><b>Clause 6A</b></p> <p>Engineer-in-Charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the contract.</p> <p>All measurements of all items having financial value shall be entered by the contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book having pages of A-4 size as per the format of the department so that a complete record is obtained of all the items of works performed under the contract.</p> <p>All such measurements and levels recorded by the contractor or his authorized representative from time to time, during the progress of the work, shall be got checked by the contractor from the Engineer-in-Charge or his authorized representative as per interval or program fixed in consultation with Engineer-in-Charge or his authorized representative. After the necessary corrections made by the Engineer-in-Charge, the measurement sheets shall be returned to the contractor for incorporating the corrections and for resubmission to the Engineer-in- Charge for the dated signatures by the Engineer-in- Charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance.</p> <p>Whenever bill is due for payment, the contractor would initially submit draft computerized measurement sheets and these measurements would be got checked/test checked from the Engineer-in-Charge and/or his authorized representative. The contractor will, thereafter, incorporate such changes as may be done during these checks/test checks in his draft computerized measurements, and submit to the department a computerized measurement book, duly bound, and with its pages machine numbered. The Engineer-in- Charge and/or his authorized representative would thereafter check this MB, and record the necessary certificates for their checks/test checks.</p>

ठेकेदार द्वारा दी गई अंतिम, निष्पक्ष, कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तक, विधिवत बंधी हुई है, इसके पृष्ठों की मशीन क्रमांकित है, 100% सही होनी चाहिए, और उसके बाद माप में किसी भी कटिंग या ओवर-राइटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी त्रुटि पर ध्यान दिया जाता है, तो विभाग द्वारा पहले के एमबी को रद्द करने के बाद, ठेकेदार को अपने पृष्ठों के साथ एक नया कम्प्यूटरीकृत एमबी जमा करना होगा। इसके बाद, एमबी को प्रभागीय कार्यालय रिकॉर्ड में लिया जाएगा, और कम्प्यूटरीकृत एमबीएस के रजिस्टर के अनुसार एक संख्या आवंटित की जाएगी। यह भुगतान के लिए डिवीजन कार्यालय को संबंधित बिल प्रस्तुत करने से पहले किया जाना चाहिए। ठेकेदार विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा संदर्भ और रिकॉर्ड के उद्देश्य से ऐसे कम्प्यूटरीकृत एमबी की दो अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

ठेकेदार लागत के अपने कम्प्यूटरीकृत सार और इन मापों के आधार पर बिल को अलग से विभाग को भी प्रस्तुत करेगा, जो विधिवत बाध्य है, और इसके पृष्ठों की मशीन को "बिल" की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ क्रमांकित किया जाएगा। इसके बाद, इस विधेयक को डिवीजन कार्यालय द्वारा संसाधित किया जाएगा और कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के अनुसार उसी तरह से एक संख्या आवंटित की जाएगी जैसे माप के लिए मापन पुस्तक के लिए किया गया है।

ठेकेदार, अतिरिक्त शुल्क के बिना, इंजीनियर-प्रभारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा माप/स्तर की जांच के लिए आवश्यक प्रत्येक उपकरण, श्रम और अन्य चीजों के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

सिवाय इसके कि जहां कार्य का कोई सामान्य या विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से इसके विपरीत दिखाता है, माप की प्रासंगिक मानक विधि या किसी सामान्य या स्थानीय रीति-रिवाज में किसी भी प्रावधान के बावजूद विनिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा। उन मदों के मामले में जो विनिर्देशों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी माप की प्रासंगिक मानक विधि के अनुसार माप लिया जाएगा और यदि किसी भी आइटम के लिए ऐसा कोई मानक उपलब्ध नहीं है तो पारस्परिक रूप से सहमत विधि का पालन किया जाएगा।

ठेकेदार किसी भी कार्य की जांच और/या परीक्षण जांच की पहुंच से परे कवर करने या अन्यथा रखने से पहले काम के प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को कम से कम सात दिनों का नोटिस देगा ताकि किसी भी कार्य की माप की जांच की जा सके और / या परीक्षण की जांच की जा सके और उसके सही आयामों को जांच और/या परीक्षण जांच माप की पहुंच से परे कवर या रखा जाए और किसी भी कार्य को माप की पहुंच से परे कवर और स्थान नहीं दिया जाएगा। प्रभारी अभियंता या कार्य के प्रभारी उसके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना जो सात दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा, और यदि कोई कार्य जांच और/या परीक्षण जांच माप की पहुंच से परे कवर किया जाएगा या रखा जाएगा, बिना ऐसी सूचना दिए या इंजीनियर-प्रभारी की सहमति लिखित रूप में प्राप्त की जा रही है, तो उसे ठेकेदार के खर्च पर उजागर किया जाएगा, या डिफॉल्ट रूप से ऐसे कार्य या सामग्री के लिए कोई भुगतान या भत्ता या भत्ते या सामग्री नहीं बनाया जाएगा जिसके साथ इसे निष्पादित किया गया था। प्रभारी अभियंता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि या तो स्वयं या विभाग के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से ठेकेदार द्वारा दर्ज माप की जांच कर सकता है और ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान माप या स्तरों की ऐसी जांच पर लागू होंगे।

यह इस अनुबंध का एक शब्द भी है कि अंतिम बिल के कारण माप पुस्तिका और/या अंतरिम में इसके भुगतान में काम की किसी भी वस्तु के माप की जांच और / या परीक्षण की जांच करना निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जाएगा। किसी भी कार्य या सामग्री की पर्याप्तता जिससे यह संबंधित है और न ही यह ठेकेदार को दोष देयता अवधि के पूरा होने तक देखे गए किसी भी अधिक माप या दोषों से देनदारियों से मुक्त करेगा।

The final, fair, computerized measurement book given by the contractor, duly bound, with its pages machine numbered, should be 100% correct, and no cutting or over-writing in the measurements would thereafter be allowed. If at all any error is noticed, the contractor shall have to submit a fresh computerized MB with its pages duly machine numbered and bound, after getting the earlier MB cancelled by the department. Thereafter, the MB shall be taken in the Divisional Office records, and allotted a number as per the Register of Computerized MBs. This should be done before the corresponding bill is submitted to the Division Office for payment. The contractor shall submit two spare copies of such computerized MB's for the purpose of reference and record by the various officers of the department.

The contractor shall also submit to the department separately his computerized Abstract of Cost and the bill based on these measurements, duly bound, and its pages machine numbered along with two spare copies of the "bill. Thereafter, this bill will be processed by the Division Office and allotted a number as per the computerized record in the same way as done for the measurement book meant for measurements.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for checking of measurements/levels by the Engineer-in-Charge or his representative.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give not less than seven days' notice to the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of checking and/or test checking the measurement of any work in order that the same may be checked and/or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurements without such notice having been given or the Engineer-in-Charge's consent being obtained in writing the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-Charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the department to check the measurements recorded by contractor and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that checking and/or test checking the measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

**मध्यवर्ती  
प्रमाणपत्र पर  
भुगतान को  
अग्रिम माना  
जाएगा**

### **खंड 7**

काम के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत रु। पूरे कार्य के पूरा होने और पूरा होने का प्रमाण पत्र दिए जाने तक पांच लाख या उससे कम। रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए। पांच लाख, अंतरिम या चालू खाता बिल ठेकेदार द्वारा ऐसे दर्ज किए गए माप के आधार पर निष्पादित कार्य के लिए विभाग के प्रारूप पर तीन प्रतियों में इंजीनियर-प्रभारी द्वारा निर्धारित प्रत्येक महीने की तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएंगे। ठेकेदार ऐसे किसी भी अंतरिम भुगतान का भुगतान करने का हकदार नहीं होगा यदि एकत्र की गई सामग्री के लिए अग्रिमों के शुद्ध भुगतान/समायोजन के साथ किया गया सकल कार्य, यदि कोई हो, क्योंकि ऐसा अंतिम भुगतान अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट राशि से कम है, जिस स्थिति में अंतरिम बिल अपेक्षित प्रगति प्राप्त होने के बाद महीने की नियत तारीख को तैयार किया जाएगा। अभियंता-प्रभारी कार्य के अपेक्षित माप को लेने या लेने के लिए बिल को सत्यापित करने की व्यवस्था करेगा, जहां आवश्यक हो। बिल प्रस्तुत करने में ठेकेदार की विफलता की स्थिति में, ब्याज सहित भुगतान में देरी के कारण कोई भी दावा ठेकेदार को देय नहीं होगा। अभियंता-प्रभारी द्वारा स्वीकार्य राशि के कारण भुगतान उस राशि को प्रमाणित करते हुए किया जाएगा जिसके लिए ठेकेदार को अभियंता-प्रभारी द्वारा तय की गई दरों पर अंतरिम भुगतान के माध्यम से हकदार माना जाता है। अनुज्ञेय राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा अभियंता-प्रभारी या उसके सहायक को बिल प्रस्तुत करने के दिन के बाद 10 वें कार्य दिवस तक किया जाएगा। विभाग द्वारा जारी की गई सामग्री, या नष्ट की गई सामग्री, यदि कोई हो, के खाते के साथ इंजीनियर। प्रभारी अभियंता के मुख्यालय के बाहर के कार्यों के मामले में, दस कार्य दिवसों की अवधि को पंद्रह कार्य दिवसों तक बढ़ाया जाएगा।

ऐसे सभी अंतरिम भुगतानों को केवल अंतिम भुगतान के खिलाफ अग्रिमों के माध्यम से भुगतान के रूप में माना जाएगा और बुरे, विकृत और अपूर्ण या अकुशल कार्य को अस्वीकृत, हटाने, ले जाने और पुनर्निर्माण या फिर से स्थापित करने की आवश्यकता को नहीं रोकेगा। ऐसे भुगतान के हिस्से के रूप में किए गए कार्य या वितरित सामग्री से संबंधित प्रभारी अभियंता द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र, किसी भी बाद के ऐसे प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्रों) या अंतिम प्रमाण पत्र द्वारा संशोधित या सही किया जा सकता है और अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामग्री जिससे यह संबंधित है / अनुबंध और विनिर्देशों के अनुसार हैं। ऐसा कोई अंतरिम भुगतान, या उसका कोई भी हिस्सा, किसी भी संबंध में अनुबंध के तहत प्रभारी अभियंता की शक्तियों को किसी भी तरह से समाप्त नहीं करेगा, निर्धारित नहीं करेगा या प्रभावित नहीं करेगा या ऐसे किसी भी भुगतान को अंतिम निपटान और खातों के समायोजन के रूप में माना जाएगा या किसी भी तरह से भिन्न या प्रभावित नहीं होगा। अनुबंध।

पूरा होने की तारीख के विस्तार पर विचार करने के लंबित होने पर, अंतरिम भुगतान किया जाना जारी रहेगा जैसा कि कार्य पूरा होने में देरी के लिए इस अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रदान किया गया है, यदि पूरा होने की तारीख का विस्तार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

**Payment on intermediate certificate to be regarded as Advances**

**Clause 7**

No payment shall be made for work, estimated to cost Rs. Five lac or less till after the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. For works estimated to cost over Rs. Five lac, the interim or running account bills shall be submitted by the contractor for the work executed on the basis of such recorded measurements on the format of the Department in triplicate on or before the date of every month fixed for the same by the Engineer-in-Charge. The contractor shall not be entitled to be paid any such interim payment if the gross work done together with net payment/ adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment is less than the amount specified in Schedule 'F', in which case the interim bill shall be prepared on the appointed date of the month after the requisite progress is achieved. Engineer-in-Charge shall arrange to have the bill verified by taking or causing to be taken, where necessary, the requisite measurements of the work. In the event of the failure of the contractor to submit the bills, no claims whatsoever due to delays on payment including that of interest shall be payable to the contractor. Payment on account of amount admissible shall be made by the Engineer- in-Charge certifying the sum to which the contractor is considered entitled by way of interim payment at such rates as decided by the Engineer-in-Charge. The amount admissible shall be paid by 10th working day after the day of presentation of the bill by the Contractor to the Engineer-in-Charge or his Asstt. Engineer together with the account of the material issued by the department, or dismantled materials, if any. In the case of works outside the headquarters of the Engineer- in-Charge, the period of ten working days will be extended to fifteen working days.

All such interim payments shall be regarded as payment by way of advances against final payment only and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-Charge relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is/are in accordance with the contract and specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-Charge under the contract or any of such payments be treated as final settlement and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract.

Pending consideration of extension of date of completion, interim payments shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of the department to take action under the terms of this contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the competent authority.

<p><b>मध्यवर्ती प्रमाणपत्र पर भुगतान को अग्रिम माना जाएगा</b></p>	<p>सहायक से प्रमाण पत्र के आधार पर अपने विवेकाधिकार में इंजीनियर-प्रभारी। इस आशय का अभियंता कि कार्य प्रश्न में स्तर तक पूरा हो गया है, लिंटेल् स्तर (सनशेड आदि सहित) तक किए गए कार्य (नींव के अलावा, परिष्करण वस्तुओं के तहत कवर की जाने वाली वस्तुएं) के लिए विस्तृत माप के बिना अंतरिम अग्रिम भुगतान करता है। और स्लैब स्तर, प्रत्येक मंजिल के लिए मूल्यांकन मूल्य के 75% पर काम कर रहा है। इस प्रकार अनुमत अग्रिम भुगतानों को अंतरिम भुगतान के 10 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बाद के अंतरिम बिलों में समायोजित किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा बिल जमा करने में देरी के मामले में सरकार को निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तारीख से 10% (दस प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से एक साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा जिसे वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाएगा।</p>
<p><b>समग्र संविदाओं में भुगतान</b></p>	<p>समग्र निविदाओं के मामले में, प्रमुख घटक के लिए चालू भुगतान मुख्य ठेकेदार को प्रमुख अनुशासन के ईई द्वारा किया जाएगा। अवयस्क घटक के लिए चालू भुगतान अवयस्क घटक के अनुशासन के प्रभारी अभियंता द्वारा सीधे मुख्य ठेकेदार को किया जाएगा।</p> <p>यदि मुख्य ठेकेदार प्रत्येक चालू खाता भुगतान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसके द्वारा जुड़े ठेकेदार को भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसे नाबालिग घटक के लिए जुड़े ठेकेदार की लिखित शिकायत पर, नाबालिग घटक के प्रभारी अभियंता मुख्य ठेकेदार को कारण बताओ की सेवा करेंगे और यदि मुख्य ठेकेदार का उत्तर या तो प्राप्त नहीं हुआ या असंतोषजनक पाया गया, तो वह मुख्य ठेकेदार और उसके द्वारा निर्धारित सहयोगी ठेकेदार के बीच किए गए समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार मामूली घटक के लिए जुड़े ठेकेदार को सीधे भुगतान कर सकता है। एसोसिएट ठेकेदार को किया गया ऐसा भुगतान मुख्य ठेकेदार के कारण अगले आर/ए/अंतिम बिल से प्रमुख या मामूली घटक के अभियंता-प्रभारी द्वारा वसूल किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।</p>
	<p><b>खंड 7क</b></p> <p>लागू श्रम लाइसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण, ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को जो भी लागू हो, तक काम के लिए कोई चालू खाता बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p>

<p><b>Payment on intermediate certificate to be regarded as Advances</b></p>	<p>The Engineer-in-Charge in his sole discretion on the basis of a certificate from the Asstt. Engineer to the effect that the work has been completed up to the level in question make interim advance payments without detailed measurements for work done (other than foundations, items to be covered under finishing items) up to lintel level (including sunshade etc.) and slab level, for each floor working out at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent interim bills to be submitted by the contractor within 10 days of the interim payment. In case of delay in submission of bill by the contractor a simple interest @ 10% (ten percent) per annum shall be paid to the Government from the date of expiry of prescribed time limit which will be compounded on yearly basis.</p>
<p><b>Payments in composite Contracts</b></p>	<p>In case of composite tenders, running payment for the major component shall be made by EE of major discipline to the main contractor. Running payment for minor component shall be made by the Engineer-in-Charge of the discipline of minor component directly to the main contractor.</p> <p>In case main contractor fails to make the payment to the contractor associated by him within 15 days of receipt of each running account payment, then on the written complaint of contractor associated for such minor component, Engineer in charge of minor component shall serve the show cause to the main contractor and if reply of main contractor either not received or found unsatisfactory, he may make the payment directly to the contractor associated for minor component as per the terms and conditions of the agreement drawn between main contractor and associate contractor fixed by him. Such payment made to the associate contractor shall be recovered by Engineer-in-charge of major or minor component from the next R/A/ final bill due to main contractor as the case may be.</p>
	<p><b>Clause 7A</b></p> <p>No Running Account Bill shall be paid for the work till the applicable labour licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW Welfare Board, whatever applicable are submitted by the contractor to the Engineer-in-Charge.</p>

<p><b>पूर्णता प्रमाण पत्र</b></p>	<p><b>खंड 8</b></p> <p>कार्य पूरा होने के दस दिनों के भीतर, ठेकेदार प्रभारी अभियंता को इस तरह के समापन की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, प्रभारी अभियंता कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई दोष नहीं है काम पूरा होने का अंतिम प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करेगा, अन्यथा भौतिक पूर्णता का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जिसमें दोष (ए) ठेकेदार द्वारा सुधारा जाएगा और/या (बी) जिसके लिए कम दरों पर भुगतान किया जाएगा, जारी किया जाएगा। लेकिन पूरा होने का कोई अंतिम प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, न ही काम को तब तक पूरा माना जाएगा जब तक कि ठेकेदार उस परिसर से नहीं हटा देगा, जिस पर काम निष्पादित किया जाएगा, सभी मचान, अधिशेष सामग्री, कचरा और सभी झोपड़ियां और स्वच्छता व्यवस्थाएं कार्य के निष्पादन के संबंध में साइट पर अपने काम के लोगों के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि ठेकेदार द्वारा बनाया या बनाया गया होगा और भवन के सभी लकड़ी के काम, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्श या अन्य हिस्सों से गंदगी को साफ किया जाएगा, जिस पर या जिसके बारे में काम निष्पादित किया जाना है या जिसके निष्पादन के उद्देश्य से उसके पास कब्जा हो सकता है, और तब तक नहीं जब तक कि कार्य प्रभारी अभियंता द्वारा मापा नहीं जाता। यदि ठेकेदार इस खंड की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहेगा कि मचान, अधिशेष सामग्री और कचरा और सभी झोपड़ियों और स्वच्छता व्यवस्थाओं को हटा दिया जाए और काम पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख को या उससे पहले गंदगी की सफाई की जाए। , प्रभारी अभियंता ठेकेदार की कीमत पर इस तरह के मचान, अधिशेष सामग्री और कचरा आदि को हटा सकता है, और उसी का निपटान कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है और पूर्वोक्त के रूप में ऐसी गंदगी को साफ करता है, और ठेकेदार के पास मचान या अधिशेष सामग्री के संबंध में कोई दावा नहीं होगा, सिवाय किसी भी राशि के जो वास्तव में बिक्री से प्राप्त हुई हो।</p>
<p><b>साइट को साफ रखने के लिए ठेकेदार</b></p>	<p><b>खंड 8क</b></p> <p>जब वार्षिक मरम्मत और कार्य किए जाते हैं, तो दीवारों, फर्श, खिड़कियों आदि पर सफेद धुलाई, रंग धोने, पेंटिंग आदि से छींटे और ड्रॉपिंग को हटा दिया जाएगा और व्यक्तिगत कमरों, क्वार्टरों या परिसर आदि में काम की इन वस्तुओं के पूरा होने के साथ सतह को एक साथ साफ किया जाएगा। जहां काम किया जाता है: अनुबंध में काम की अन्य सभी वस्तुओं के वास्तविक पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना। यदि ठेकेदार इस खंड की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो इंजीनियर-इन-चार्ज को ठेकेदार की लागत पर या तो विभागीय रूप से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से यह काम करने का अधिकार होगा। ऐसी कार्रवाई करने से पहले, अभियंता-प्रभारी ठेकेदार को लिखित रूप में दस दिन का नोटिस देगा।</p>

<p><b>Completion Certificate</b></p>	<p><b>Clause 8</b></p> <p>Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-Charge and within thirty days of the receipt of such notice, the Engineer-in-Charge shall inspect the work and if there is no defect in the work, shall furnish the contractor with a final certificate of completion, otherwise a provisional certificate of physical completion indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued. But no final certificate of completion shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the works as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floor or other parts of the building, in, upon, or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of the execution; thereof, and not until the work shall have been measured by the Engineer- in-Charge. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of work, the Engineer-in-Charge may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the contractor shall have no claim in respect of scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof.</p>
<p><b>Contractor to keep Site Clean</b></p>	<p><b>Clause 8A</b></p> <p>When the annual repairs and works are carried out, the splashes and droppings from white washing, colour washing, painting etc., on walls, floor, windows, etc shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the work is done: without waiting for the actual completion of all the other items of work in the contract. In case the contractor fails to comply with the requirements of this clause, the Engineer-in- Charge shall have the right to get this work done at the cost of the contractor either departmentally or through any other agency. Before taking such action, the Engineer-in- Charge shall give ten days' notice in writing to the contractor.</p>

<p><b>अंतिम बिल का भुगतान</b></p>	<p><b>खंड 9</b></p> <p>अंतिम बिल ठेकेदार द्वारा कार्य के भौतिक समापन के तीन महीने के भीतर या अभियंता-प्रभारी द्वारा दर्ज किए गए पूर्णता के अंतिम प्रमाण पत्र की तारीख के एक महीने के भीतर, जो भी पहले हो, अंतरिम बिलों में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम बिल प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार द्वारा कोई और दावा नहीं किया जाएगा और इन्हें माफ किया गया और समाप्त कर दिया गया माना जाएगा। बिल की उन मदों का भुगतान, जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं है और विवाद में मदों का, प्रभारी अभियंता-द्वारा अनुमोदित मात्रा और दरों के लिए, जहां तक संभव हो, तीन महीने के भीतर यहां निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाएगा। अभियंता-प्रभारी या उसके अधिकृत सहायक द्वारा बिल की प्राप्ति की तारीख से गणना की जा रही अवधि। इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर, विभाग द्वारा जारी सामग्री और विघटित सामग्री, यदि कोई हो, के खाते से पूर्ण।</p> <p>(क) यदि कार्य का निविदा मूल्य रुपये तक है। 45 लाख: 2 महीने</p> <p>(ख) यदि कार्य का निविदा मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक और रुपये तक है। 2.5 करोड़: 3 महीने</p> <p>(ग) यदि कार्य का निविदा मूल्य रुपये से अधिक है। 2.5 करोड़: 6 महीने</p> <p>यदि अंतिम बिल ठेकेदार द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है और अंतिम बिलों के भुगतान में देरी विभाग द्वारा की जाती है। निर्धारित समय सीमा के बाद ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तारीख से 5% प्रति वर्ष की दर से एक साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा जिसे वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाएगा, बशर्ते ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल क्रम में पाया गया हो।</p>
<p><b>बैंकों को ठेकेदार के बिलों का भुगतान</b></p>	<p><b>खंड 9क</b></p> <p>ठेकेदार को देय भुगतान, यदि उसके द्वारा वांछित है, तो उसके बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी या मितव्ययिता समितियों या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को प्रत्यक्ष के बजाय किया जा सकता है, बशर्ते कि ठेकेदार प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करता है (1) कानूनी रूप से वैध दस्तावेज के रूप में एक प्राधिकरण जैसे कि बैंक को पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान करने वाला प्राधिकरण; पंजीकृत वित्तीय, सहकारी या मितव्ययिता समितियों या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को भुगतान प्राप्त करने के लिए और (2) सरकार द्वारा उसे देय राशि की शुद्धता की अपनी स्वीकृति या बिल पर उसके हस्ताक्षर या खाते के प्रभारी अभियंता द्वारा निपटान से पहले सरकार के खिलाफ पसंद किए गए अन्य दावे या बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी या मितव्ययिता समितियों या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को भुगतान द्वारा दावा। जबकि ऐसे बैंकों द्वारा दी गई रसीद; पंजीकृत वित्तीय, सहकारी या मितव्ययिता समितियां या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान पूर्ण और पर्याप्त होंगे भुगतान के लिए उन्मोचन, ठेकेदार जब भी संभव हो, अपने बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी या मितव्ययिता समितियों या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विधिवत प्राप्त और निर्वहन किए गए अपने बिलों को प्रस्तुत करेगा।</p> <p>इसमें निहित कुछ भी बैंक के पक्ष में बनाने के लिए काम नहीं करेगा; पंजीकृत वित्तीय, सहकारी या मितव्ययिता सोसायटी या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कोई अधिकार या इक्विटी।</p>

<p><b>Payment of Final Bill</b></p>	<p><b>Clause 9</b></p> <p>The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in interim bills within three months of physical completion of the work or within one month of the date of the final certificate of completion furnished recorded by the Engineer-in-Charge whichever is earlier. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payments of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and rates as approved by Engineer-in-Charge, will, as far as possible be made within three months the period specified here in under, the period being reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in- Charge or his authorized Asstt. Engineer/ Junior Engineer, complete with account of materials issued by the Department and dismantled materials if any.</p> <p>(a) If the Tendered value of work is up to Rs. 45 lac: 2 months</p> <p>(b) If the Tendered value of work is more than Rs.45 lac and up to Rs. 2.5 Crore : 3 months</p> <p>(c) If the Tendered value of work exceeds Rs. 2.5 Crore: 6 months</p> <p>If the final bill is submitted by the contractor within the period specified above and delay in payment of final bills is made by the deptt. After prescribed time limit a simple interest@ 5% per annum shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit which will be compounded on yearly basis, provided the final bill submitted by the contractor is found to be in order.</p>
<p><b>Payment of Contractor's Bills to Banks</b></p>	<p><b>Clause 9A</b></p> <p>Payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions instead of direct to him provided that the contractor furnishes to the Engineer-in-Charge (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority on the bank; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions to receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the amount made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claim preferred against Government before settlement by the Engineer-in-Charge of the account or claim by payment to the bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions. While the receipt given by such banks; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the contractor shall whenever possible present his bills duly receipted and discharged through his bank, registered financial, cooperative or thrift societies or recognized financial institutions.</p> <p>Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions any rights or equities vis the President of India.</p>

**ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री**

**खंड 10क**

ठेकेदार, अपने खर्च पर, सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने के लिए निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्रदान करेगा।

ठेकेदार, अपने खर्च पर और बिना किसी देरी के; काम पर उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के इंजीनियर-इन-चार्ज नमूनों की आपूर्ति करेगा और इन्हें अग्रिम रूप से अनुमोदित करेगा। ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी सामग्री अनुबंध में निर्धारित या संदर्भित विनिर्देशों के अनुरूप होगी। ठेकेदार, यदि प्रभारी अभियंता द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि सामग्री का अनुपालन किया जाता है। प्रभारी अभियंता नमूनों की आपूर्ति के तीस दिनों के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो उसे ठेकेदार को लिखित रूप में सूचित करने की आवश्यकता हो सकती है कि नमूने उसके द्वारा अनुमोदित हैं या नहीं। यदि नमूनों को अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो ठेकेदार तुरंत अपनी मंजूरी के लिए प्रभारी अभियंता को आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा, अनुबंध में निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करने वाले नए नमूने। जब सामग्री को विनिर्देशों के अनुसार परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, तो परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद इंजीनियर-इन-चार्ज का अनुमोदन जारी किया जाएगा।

ठेकेदार अपने जोखिम और लागत पर परीक्षण या विश्लेषण की जाने वाली सामग्रियों के नमूने प्रस्तुत करेगा और आवश्यक परीक्षण या विश्लेषण किए जाने तक नमूनों द्वारा दर्शाई गई किसी भी सामग्री का उपयोग या कार्य में शामिल नहीं करेगा और इंजीनियर-प्रभारी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार की गई सामग्री। ठेकेदार किसी भी दावे या मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा जो या तो काम में किसी भी देरी से उत्पन्न होता है या सामग्री के परीक्षण के परिणामस्वरूप और उसके कारण किए जाने वाले किसी भी सुधारात्मक उपाय के कारण होता है।

ठेकेदार, अपने जोखिम और लागत पर, सभी व्यवस्था करेगा और सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जैसा कि प्रभारी अभियंता को ऐसे समय में और ऐसे स्थान या स्थानों पर ऐसे परीक्षणों के लिए आवश्यक संख्या में नमूने एकत्र करने और तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किया जा सकता है और परीक्षण के सभी शुल्क और लागत वहन करेगा जब तक कि अनुबंध या विनिर्देशों में अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। इंजीनियर -प्रभारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को हर समय कार्यों और सभी कार्यशालाओं और स्थानों तक पहुंच होगी जहां काम तैयार किया जा रहा है या जहां से कार्यों के लिए सामग्री, निर्मित लेख या मशीनरी प्राप्त की जा रही है और ठेकेदार हर सुविधा और ऐसी पहुंच का अधिकार प्राप्त करने में हर सहायता प्रदान करेगा।

प्रभारी अभियंता के पास उन सभी सामग्रियों के परिसर से हटाने की आवश्यकता के लिए पूर्ण शक्तियां होंगी जो उसकी राय में विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं और डिफॉल्ट के मामले में, अभियंता-प्रभारी को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी। ठेकेदार, अन्य व्यक्तियों की कीमत पर किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जवाबदेह या जवाबदेह हुए बिना इसे हटाने के लिए जो ऐसी सामग्रियों के लिए हो सकता है या उत्पन्न हो सकता है। प्रभारी अभियंता के पास अन्य उचित सामग्रियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता के लिए भी पूर्ण शक्तियां होंगी और डिफॉल्ट के मामले में, प्रभारी अभियंता उसी की आपूर्ति कर सकता है और सभी लागतें जो इस तरह के निष्कासन और प्रतिस्थापन में भाग ले सकती हैं, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

ठेकेदार अपने खर्च पर, नियमित क्षेत्र परीक्षण करने के लिए साइट पर एक सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला प्रदान करेगा। प्रयोगशाला कम से कम अनुसूची एफ में निर्दिष्ट परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित होगी।

<p><b>Materials to be provided by the Contractor</b></p>	<p><b>Clause 10A</b></p> <p>The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the works other than those which are stipulated to be supplied by the Government. The contractor shall, at his own expense and without delay; supply to the Engineer-in- Charge samples of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in- Charge furnish proof, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge that the materials so comply. The Engineer-in-Charge shall within thirty days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-Charge for his approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the contract. When materials are required to be tested in accordance with specifications, approval of the Engineer-in- Charge shall be issued after the test results are received.</p> <p>The Contractor shall at his risk and cost submit the samples of materials to be tested or analyzed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the Engineer-in-Charge. The Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of and as a result of testing of materials.</p> <p>The contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall provide all facilities as the Engineer-in-Charge may require for collecting, and preparing the required number of samples for such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer-in-Charge and bear all charges and cost of testing unless specifically provided for otherwise elsewhere in the contract or specifications. The Engineer -in- Charge or his authorized representative shall at all times have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access.</p> <p>The Engineer-in-Charge shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default, the Engineer-in-Charge shall be at liberty to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Engineer-in-Charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default, the Engineer-in-Charge may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution shall be borne by the Contractor.</p> <p>The contractor shall at his own expense, provide a material testing lab at the site for conducting routine field tests. The lab shall be equipped at least with the testing equipment as specified in schedule F.</p>
--	---

<p><b>सामग्री पर सुरक्षित अग्रिम</b></p>	<p><b>खंड 10ख (लागू नहीं)</b></p> <p>(1) ठेकेदार, प्रभारी अभियंता द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर, किसी भी सामग्री के मूल्यांकन मूल्य के 75% तक काम के निष्पादन की प्रगति के दौरान भुगतान करने का हकदार होगा। या काम की तैयार वस्तु की निविदा दर में सामग्री तत्व लागत के 75% से अधिक की राशि, जो भी कम हो, जो अभियंता-प्रभारी गैर-नाशनीय, गैर-नाजुक और गैर-दहनशील की राय में हैं और जो अनुबंध के अनुसार हैं और जिन्हें इसके संबंध में साइट पर लाया गया है और मौसम या अन्य कारणों से क्षति के खिलाफ पर्याप्त रूप से संग्रहीत और / या संरक्षित हैं, लेकिन जो अग्रिम के समय कार्यों में शामिल नहीं किया गया है। जब सामग्री जिसके कारण इस उप-खंड के तहत अग्रिम किया गया है, काम में शामिल किया जाता है, तो ऐसे अग्रिम की राशि इस अनुबंध के किसी भी खंड या खंड के तहत किए गए अगले भुगतान से वसूल / काट ली जाएगी।</p> <p>इस तरह की सुरक्षित अग्रिम खराब होने वाली प्रकृति की अन्य वस्तुओं पर भी देय होगी, प्रभारी अभियंता के अनुमोदन से नाजुक और दहनशील है, बशर्ते ठेकेदार ऐसी सामग्रियों की पूरी लागत के लिए एक व्यापक बीमा कवर प्राप्त करता है। प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा और इस मामले में ठेकेदार पर बंध्यकारी होगा। हालांकि, सामान्य गिलास, रेत, पेट्रोल, डीजल आदि जैसी नुकसान करने वाली सामग्रियों पर कोई सुरक्षित अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p>
<p><b>सांविधिक आदेश (आदेशों) के कारण मूल्य/मजदूरी में वृद्धि के कारण भुगतान</b></p>	<p><b>खंड 10ग (लागू नहीं)</b></p> <p>यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, यदि कार्य में कॉर्पोरेट में किसी वैवाहिक मूल्य और/या श्रम की मजदूरी किसी भी कानून या वैधानिक नियम या आदेश के लागू होने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बढ़ जाती है (लेकिन किसी भी बदलाव के कारण नहीं) इस खंड के तहत विचार की जा रही ऐसी सामग्री (ओं) पर लागू जीएसटी में दर) अनुबंध अवधि के दौरान काम के लिए विस्तार, यदि कोई हो, सहित निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के समय प्रचलित कीमतों/मजदूरी से परे, जिसमें खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उचित अवधि शामिल है, तो अनुबंध की राशि तदनुसार भिन्न होगी।</p> <p>यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, कार्यों में शामिल किसी भी सामग्री की कीमत (खंड 10सीए के तहत कवर की गई सामग्री को छोड़कर और/या विस्तार सहित निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के समय प्रचलित श्रम की मजदूरी, यदि कोई हो, किसी भी नए कानून या वैधानिक नियमों या आदेश के लागू होने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कम हो जाती है (लेकिन इस खंड के तहत विचार की जा रही ऐसी सामग्री (सामग्रियों) पर लागू जीएसटी में किसी भी भिन्नता के कारण नहीं), सरकार ऐसे कानून वैधानिक नियम या आदेश के लागू होने की तारीख के बाद काम के निष्पादन पर लगे कार्यों और/या श्रम में शामिल सामग्रियों के संबंध में ठेकेदार के बकाया से कटौती करने का हकदार होगा, ऐसी राशि जो सामग्री की कीमतों और / या मजदूरी के बीच के अंतर के बराबर होगी। ऐसी कानून, वैधानिक नियम या आदेश के लागू होने पर सामग्री की कीमतों और / या श्रम की मजदूरी सहित निविदाओं की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि के समय प्रचलित है। यह अनुबंध अवधि के लिए लागू होगा जिसमें खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उचित अवधि शामिल है।</p> <p>अभियंता-प्रभारी सामग्री और मजदूरी की कीमतों में वृद्धि की तर्कसंगतता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए ठेकेदार से खाते की किताबें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मांगेंगे।</p>

<p><b>Secured Advance on Materials</b></p>	<p><b>Clause 10B (NOT Applicable)</b></p> <p>(i) The contractor, on signing an indenture in the form to be specified by the Engineer-in- Charge, shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work up to 75% of the assessed value of any materials or an amount not exceeding 75% of the material element cost in the tendered rate of the finished item of the work, whichever is lower, which are in the opinion of the Engineer-in- Charge non- perishable, non-fragile and non-combustible and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and/or protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work, the amount of such advance shall be recovered/deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.</p> <p>Such secured advance shall also be payable on other items of non-perishable nature, fragile and combustible with the approval of the Engineer-in- Charge provided the contractor provides a comprehensive insurance cover for the full cost of such materials. The decision of the Engineer- in-Charge shall be final and binding on the contractor in this matter. No secured advance shall however, be paid on high-risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel etc.</p>
<p><b>Payment on Account of Increase in Prices/ Wages due to Statutory Order(s)</b></p>	<p><b>Clause 10C (NOT Applicable)</b></p> <p>If after submission of tender, if the price of any material incorporated in the work and/ or wages of labour increases as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rule or order (but not due to any variation of rate in GST applicable on such material (s) being considered under this clause) beyond the prices/wages prevailing at the time of the last stipulated date of receipt of tenders including extensions, if any, for the work during contract period including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, then the amount of the contract shall accordingly be revised.</p> <p>If after submission of the tender, the price of any material incorporated in the works (excluding the materials covered under Clause 10CA and/or wages of labour as prevailing at the time of last stipulated date of receipt of tender including extensions, if any, is decreased as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rules or order (but not due to any variation of rate in GST applicable on such material (s) being considered under this clause), Government shall in respect of materials incorporated in the works and/or labour engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such law statutory rule or order be entitled to deduct from the dues of the contractor, such amount as shall be equivalent to the difference between the prices of the materials and/or wages as prevailed at the time of the last stipulated date for receipt of tenders including extensions if any for the work and the prices of materials and/or wages of labour on the coming into force of such law, statutory rule or order. This will be applicable for the contract period including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2.</p>

	<p>अभियंता-प्रभारी सामग्री और मजदूरी की कीमतों में वृद्धि की तर्कसंगतता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए ठेकेदार से खाते की किताबें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मांगेंगे। ठेकेदार, ऐसी किसी भी सामग्री और/या श्रम की मजदूरी की कीमत में किसी भी परिवर्तन के बारे में जागरूक होने के उचित समय के भीतर, इंजीनियर-प्रभारी को यह कहते हुए नोटिस देगा कि इसे इस शर्त के अनुसार दिया गया है। उससे संबंधित सभी जानकारी के साथ जो वह आपूर्ति करने की स्थिति में हो सकता है।</p> <p>इस प्रयोजन के लिए, विचाराधीन अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य का 85% श्रम घटक अनुसूची एफ में निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और श्रम में वृद्धि/कमी पर किसी भी अकुशल मजदूर के रुपये में न्यूनतम वैशेषिक मजदूरी पर विचार किया जाएगा। किसी भी कानून वैधानिक भूमिका और आदेशों के तहत निर्धारित। कार्य की लागत जिसके लिए वृद्धि लागू है (डब्ल्यू) काम की लागत के समान है जैसा कि सुरक्षित अग्रिम के पूर्ण मूल्यांकन मूल्य की राशि को छोड़कर खंड 10 सी के उप-पैरा (ii) में दर्शाया गया है।</p>
<p><b>कार्यों के लिए निविदा प्राप्त होने के बाद कीमतों/मजदूरी में वृद्धि/कमी के कारण भुगतान</b></p>	<p><b>खंड 10 ग ग</b></p> <p>यदि कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री और/या श्रम की मजदूरी की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ठेकेदार को नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसी वृद्धि के लिए मुआवजा दिया जाएगा और अनुबंध की राशि तदनुसार इस शर्त के अधीन होगी कि इस तरह की क्षतिपूर्ति कीमतों और मजदूरी में वृद्धि केवल अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान किए गए काम के लिए परिलब्ध होगी, जिसमें खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उचित अवधि भी शामिल है। ऐसे कार्य के लिए ऐसा कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके लिए पूर्णता की निर्धारित अवधि अनुसूची एफ में निर्दिष्ट समय के बराबर या उससे कम है। सामग्री और श्रम की कीमतों में वृद्धि के लिए ऐसा मुआवजा, जब देय हो, निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर निकाला जाएगा: -</p> <p>(i) इस तरह की वृद्धि के लिए आधार तिथि विस्तार सहित निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि होगी, यदि कोई हो।</p> <p>(ii) कार्य की लागत जिस पर वृद्धि देय होगी, उसे नीचे के रूप में गिना जाएगा:</p> <p>(क) इस तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्य: (A)</p> <p>(ख) अंतिम तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्य: (B)</p> <p>(ग) पिछली तिमाही (A-B) (C) के बाद से किया गया कार्य का सकल मूल्य</p> <p>(घ) इस तिमाही में भुगतान किए गए सुरक्षित अग्रिम का पूरा मूल्यांकन मूल्य: (D)</p> <p>(ङ) इस तिमाही में वसूल किए गए सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकन मूल्य: (E)</p> <p>(च) सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकन मूल्य जिसके लिए इस तिमाही (डी-ई) में देय वृद्धि है: (F)</p> <p>(छ) इस तिमाही के दौरान किया गया अग्रिम भुगतान: (G)</p> <p>(ज) इस तिमाही के दौरान वसूल किया गया अग्रिम भुगतान: (H)</p> <p>(झ) अग्रिम भुगतान जिसके लिए इस तिमाही (जी-एच) में वृद्धि देय है: (I)</p> <p>(ञ) इस तिमाही के दौरान प्रचलित बाजार दरों के आधार पर खंड 12 के अनुसार भुगतान की गई वस्तुओं की अतिरिक्त वस्तुएं/विचलित मात्रा: (J)</p> <p>फिर, <math>M=C+F+I-J</math></p> <p><math>M = 0.85 M</math></p> <p>कार्य की लागत जिसके लिए वृद्धि लागू है:</p> <p><math>W = N</math></p>

	<p>Engineer-in-Charge shall call books of account and other relevant documents from the contractor to satisfy himself about reasonability of increase in prices of materials and wages.</p> <p>The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such materials and/or wages of labour, give notice thereof to the Engineer- in- Charge stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating thereto which he may be in position to supply.</p> <p>For this purpose, the labour component of 85% of the value of the work executed during period under consideration shall not exceed the percentage as specified in Schedule F, and the increase/decrease in labour shall be considered on the minimum daily wages in rupees of any unskilled Man employed under any law statutory role and order. The cost of work for which escalation is applicable (W) is same as cost of work done worked out as indicated in sub-para (ii) of clause 10 CC except the amount of full assessed value of Secured Advance.</p>
<p><b>Payment due to Increase / Decrease in Prices/ Wages after Receipt of Tender for Works</b></p>	<p><b>Clause 10CC</b></p> <p>If the prices of materials and/or wages and/or labour required for execution of the work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provisions detailed below and the amount of the contract shall accordingly be varied, subject to the condition that such compensation for escalation in prices and wages shall be available only for the work done during the stipulated period of the contract including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2. No such compensation shall be payable for a work for which the stipulated period of completion is equal to or less than the time as specified in Schedule F. Such compensation for escalation in the prices of materials and labour, when due, shall be worked out based on the following provisions:-</p> <p>(i) The date for working out such escalation shall be the last stipulated date of receipt of tenders including extension, if any.</p> <p>(ii) The period of work on which escalation will be payable shall be reckoned as follows:</p> <p>(a) Gross value of work done up to this quarter: (A)</p> <p>(b) Gross value of work done up to the last quarter: (B)</p> <p>(c) Gross value of work done since previous quarter (A-B) (C)</p> <p>(d) Full assessed value of Secured Advance fresh paid in this quarter :(D)</p> <p>(e) Full assessed value of Secured Advance recovered in this quarter :(E)</p> <p>(f) Full assessed value of Secured Advance for which escalation Payable in this quarter (D-E): (F)</p> <p>(g) Advance payment made during this quarter: (G)</p> <p>(h) Advance payment recovered during this quarter: (H)</p> <p>(i) Advance payment for which escalation is payable in this Quarter(G-H): (I)</p> <p>(j) Extra items/deviated quantities of items paid as per Clause 12 Based on prevailing market rates during this quarter: (J)</p> <p style="text-align: center;">Then, <math>M=C+F+I-J</math></p> <p><math>N = 0.85 M</math></p> <p>Cost of work for which escalation is applicable:</p> <p><math>W = N</math></p>

(iii) सामग्री के लिए घटक (सीमेंट, सुट्टीकरण बार, संरचनात्मक इस्पात, पीओएल को छोड़कर) श्रम, आदि। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्व-निर्धारित किया जाएगा और अनुसूची 'एफ' में शामिल निविदा पत्रों से जुड़ी अनुबंध की शर्तों में शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रतिशत पर काम करने में प्रभारी अभियंता का निर्णय ठेकेदारों पर बाध्यकारी होगा।

(iv) अन्य सामग्रियों की वृद्धि के लिए मुआवजे का काम नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार किया जाएगा: -

निर्माण 'सामग्री' के सिविल घटक/विद्युत घटक के लिए समायोजन

$$V_m = W \times X_m \times \frac{MI - MI_0}{100 - MI_0}$$

$V_m$ =सामग्री लागत में भिन्नता अर्थात भुगतान किए जाने वाले या वसूल किए जाने वाले रुपये में राशि में वृद्धि या कमी।

$W$ =खंड 10सीसी के उप-पैरा (ii) में दर्शाए गए अनुसार किए गए कार्य की लागत।

$X_m$ ='सामग्री' का घटक (सीमेंट, संरचनात्मक इस्पात, सुट्टीकरण बार पोल को छोड़कर) कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया।

$MI$ =सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित विचाराधीन अवधि के लिए व्यक्तिगत वस्तुओं / समूह वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की गई निर्माण सामग्री के नागरिक घटक / विद्युत घटक \* के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक, भारत का, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय और व्यक्तिगत वस्तुओं/समूह वस्तुओं पर भार लागू करना। (खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना अनुबंध के तहत 5 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उचित अवधि के संबंध में, अतिरिक्त कार्य के अभाव पर विचार करते हुए पूर्णता की अद्यतन निर्धारित तिथि के समय चलित सूचकांक (अतिरिक्त समय की गणना की जानी है) केवल अतिरिक्त कार्य की लागत के रूप में  $x$  निर्धारित अवधि/निविदा लागत पर विचार किया जाएगा।) यदि यथानुपात आधार पर गणना की गई अद्यतन विधार्त तिथि पूर्ण कैलेंडर माह को कवर नहीं करती है तो सूचकांक पर विचार किया जाएगा या पिछले महीने तक सीमित रखा जाएगा।

$MI_0$ =सिविल घटक/विद्युत घटक के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक\*निर्माण सामग्री का जैसा कि सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित विस्तार, यदि कोई हो, सहित निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि पर मान्य व्यक्तिगत वस्तुओं/समूह वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया गया है। भारत का, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय और व्यक्तिगत वस्तुओं/समूह वस्तुओं पर भार लागू करना।

\*नोट: केवल प्रासंगिक घटक लागू होगा।

(v) उपरोक्त पैरा (iv) में उल्लिखित सूचकांकों पर काम करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

(iii) Components for materials (except cement, reinforcement bars, structural steel, POL) labour, etc. shall be pre-determined for every work and incorporated in the conditions of contract attached to the tender papers included in Schedule 'F'. The decision of the Engineer-in-Charge in working out such percentage shall be binding on the contractors.

(iv) The compensation for escalation for other materials shall be worked as per the formula given below:-

Adjustment for civil component / electrical component of construction 'Materials'

$$V_m = W \times \frac{X_m}{100} \times \frac{MI - MIO}{MIO}$$

V<sub>m</sub>=Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered.

W=Cost of Work done worked out as indicated in sub-paragraph (i) of Clause 10CC.

X<sub>m</sub>=Component of 'materials' (except cement, structural steel, reinforcement bars POL) expressed as percent of the total value of work.

MI=All India Wholesale Price Index for civil component/electrical component\*of construction material as worked out on the basis of All India Wholesale Price Index for Individual Commodities/ Group Items for the period under consideration as provided by Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce and applying weightages to the Individual Commodities/Group Items. (In respect of the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, the index prevailing at the time of updated stipulated date of completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x stipulated period/total cost, shall be considered.) If updated stipulated date of completion as calculated on pro- rata basis does not cover full calendar month then indices will be considered or restricted to previous month.

MIO=All India Wholesale Price Index for civil component/electrical component\*of construction material as worked out on the basis of All India Wholesale Price Index for Individual Commodities/Group Items valid on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any, as published by the Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce and applying weightages to the Individual Commodities/ Group items.

\*Note: relevant component only will be applicable.

(v) The following principles shall be followed while working out the indices mentioned in para (iv) above.

(क) वृद्धि के लिए मुआवजे की गणना तिमाही अंतराल पर की जाएगी और उक्त तिमाही के तीन कैलेंडर महीनों के दौरान भुगतान किए गए बिलों के अनुसार किए गए काम की लागत के संबंध में होगी। सहायक अभियंता द्वारा मापन पुस्तिका में अंतिम रूप से दर्ज किए गए बिलों को तैयार करने की तारीखें/कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तकों के मामले में ठेकेदार द्वारा विभाग को बिल जमा करने की तारीख तिमाही अंतराल से संबंधित बिलों को तय करने के लिए मार्गदर्शक कारक होगी। ऐसा पहला भुगतान महीने के बाद तीन महीने के अंत में (उस महीने को छोड़कर जिसमें निविदा स्वीकार की गई थी) और उसके बाद तीन महीने के अंतराल पर किया जाएगा। कार्य पूरा होने के समय, भुगतान की अंतिम अवधि 3 महीने से कम हो सकती है, जो पूर्णता की वास्तविक तिथि पर निर्भर करती है।

(ख) सूचकांक (एमआई/एफआई आदि) किसी भी तिमाही/अवधि के लिए प्रासंगिक जिसके लिए इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाता है, तीन कैलेंडर महीनों से संबंधित सूचकांकों का अंकगणित औसत होगा। यदि भुगतान की अंतिम ऐसी किस्त द्वारा कवर की गई तिमाही के अंत पर होने की तारीख तक की अवधि तीन महीने से कम है, तो इंडेक्स केवल पर एफएल उस अवधि के भीतर आने वाले महीनों के लिए सूचकांक का औसत होगा।

(vi) श्रम में वृद्धि के लिए मुआवजा नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा: -

$$VL = W \times Y \times \frac{LI - LI0}{100}$$

VL: श्रम लागत में वृद्धि का अर्थार्थ रूप में वृद्धि या कमी की राशि। ईई का भुगतान या वसूली का अर्थ है।

W: किए गए कार्य का मूल्य, जैसा कि ऊपर उप-पैरा (ii) में दर्शाया गया है।

Y: कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त श्रम का घटक।

LI: किसी भी कानून, वैधानिक नियम या आदेश के तहत तय किए गए अकुशल वयस्क पुरुष मजदूर के रुपये में न्यूनतम वेतन, जैसा कि विचाराधीन तिमाही से पहले की तिमाही की अंतिम तिथि पर लागू होता है। (खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उचित अवधि के संबंध में, अतिरिक्त कार्य के प्रभाव पर विचार करते हुए पूरा होने की अद्यतन निर्धारित तिथि से संबंधित तिमाही की अंतिम तिथि पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (अतिरिक्त समय केवल अतिरिक्त कार्य एक्स निर्धारित अवधि/निविदा लागत की लागत के रूप में प्रोडेटा आधार पर गणना की जानी है, पर विचार किया जाएगा।) यदि यथानुपात आधार पर गणना की गई अद्यतन निर्धारित तिथि पूर्ण कैलेंडर माह को कवर नहीं करती है तो सूचकांकों पर विचार किया जाएगा या पिछले महीने तक सीमित रखा जाएगा।

LI0: एक अकुशल वयस्क पुरुष मजदूर के रुपये में न्यूनतम दैनिक मजदूरी, किसी भी कानून, वैधानिक नियम या आदेश के तहत निर्धारित निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के अनुसार विस्तार, यदि कोई हो।

- (a) The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the cost of work done as per bills paid during the three calendar months of the said quarter. The dates of preparation of bills as finally entered in the Measurement Book by the Assistant Engineer/ date of submission of bill finally by the contractor to the department in case of computerized measurement books shall be the guiding factor to decide the bills relevant to the quarterly interval. The first such payment shall be made at the end of three months after the month (excluding the month in which tender was accepted) and thereafter at three months' interval. At the time of completion of the work, the last period for payment might become less than 3 months depending on the actual date of completion.
- (b) The index (MI/FI etc.) relevant to any quarter/period for which such compensation is paid shall be the arithmetic average of the indices relevant to the three calendar months of the period up to date of completion after the quarter covered by the last such installment of payment, is less than three months the index MI and FI shall be the average of the indices for the months falling within that period.
- (vi) The compensation for escalation of Labour shall be worked out as per the formula given below:-

$$\frac{Y}{100} \times \frac{W}{L10} \times \frac{LI-LI0}{L10}$$

VL: Variation in labour cost i.e. amount of increase or decrease in rupees to be paid or received.

W: Value of work done, worked out as indicated in sub-para (ii) above.

Y: Component of labour expressed as a percentage of the total value of the work.

L: Minimum wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the quarter previous to the one under consideration. (In respect of the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, the minimum wage prevailing on the last date of quarter previous to the quarter pertaining to updated stipulated date of Completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on prodata basis only as cost of extra work x stipulated period/tendered cost, shall be considered.) If updated stipulated date of completion as calculated on pro- rata basis does not cover full calendar month then indices will be considered or restricted to previous month.

L10: Minimum daily wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any.

(vii) उपरोक्त उप पैरा (vi) के अनुसार मुआवजे का पालन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

(क) उपरोक्त उप-पैरा (vi) में उल्लिखित एक अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी से अधिक होगी और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी दोनों कार्य के स्थान और गणना की अवधि से संबंधित होगी।

(ख) श्रम के लिए वृद्धि का भुगतान भी इसी तिमाही अंतराल पर किया जाएगा जब इस खंड के तहत सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण वृद्धि का भुगतान किया जाता है। यदि ऐसे किसी भी त्रैमासिक अंतराल के दौरान न्यूनतम मजदूरी का ऐसा संशोधन होता है, तो वृद्धि मुआवजा केवल बाद की तिमाहियों में किए गए काम के लिए संशोधित दरों पर देय होगा;

(ग) इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी भी श्रेणी के श्रम की न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता के बावजूद, केवल एक अकुशल मजदूर के लिए दर में भिन्नता श्रम घटक पर देय वृद्धि मुआवजे पर काम करने का आधार बनेगी।

(viii) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की कीमत कम हो जाती है और/या श्रम की मजदूरी कम हो जाती है, तो कार्य की लागत का अधोमुखी समायोजन होगा ताकि सामग्री की ऐसी कीमत और/या श्रम की मजदूरी कटौती की जा सके। इस अनुबंध के तहत काम की लागत और इस संबंध में इस खंड 10सीसी के तहत पहले बताए गए सूत्र यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, बशर्ते कि:

(क) उपरोक्त उल्लिखित सामग्री की कीमत और/या श्रम की मजदूरी में कमी के लिए ऐसा कोई समायोजन उप-अनुबंधों के मामले में नहीं किया जाएगा जिनमें कार्य पूरा करने की मर्यादा अथवा अनुसूची में निर्दिष्ट समय के बराबर या उससे कम है।

(ख) प्रभारी प्रयोग अन्यथा उस प्रक्रिया को निर्धारित करने का हकदार होगा जिसके द्वारा उस उप-खंड का प्रावधान समय-समय पर लागू किया जाएगा और इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ठेकेदार।

(ix) हमेशा प्रदान किया जाता है कि:-

(क) जहां खंड 10सीसी के प्रावधान लागू हैं, खंड 10सी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(ख) जहां खंड 10सीसी के प्रावधान लागू नहीं हैं, खंड 10सी के प्रावधान लागू होंगे।

नोट: खंड 10सी और 10 सीसी के तहत मुआवजे के लिए पूर्णता की अद्यतन निर्धारित तिथि (पूर्णता की अवधि और अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त समय)

क्लॉज 10सी और क्लॉज 10सीसी में इस उद्देश्य के लिए पूर्णता की अद्यतन निर्धारित तिथि की गणना करते समय अतिरिक्त समय के लिए क्लॉज 12.1 के तहत अतिरिक्त समय की गणना के लिए लिए गए 1.25 के कारक पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (vii) The following principles will be followed while working out the compensation as per sub para (vi) above.
- (a) The minimum wage of an unskilled Mazdoor mentioned in sub-para (vi) above shall be the higher of the wage notified by Government of India, Ministry of Labour and that notified by the local administration both relevant to the place of work and the period of reckoning.
  - (b) The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when escalation due to increase in cost of materials is paid under this clause. If such revision of minimum wage takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be payable at revised rates only for work done in subsequent quarters;
  - (c) Irrespective of variations in minimum wages in a category of labour, for the purpose of this clause, the variation in the rate for an unskilled Mazdoor alone shall form the basis for working out the escalation compensation payable on the labour component.
- (viii) In the event the price of materials and/or wages of labour required for execution of the work decrease/s, there shall be a downward adjustment of the cost of work so that such price of materials and/or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard the formula herein before stated for this Clause 10CC shall mutatis mutandis apply, provided that:
- (a) no such adjustment for the decrease in the price of materials and/or wages of labour as mentioned would be made in case of contracts in which the stipulated period of completion of the work is equal to or less than the time as specified in Schedule 'F'.
  - (b) the Engineer-in-Charge shall otherwise be entitled to lay down the procedure by which the provision of this sub-clause shall be implemented from time to time and the decision of the Engineer-in-Charge in this behalf shall be final and binding on the contractor.
- (ix) Provide always that:-
- (a) Where provisions of clause 10CC are applicable, provisions of clause 10C will not be applicable.
  - (b) Where provisions of clause 10CC are not applicable, provisions of clause 10C will become applicable.

Note: Updated stipulated date of completion (period of completion plus extra time for extra work) for compensation under clause 10C and 10 CC  
The factor of 1.25 taken into account for calculating the extra time under clause 12.1 for extra time shall not be considered while calculating the updated stipulated date of completion for this purpose in clause 10C and clause 10CC.

<p><b>विघटित सामग्री सरकारी संपत्ति</b></p>	<p><b>खंड 10 घ</b>  ठेकेदार किसी संरचना के विघटन, किसी कार्य के लिए साइट की खुदाई आदि के दौरान प्राप्त सभी सामग्रियों का इलाज करेगा। सरकार की संपत्ति और ऐसी सामग्रियों को प्रभारी अभियंता द्वारा जारी लिखित निर्देशों के अनुसार सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए निपटाया जाएगा।</p>
<p><b>विनिर्देशों, चित्रों, आदेशों आदि के अनुसार निष्पादित किया जाने वाला कार्य।</b></p>	<p><b>खंड 11</b>  ठेकेदार सामग्री के संबंध में और अन्यथा हर संबंध में विनिर्देशों के अनुसार सबसे पर्याप्त और कामगार तरीके से काम के पूरे और हर हिस्से को निष्पादित करेगा। ठेकेदार प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित कार्य के संबंध में लिखित रूप में डिजाइन, ड्राइंग और निर्देशों के पूरी तरह से और ईमानदारी से अनुरूप होगा और ठेकेदार को विनिर्देशों, डिजाइन, ड्राइंग और निर्देशों के साथ अनुबंध दस्तावेजों की एक प्रति निः शुल्क प्रस्तुत की जाएगी। अनुसूची 'एफ' या भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य, प्रकाशित मानक या कोड या, दरों की अनुसूची या अनुबंध में कहीं और संदर्भित किसी अन्य मुद्रित प्रकाशन में निर्दिष्ट केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मानक विनिर्देशों में शामिल नहीं हैं।  ठेकेदार अनुबंध के प्रावधानों का पालन करेगा और देखभाल और परिश्रम के साथ कार्यों को निष्पादित और बनाए रखेगा और सभी श्रम और सामग्री, उपकरण और संयंत्र प्रदान करेगा, जिसमें सभी कार्यों, संरचनात्मक योजनाओं और अस्थायी या स्थायी प्रकृति की अन्य चीजों का माप और पर्यवेक्षण शामिल है। ऐसे निष्पादन और रखरखाव के लिए आवश्यक यदि कोई हो, जहां तक इन्हें प्रदान करने की आवश्यकता निर्दिष्ट है या अनुबंध से यथोचित रूप से अनुमान लगाया गया है। ठेकेदार निर्माण के सभी कार्यों और तरीकों की पर्याप्तता, उपयुक्तता और सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।</p>
<p><b>विचलन/ भिन्नताएं सीमा और मूल्य निर्धारण</b></p>	<p><b>खंड 12</b>  प्रभारी अभियंता के पास (i) मूल विनिर्देशों, चित्रों, डिजाइनों और निर्देशों के लिए चूक, परिवर्धन या प्रतिस्थापन करने की शक्ति होगी जो उसे कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यक या उचित प्रतीत हो सकते हैं, और (ii) साइट के एक हिस्से की अनुपलब्धता के मामले में या किसी अन्य कारण से कार्यों का एक हिस्सा छोड़ने के लिए और ठेकेदार प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में उसे दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार कार्यों को करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे परिवर्तन, चूक, परिवर्धन या प्रतिस्थापन अनुबंध का हिस्सा होंगे जैसे कि मूल रूप से प्रदान किया गया हो और कोई भी परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य जिसे ठेकेदार को कार्यों के हिस्से के रूप में ऊपर निर्दिष्ट तरीके से करने का निर्देश दिया जा सकता है, ठेकेदार द्वारा सभी शर्तों पर किया जाएगा। मूल्य सहित जिस पर वह इसके बाद प्रदान किए गए मुख्य कार्य को छोड़कर सहमत हुआ।</p>

<p><b>Dismantled Material Govt. Property</b></p>	<p><b>Clause 10 D</b></p> <p>The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work, etc. as Government's property and such materials shall be disposed off to the best advantage of Government according to the instructions in writing issued by the Engineer-in-Charge.</p>
<p><b>Work to be Executed in Accordance with Specifications, Drawings, Orders etc.</b></p>	<p><b>Clause 11</b></p> <p>The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and instructions in writing in respect of the work signed by the Engineer-in-Charge and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract documents together with specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the standard specifications of Central Public Works Department specified in Schedule 'F' or in any Bureau of Indian Standard or any other, published standard or code or, Schedule of Rates or any other printed publication referred to elsewhere in the contract.</p> <p>The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and supervision of all works, structural plans and other things of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance if any in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The Contractor shall take full responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.</p>
<p><b>Deviations/ Variations Extent and Pricing</b></p>	<p><b>Clause 12</b></p> <p>The Engineer-in-Charge shall have power (i) to make alteration in, omissions from, additions to, or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the works in case of non-availability of a portion of the site or for any other reasons and the contractor shall be bound to carry out the works in accordance with any instructions given to him in writing signed by the Engineer-in-Charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects including price on which he agreed to do the main work except as hereafter provided.</p>

	<p>उन्नयन, सौंदर्यशास्त्र, विशेष मरम्मत, परिवर्धन/परिवर्तन के कार्यों सहित कार्यों के लिए किसी भी समझौते की पूर्णता लागत निविदा राशि के 1.25 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। निविदा राशि के 1.5 गुना तक की इस सीमा से परे किसी भी अन्य विचलन को रिकॉर्ड किए गए कारण के साथ अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और असाधारण मामले में, एडीजी के पास रिकॉर्ड किए गए कारण के साथ निविदा राशि के 1.50 गुना से अधिक विचलन को मंजूरी देने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की पूरी शक्ति होगी।</p> <p><b>12.1</b> कार्यों के पूरा होने का समय, किसी भी विचलन की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप निविदा मूल्य राशि से अधिक अतिरिक्त लागत का आदेश दिया जा रहा है, ठेकेदार द्वारा अनुरोध किया जाएगा, इस प्रकार है:</p> <p>(i) उस अनुपात में जो बदले गए, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की अतिरिक्त लागत, मूल निविदा मूल्य प्लस से संबंधित है।</p> <p>(ii) उपरोक्त (i) में गणना किए गए समय का 25% या इस तरह के अतिरिक्त समय को प्रभारी अभियंता द्वारा उचित माना जा सकता है।</p>
<p><b>विचलन, अतिरिक्त आइटम और मूल्य निर्धारण</b></p>	<p><b>12.2</b> अतिरिक्त आइटम (दरों की वस्तुओं की दिल्ली अनुसूची) के मामले में, इनका भुगतान अनुसूची दर प्लस लागत सूचकांक (निविदा के समय पर) प्लस / माइनस प्रतिशत के अनुसार / उद्धृत अनुबंध राशि से नीचे / के अनुसार किया जाएगा। गैर-अनुसूची मदों (गैर-डीएसआर मदों) के मामले में अतिरिक्त मदों का भुगतान प्रचलित बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।</p>
<p><b>विचलन, विचलित मात्रा, मूल्य निर्धारण</b></p>	<p><b>12.3</b> स्थानापत्र आइटम (दरों की वस्तुओं की अनुसूची दिल्ली) के मामले में, इनका भुगतान अनुसूची दर प्लस लागत सूचकांक (निविदा के समय) प्लस/माइनस प्रतिशत ऊपर/नीचे उद्धृत अनुबंध राशि के अनुसार किया जाएगा। गैर-अनुसूची मदों (गैर-डीएसआर आइटम) के मामले में स्थानापत्र का भुगतान प्रचलित बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>अनुबंध मदों के मामले में, जो अनुसूची एफ में निर्धारित सीमा से अधिक है, ठेकेदार को समझौते दर / बाजार दर पर दरों का भुगतान किया जाएगा, जो भी कम हो।</p> <p>अनुसूची एफ में निर्धारित सीमा से अधिक कार्य के लिए मदों के बाजार में प्रचलित दरों में कमी के मामले में, अभियंता-प्रभारी अधिकता की घटना के एक महीने के भीतर ठेकेदार को नोटिस देने के बाद और नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर उससे प्राप्त किसी भी उत्तर को ध्यान में रखते हुए, बाजार दरों के संबंध में पंद्रह दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर विचाराधीन कार्य के लिए दरों को संशोधित करेगा।</p>
	<p><b>12.4</b> अनुसूची "एफ" के संचालन के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित कार्यों को नींव से संबंधित कार्यों के रूप में माना जाएगा जब तक कि अनुबंध में अन्यथा परिभाषित न किया गया हो:</p> <p>(i) भवनों के लिए: सभी जमीनी स्तर से 1.2 मीटर ऊपर या फर्श 1 स्तर तक जो भी कम हो, काम करते हैं।</p> <p>(ii) एबुटमेंट, पियर्स और अच्छी तरह से स्टेनिंग के लिए: सभी बिस्तर के स्तर से 1.2 मीटर तक काम करते हैं।</p>

	<p>The completion cost of any agreement for works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration should not exceed 1.25 times of Tendered amount. Any further deviation beyond this limit upto 1.5 times of tendered amount shall be approved by the authority mentioned in schedule 'F' with recorded reason and in exceptional case, ADG shall have full power to approve the deviation beyond 1.50 times of tendered amount with recorded reason and take suitable corrective action.</p> <p><b>12.1</b> The time for completion of the works shall, in the event of any deviations resulting in additional cost over the tendered value sum being ordered, be extended, if requested by the contractor, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears to the original tendered value plus.</li> <li>(ii) 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time as may be considered reasonable by the Engineer-in-Charge.</li> </ul>
<p><b>Deviation, Extra Items and Pricing</b></p>	<p><b>12.2</b> In the case of Extra Item(s) being the schedule items (Delhi Schedule of Rates items), these shall be paid as per the schedule rate plus cost index (at the time of tender) plus/minus percentage above/ below quoted contract amount. Payment of Extra items in case of non-schedule items (Non-DSR items) shall be made as per the prevailing market rate.</p>
<p><b>Deviation, deviated Quantities, Pricing</b></p>	<p><b>12.3</b> In the case of Substitute Item(s) being the schedule items (Delhi Schedule of Rates items), these shall be paid as per the schedule rate plus cost index (at the time of tender) plus/minus percentage above/ below quoted contract amount. Payment of Substitute in case of non-schedule items (Non-DSR items) shall be made as per the prevailing market rate.</p> <p>In the case of contract items, which exceed the limits laid down in schedule F, the contractor shall be paid rates at Agreement rate/Market rate whichever is lower.</p> <p>In case of decrease in the rates prevailing in the market of items for the work in excess of the limits laid down in Schedule F, the Engineer-in-Charge shall after giving notice to the contractor within one month of occurrence of the excess and after taking into consideration any reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having regard to the market rates.</p>
	<p><b>12.4</b> For the purpose of operation of Schedule "F", the following works shall be treated as works relating to foundation unless &amp; otherwise defined in the contract:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) For Buildings: All works up to 1.2 metres above ground level or up to floor 1 level whichever is lower.</li> <li>(ii) For abutments, piers and well staining: All works up to 1.2 m above the bed level.</li> </ul>

	<p>(iii) विंग की दीवारों को बनाए रखने के लिए, कंपाउंड की दीवारें, चिमनी, ओवरहेड जलाशय/टैंक और अन्य ऊंची संरचनाएं: सभी जमीनी स्तर से 1.2 मीटर तक काम करते हैं।</p> <p>(iv) जलाशयों/टैंकों के लिए (ओवरहेड जलाशयों/टैंकों के अलावा): सभी जमीनी स्तर से 1.2 मीटर तक काम करते हैं।</p> <p>(v) बेसमेंट के लिए: सभी जमीन से 1.2 मीटर ऊपर या फर्श 1 स्तर तक जो भी कम हो, काम करते हैं।</p> <p>(vi) सड़कों के लिए, सब बेस के उपचार सहित उत्खनन और भरने की सभी वस्तुएं।</p>
	<p><b>12.5</b> निविदा दाखिल करते समय निविदाकर्ता के विचार में शामिल या आवश्यक रूप से शामिल कोई भी संचालन, या मात्रा की अनुसूची में या ऊपर उल्लिखित दरों की अनुसूची में आइटम के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक है, चाहे वह विशेष रूप से इंगित किया गया हो या नहीं। आइटम और प्रासंगिक विनिर्देशों के विवरण में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों या दरों की उक्त अनुसूची में दी गई दर में शामिल माना जाएगा, जैसा भी मामला हो। ऐसे कार्यों के लिए कुछ भी अतिरिक्त स्वीकार्य नहीं होगा।</p>
<p><b>कार्य के दायरे में कमी या परित्याग के कारण अनुबंध का फौजदारी</b></p>	<p><b>खंड 13</b></p> <p>यदि निविदा की स्वीकृति के बाद या कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय, जिस उद्देश्य या उद्देश्य के लिए काम किया जा रहा है वह किसी भी पर्यवेक्षण कारण के कारण बदल जाता है और जिसके परिणामस्वरूप काम को छोड़ दिया जाता है या दायरे में कम किया जाता है तो प्रभारी अभियंता निर्णय के साथ-साथ ऐसे निर्णय का कारण बताते हुए ठेकेदार को इस आशय की लिखित सूचना देगा और ठेकेदार मामले में तदनुसार कार्य करेगा। ठेकेदार के पास किसी भी लाभ या लाभ के कारण मुआवजे के किसी भी भुगतान या अन्यथा का कोई दावा नहीं होगा, जो उसने पूर्ण रूप से कार्यों के निष्पादन से प्राप्त किया हो, लेकिन जिसे उसने पूरे या आंशिक कार्यों के फौजदारी के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं किया था।</p> <p>ठेकेदार को अनुबंध दरों पर भुगतान किया जाएगा, साइट पर निष्पादित कार्यों के लिए पूरी राशि और इसके अलावा, नीचे उल्लिखित वस्तुओं के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित एक उचित राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसका उपयोग पूरी सीमा तक काम पर नहीं किया जा सकता है। फौजदारी के मद्देनजर;</p> <p>(i) प्रारंभिक साइट कार्य पर किया गया कोई भी व्यय, उदाहरण के लिए अस्थायी पहुंच सड़कें, अस्थायी श्रम झोपड़ियां, स्टाफ क्वार्टर और साइट कार्यालय; भंडारण आवास और जल भंडारण टैंक।</p> <p>(ii) सरकार के पास ठेकेदार की सामग्री या उसके किसी भी हिस्से को या तो साइट पर लाने का विकल्प होगा या जिसमें से ठेकेदार कानूनी रूप से आपूर्तिकर्ताओं से वितरण स्वीकार करने के लिए बाध्य है (काम में शामिल या आकस्मिक के लिए) बशर्ते, सरकार सामग्री या उसके ऐसे हिस्सों को लेने के लिए बाध्य होगी जिन्हें ठेकेदार बनाए रखना नहीं चाहता है। सरकार द्वारा ली गई या ली जाने वाली सामग्रियों के लिए, इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा विस्तृत रूप से ऐसी सामग्रियों की लागत का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, लागत खरीद मूल्य, परिवहन की लागत और गिरावट या क्षति को ध्यान में रखेगी जो ठेकेदार की हिरासत में रहते हुए सामग्री के कारण हो सकती है।</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) For retaining walls, wing walls, compound walls, chimneys, overhead reservoirs/ tanks and other elevated structures: All works up to 1.2 metres above the ground level.</li> <li>(iv) For reservoirs/tanks (other than overhead reservoirs/tanks): All works up to 1.2 metres above the ground level.</li> <li>(v) For basement: All works up to 1.2 m above ground level or up to floor 1 level whichever is lower.</li> <li>(vi) For Roads, all items of excavation and filling including treatment of sub base.</li> </ul>
	<p><b>12.5</b> Any operation incidental to or necessarily has to be in contemplation of tenderer while quoting filing tender, or necessary for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the schedule of rates mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description of the item and the relevant specifications, shall be deemed to be included in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of rates, as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such operations.</p>
<p><b>Foreclosure of contract due to Abandonment or Reduction in Scope of Work</b></p>	<p><b>Clause 13</b></p> <p>If at any time after acceptance of the tender or during the progress of work, the purpose or object for which the work is being done changes due to any supervening cause and as a result of which the work has to be abandoned or reduced in scope the Engineer-in- Charge shall give notice in writing to that effect to the contractor stating the decision as well as the cause for such decision and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.</p> <p>The contractor shall be paid at contract rates, full amount for works executed at site and, in addition, a reasonable amount as certified by the Engineer-in-Charge for the items hereunder mentioned which could not be utilized on the work to the full extent in view of the foreclosure;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Any expenditure incurred on preliminary site work, e.g. temporary access roads, temporary labour huts, staff quarters and site office; storage accommodation and water storage tanks.</li> <li>(ii) Government shall have the option to take over contractor's materials or any part thereof either brought to site or of which the contractor is legally bound to accept delivery from suppliers (for incorporation in or incidental to the work) provided, however Government shall be bound to take over the materials or such portions thereof as the contractor does not desire to retain. For materials taken over or to be taken over by Government, cost of such materials as detailed by Engineer-in- Charge shall be paid. The cost shall, however, take into account purchase price, cost of transportation and deterioration or damage which may have been caused to materials whilst in the custody of the contractor.</li> </ul>

	<p>(iii) साइट से ठेकेदार के स्थायी स्टोर या उसके अन्य कार्यों में स्थानांतरण के लिए उचित मुआवजा, जो भी कम हो। यदि टी एंड पी को उक्त स्थानों में से किसी में भी नहीं ले जाया जाता है, तो परिवहन की कोई लागत देय नहीं होगी।</p> <p>(iv) ठेकेदार के साइट कर्मचारियों और आयातित श्रम के प्रत्यावर्तन के लिए उचित मुआवजा आवश्यक सीमा तक।</p> <p>ठेकेदार, यदि प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यक हो, तो उसे इस शर्त के तहत देय उचित राशि को प्रमाणित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक खाता, वेतन बही, समय पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।</p> <p>उपरोक्त (i), (iv) और (v) पर वस्तुओं की उचित राशि बंद होने की तारीख को अधूरे शेष कार्य की लागत के 2% से अधिक नहीं होगी, अर्थात् स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्य की कुल निर्धारित लागत अनुबंध के तहत वास्तव में निष्पादित कार्य की लागत को कम करती है और ऊपर मद (ii) के अनुसार सरकार द्वारा ली गई साइट पर ठेकेदार की सामग्री की लागत को कम करती है। बशर्ते कि इस खाते पर या अन्यथा ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान के खिलाफ, अभियंता-प्रभारी किसी भी उपकरण, संयंत्र और सामग्री के संबंध में भुगतान किए गए अग्रिम के लिए ठेकेदार से देय किसी भी बकाया शेष की वसूली या जमा करने का हकदार होगा। और कोई अन्य रकम जो अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार से सरकार द्वारा वसूली योग्य थी।</p> <p>कार्य के दायरे को कम करने के लिए खंड 13 के तहत की जा रही कार्रवाई की स्थिति में, ठेकेदार समान शर्तों पर नई प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत कर सकता है, उसी तरीके से और शेष निविदा राशि के लिए उसी दर पर और शुरू में विस्तारित तिथि तक मान्य हो सकता है। पूरा होने या पूरा होने की निर्धारित तिथि यदि कोई विस्तार नहीं दिया गया है और उससे कम से कम 60 दिन बाद। जहां भी ठेकेदार द्वारा ऐसी नई प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत की जाती है, प्रभारी अभियंता पिछली प्रदर्शन गारंटी वापस कर सकता है।</p>
<p><b>ठेकेदार के जोखिम और लागत पर आंशिक कार्य करना</b></p>	<p><b>खंड 14</b></p> <p>यदि ठेकेदार:</p> <p>(i) किसी भी समय काम की मुद्रा के दौरान चूक करता है या काम के किसी भी हिस्से को उचित परिश्रम के साथ निष्पादित नहीं करता है और अभियंता-प्रभारी से इस संबंध में 7 कार्य दिवसों की लिखित सूचना के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है; या</p> <p>(ii) अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुपालन में इसका कोई भी चूक करता है और इसे ठीक नहीं करता है या इंजीनियर-प्रभारी द्वारा लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी 7 कार्य दिवसों के भीतर इसे ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाता है; या</p> <p>इस प्रकार निर्धारित तिथि (तारीखों) को या उससे पहले कार्य की व्यक्तिगत तारीखों के साथ कार्य (कार्यों) या वस्तुओं को पूरा करने में विफल रहता है, और इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा नहीं करता है।</p>

	<p>(iii) Reasonable compensation for transfer of T &amp; P from site to contractor's permanent stores or to his other works, whichever is less. If T &amp; P are not transported to either of the said places, no cost of transportation shall be payable.</p> <p>(iv) Reasonable compensation for repatriation of contractor's site staff and imported labour to the extent necessary.</p> <p>The contractor shall, if required by the Engineer- in-Charge, furnish to him, books of account, wage books, time sheets and other relevant documents and evidence as may be necessary to enable him to certify the reasonable amount payable under this condition.</p> <p>The reasonable amount of items on (i), (iv) and (v) above shall not be in excess of 2% of the cost of the work remaining incomplete on the date of closure, i.e. total stipulated cost of the work as per accepted tender less the cost of work actually executed under the contract and less the cost of contractor's materials at site taken over by the Government as per item (ii) above. Provided always that against any payments due to the contractor on this account or otherwise, the Engineer-in-Charge shall be entitled to recover or be credited with any outstanding balances due from the contractor for advance paid in respect of any tool, plants and materials and any other sums which at the date of termination were recoverable by the Government from the contractor under the terms of the contract.</p> <p>In the event of action being taken under Clause 13 to reduce the scope of work, the contractor may furnish fresh Performance Guarantee on the same conditions, in the same manner and at the same rate for the balance tendered amount and initially valid up to the extended date of completion or stipulated date of completion if no extension has been granted plus minimum 60 days beyond that. Wherever such a fresh Performance Guarantee is furnished by the contractor the Engineer-in-Charge may return the previous Performance Guarantee.</p>
<p><b>Carrying out part work at risk &amp; cost of contractor</b></p>	<p><b>Clause 14</b></p> <p>If contractor:</p> <p>(i) At any time makes default during currency of work or does not execute any part of the work with due diligence and continues to do so even after a notice in writing of 7 working days in this respect from the Engineer-in-Charge; or</p> <p>(ii) Commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or takes effective steps to remedy it within 7 working days even after a notice in writing is given in that behalf by the Engineer-in-Charge; or</p> <p>Fails to complete the work(s) or items of work with individual dates of completion, on or before the date(s) so determined, and does not complete them within the period specified in the notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge.</p>

(iii) खंड 3 के तहत कार्रवाई का आह्वान किए बिना प्रभारी अभियंता, ठेकेदार के खिलाफ किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसने या तो सरकार को अर्जित किया है या उसके बाद अर्जित किया है, लिखित रूप में एक नोटिस द्वारा अपने हाथों से किसी भी वस्तु (वस्तुओं) के आंशिक कार्य / अधूरे कार्य को लेने के लिए और उसके पास शक्तियां होंगी:

(क) साइट और किसी भी सामग्री, निर्माण संयंत्र, उपकरण, स्टोर आदि का कब्जा लेना; और/या

(ख) ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी भी तरह से किसी भी वस्तु (वस्तुओं) के आंशिक कार्य / अधूरे कार्य को पूरा करना।

अभियंता-प्रभारी अपने हाथों से ली गई किसी भी वस्तु (वस्तुओं) के आंशिक कार्य/आंशिक अधूरे कार्य को पूरा करने और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर निष्पादित करने के लिए ठेकेदार से राशि का निर्धारण करेगा, यदि कोई हो, तो इस खंड के तहत कार्रवाई के कारण सरकार को हुए नुकसान या क्षति के कारण ठेकेदार की देयता काम के निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी।

राशि का निर्धारण करने में, ठेकेदार को सभी प्रकार से किए गए कार्य के मूल्य के साथ उसी तरीके से और उसी दर पर क्रेडिट दिया जाएगा जैसे कि यह उसके अनुबंध की शर्तों के तहत मूल ठेकेदार द्वारा किया गया था, ठेकेदार की सामग्री का मूल्य ठेकेदार से संबंधित संयंत्र और मशीनरी के काम और उपयोग में लिया गया और शामिल किया गया। किए गए कार्य के मूल्य के बारे में प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र ठेकेदार के खिलाफ अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि इस खंड के तहत कार्रवाई केवल ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद की जाएगी। बशर्ते यह भी कि यदि विभाग द्वारा किए गए खर्च उसकी अनुबंध दरों पर ठेकेदार को देय राशि से कम हैं, तो अंतर ठेकेदार को देय नहीं होगा।

किसी भी मद (मदों) के आंशिक कार्य / आंशिक अधूरे कार्य को पूरा करने में सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त व्यय या इस तरह के क्रेडिट की अनुमति देने के बाद सरकार को उपरोक्त के रूप में नुकसान की अतिरिक्त हानि का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी खाते पर ठेकेदार को देय किसी भी धन से कानून या समझौते के अनुसार उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और यदि ऐसा पैसा अपर्याप्त है, तो ठेकेदार को लिखित रूप में बुलाया जाएगा और 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि ठेकेदार 30 दिनों की पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता को किसी भी या सभी ठेकेदारों की अप्रयुक्त सामग्री, निर्माण संयंत्र, उपकरण, साइट पर अस्थायी भवन आदि को बेचने का अधिकार होगा। और अनुबंध के तहत ठेकेदार से वसूली योग्य बकाया राशि के लिए बिक्री की आय को समायोजित करें और यदि उसके बाद कोई शेष बकाया रहता है, तो इसे अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा।

प्रभारी अभियंता द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम को अपनाए जाने की स्थिति में, ठेकेदार के पास किसी भी सामग्री को खरीदने या खरीदने या किसी भी सगाई में प्रवेश करने या किसी भी खाते पर कोई अग्रिम देने के कारण उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा। या कार्य के निष्पादन या अनुबंध के प्रदर्शन की दृष्टि से।

(iii) The Engineer- in-Charge without invoking action under clause 3 may, without prejudice to any other right or remedy against the contractor which have either accrued or accrue thereafter to Government, by a notice in writing to take the part work / part incomplete work of any item(s) out of his hands and shall have powers to:

- (a) Take possession of the site and any materials, constructional plant, implements, stores, etc., thereon; and/or
- (b) Carry out the part work / part incomplete work of any item(s) by any means at the risk and cost of the contractor.

The Engineer-in-Charge shall determine the amount, if any, is recoverable from the contractor for completion of the part work/ part incomplete work of any item(s) taken out of his hands and execute at the risk and cost of the contractor, the liability of contractor on account of loss or damage suffered by Government because of action under this clause shall not exceed 10% of the tendered value of the work.

In determining the amount, credit shall be given to the contractor with the value of work done in all respect in the same manner and at the same rate as if it had been carried out by the original contractor under the terms of his contract, the value of contractor's materials taken over and incorporated in the work and use of plant and machinery belonging to the contractor.

The certificate of the Engineer-in-Charge as to the value of work done shall be final and conclusive against the contractor provided always that action under this clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference shall not be payable to the contractor.

Any excess expenditure incurred or to be incurred by Government in completing the part work/ part incomplete work of any item(s) or the excess loss of damages suffered or may be suffered by Government as aforesaid after allowing such credit shall without prejudice to any other right or remedy available to Government in law or per as agreement be recovered from any money due to the contractor on any account, and if such money is insufficient, the contractor shall be called upon in writing and shall be liable to pay the same within 30 days.

If the contractor fails to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer-in-Charge shall have the right to sell any or all of the contractors' unused materials, constructional plant, implements, temporary building at site etc. and adjust the proceeds of sale thereof towards the dues recoverable from the contractor under the contract and if thereafter there remains any balance outstanding, it shall be recovered in accordance with the provisions of the contract.

In the event of above course being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advance on any account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract.

<p><b>कार्य का निलंबन</b></p>	<p><b>खंड 15</b></p> <p>(i) ठेकेदार, प्रभारी अभियंता के लिखित आदेश की प्राप्ति पर, (जिसका निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) कार्यों की प्रगति या उसके किसी हिस्से को ऐसे समय के लिए और इस तरह से निलंबित कर देगा जैसा कि प्रभारी अभियंता आवश्यक समझ सकता है ताकि पहले से किए गए काम को कोई नुकसान या चोट न पहुंचे या निम्नलिखित में से किसी भी कारण से उसकी सुरक्षा को खतरे में न पड़े:</p> <p>(क) ठेकेदार की ओर से किसी भी चूक के खाते पर या;</p> <p>(ख) ठेकेदार के डिफॉल्ट के अलावा अन्य कारणों से कार्यों या उसके हिस्से के उचित निष्पादन के लिए; या</p> <p>(ग) कार्यों या उसके हिस्से की सुरक्षा के लिए।</p> <p>ठेकेदार, ऐसे निलंबन के दौरान, आवश्यक सीमा तक कार्यों की उचित सुरक्षा और सुरक्षा करेगा और प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।</p> <p>(ii) यदि उपरोक्त उप-पैरा (i) में कारणों (ख) और (ग) के लिए निलंबन का आदेश दिया गया है:</p> <p>(क) ठेकेदार उस आइटम या समूह के काम को पूरा करने के लिए ऐसे प्रत्येक निलंबन प्लस 25% की अवधि के बराबर समय के विस्तार का हकदार होगा, जिसके लिए अनुबंध में पूर्णता की एक अलग अवधि निर्दिष्ट है और जिसमें से निलंबित कार्य एक हिस्सा बनाता है, और;</p> <p>(ख) यदि किसी आइटम या वस्तुओं के समूह या काम के संबंध में ऐसे सभी निलंबन की कुल अवधि से अधिक है, जिसके लिए अनुबंध में पूर्णता की एक अलग अवधि तीस दिनों में निर्दिष्ट है, तो ठेकेदार, इसके अलावा, इस तरह के मुआवजे का हकदार होगा प्रभारी अभियंता ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन और / या साइट पर श्रम के संबंध में उचित विचार कर सकता है, निलंबन की अवधि के दौरान बेकार रहता है, ठेकेदार के अप्रत्यक्ष खर्चों को कवर करने के लिए 2% जोड़ता है, बशर्ते ठेकेदार 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इंजीनियर-प्रभारी को विवरण द्वारा समर्थित अपना दावा प्रस्तुत करता है।</p> <p>(iii) इंजीनियर-प्रभारी अभियंता के आदेशों पर एक समय में तीन महीने से अधिक समय तक काम या उसका हिस्सा निलंबित कर दिया जाता है, सिवाय इसके कि जब निलंबन का आदेश कारण के लिए दिया गया हो (ए) उपरोक्त उपपैरा (i) में, ठेकेदार प्राप्त होने के बाद ऐसे आदेश की प्राप्ति के बाद प्रभारी अभियंता को उक्त नोटिस के प्रभारी अभियंता द्वारा प्राप्त होने से पंद्रह दिनों के भीतर कार्य या उसके हिस्से के साथ आगे बढ़ने की अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में प्रगति निलंबित कर दी गई है और यदि उस समय के भीतर ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है, तो ठेकेदार, यदि वह निलंबन का इलाज करने का इरादा रखता है, जहां यह सरकार द्वारा ऐसे हिस्से की चूक के रूप में कार्यों के केवल एक हिस्से को प्रभावित करता है या जहां यह पूरे कार्यों को प्रभावित करता है, सरकार द्वारा कार्यों को त्यागने के रूप में। ऐसी अवधि की समाप्ति के दस दिनों के भीतर लिखित में नोटिस दें ठेकेदार द्वारा निलंबन को सरकार द्वारा अनुबंध के परित्याग के रूप में मानने की स्थिति में, उसके पास किसी भी लाभ या लाभ के कारण किसी भी मुआवजे के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा जो उसने कार्य के निष्पादन से प्राप्त किया हो सकता है। पूर्ण लेकिन जिसे वह परित्याग के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि, वह इस तरह के मुआवजे का हकदार होगा, जैसा कि प्रभारी अभियंता अपने कर्मचारियों और साइट पर श्रम को उसके द्वारा भुगतान किए गए वेतन और / या मजदूरी के संबंध में उचित विचार कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल में 2% की वृद्धि हुई है। ठेकेदार के अप्रत्यक्ष खर्चों को कवर करने के लिए बशर्ते ठेकेदार 3 महीने की अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को विवरण द्वारा समर्थित अपना दावा प्रस्तुत करता है।</p>
-------------------------------	--

**Suspension of Work**

**Clause 15**

- (i) The contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer-in-Charge, (whose decision shall be final and binding on the contractor) suspend the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner as the Engineer-in-Charge may consider necessary so as not to cause any damage or injury to the work already done or endanger the safety thereof for any of the following reasons:
  - (a) on account of any default on the part of the contractor or;
  - (b) for proper execution of the works or part thereof for reasons other than the default of the contractor; or
  - (c) for safety of the works or part thereof.

The contractor shall, during such suspension, properly protect and secure the works to the extent necessary and carry out the instructions given in that behalf by the Engineer in- Charge.

- (ii) If the suspension is ordered for reasons (b) and (c) in sub-para (i) above:
  - (a) The contractor shall be entitled to an extension of time equal to the period of every such suspension PLUS 25%, for completion of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified in the contract and of which the suspended work forms a part, and;
  - (b) If the total period of all such suspensions in respect of an item or group of items or work for which a separate period of completion is specified in the contract exceeds thirty days, the contractor shall, in addition, be entitled to such compensation as the Engineer-in- Charge may consider reasonable in respect of salaries and/or wages paid by the contractor to his employees and labour at site, remaining idle during the period of suspension, adding thereto 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in- Charge within fifteen days of the expiry of the period of 30 days.
- (iii) If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer-in-Charge for more than three months at a time, except when suspension is ordered for reason (a) in subpara (i) above, the contractor may after receipt of such order serve a written notice on the Engineer-in-Charge requiring permission within fifteen days from receipt by the Engineer in- Charge of the said notice, to proceed with the work or part thereof in regard to which progress has been suspended and if such permission is not granted within that time, the contractor, if he intends to treat the suspension, where it affects only a part of the works as an omission of such part by Government or where it affects whole of the works, as an abandonment of the works by Government, shall within ten days of expiry of such period of 15 days give notice in writing of his intention to the Engineer-in-Charge. In the event of the contractor treating the suspension as an abandonment of the contract by Government, he shall have no claim to payment of any compensation on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full but which he could not derive in consequence of the abandonment. He shall, however, be entitled to such compensation, as the Engineer-in-Charge may consider reasonable, in respect of salaries and/or wages paid by him to his employees and labour at site, remaining idle in consequence adding to the total thereof 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within 30 days of the expiry of the period of 3 months.

**विनिर्देशों के अनुसार काम नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई**

**खंड 16**

अनुबंध के तहत या उसके अनुसरण में निष्पादित या निष्पादित सभी कार्य, प्रभारी अभियंता, कार्य के प्रभारी उसके अधिकृत अधीनस्थों और सभी वरिष्ठ अधिकारियों, विभाग की गुणवत्ता आश्वासन इकाई के अधिकारी या गुणवत्ता आश्वासन और मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय के विभाग द्वारा लगे किसी भी संगठन के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए हर समय खुले और सुलभ होंगे। ठेकेदार, हर समय, सामान्य कार्य घंटों के दौरान और अन्य सभी समय पर, जिस पर ऐसे अधिकारियों की यात्रा की उचित सूचना ठेकेदार को दी गई है, या तो स्वयं आदेश और निर्देश प्राप्त करने के लिए उपस्थित होंगे या उस उद्देश्य के लिए लिखित रूप में विधिवत मान्यता प्राप्त एक जिम्मेदार एजेंट होगा। ठेकेदार के एजेंट को दिए गए आदेशों को एक ही बल माना जाएगा जैसे कि वे स्वयं ठेकेदार को दिए गए थे। यदि कार्य के प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत अधीनस्थों को या गुणवत्ता आश्वासन के प्रभारी मुख्य अभियंता या उसके अधीनस्थ अधिकारियों या गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभाग द्वारा लगे संगठन के अधिकारियों को या मुख्य तकनीकी परीक्षक या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को यह प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य को अस्वस्थ, अपूर्ण या अकुशल कारीगरी के साथ निष्पादित किया गया है, या उस कार्य के निष्पादन के लिए उसके द्वारा प्रदान की गई सामग्री या लेखों के साथ जो अनुचित हैं या अनुबंधित या अन्यथा अनुबंध के अनुसार नहीं हैं, ठेकेदार लिखित रूप में मांग पर जो बारह महीने के भीतर किया जाएगा (काम के मामले में छह महीने की लागत रु। 10 लाख और उससे कम सड़क कार्य को छोड़कर) इंजीनियर-प्रभारी से काम पूरा करने के लिए, कार्य, सामग्री या वस्तुओं को निर्दिष्ट करते हुए, इस बात के बावजूद कि इसे पारित किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है और तत्काल सुधार के लिए भुगतान किया जा सकता है।, या पूरे या आंशिक रूप से निर्दिष्ट कार्य को हटाएं और पुनर्निर्माण करें, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार निर्दिष्ट सामग्री या लेखों को हटा दें और अपने स्वयं के शुल्क और लागत पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या लेख प्रदान करें। अभियंता-प्रभारी द्वारा अपनी मांग में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार इस डिफॉल्ट के लिए अनुबंध के खंड 2 के तहत उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ऐसे मामले में अभियंता-प्रभारी अनुबंध के तहत लागू दरों पर काम की वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन कम दरों पर ऐसी वस्तुओं को स्वीकार कर सकता है क्योंकि अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऑन अकाउंट बिल या अंतिम बिल तैयार करने के दौरान उचित विचार कर सकता है यदि आइटम वस्तु और संरचना की सुरक्षा और उपयोगिता को नुकसान पहुंचाए बिना स्वीकार्य है या वह बिना किसी भुगतान के काम को एकमुश्त अस्वीकार कर सकता है और/या ठेकेदार के जोखिम और लागत पर इसे और अन्य जुड़े और आकस्मिक वस्तुओं को ठीक करवा सकता है, या हटा सकता है और फिर से निष्पादित कर सकता है। प्रभारी अभियंता का निर्णय उसी के संबंध में लिखित रूप में सूचित किया जाना अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

**Action in case  
Work not  
done as per  
Specifications**

**Clause 16**

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the Engineer-in - charge, his authorized subordinates in charge of the work and all the superior officers, officer of the Quality Assurance Unit of the Department or any organization engaged by the Department for Quality Assurance and of the Chief Technical Examiner's Office, and the contractor shall, at all times, during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself.

If it shall appear to the Engineer-in-charge or his authorized subordinates in charge of the work or to the Chief Engineer in charge of Quality Assurance or his subordinate officers or the officers of the organization engaged by the Department for Quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or his subordinate officers, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing Rs. 10 Lac and below except road work) of the completion of the work from the Engineer- in-Charge specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer-in- Charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as under clause 2 of the contract (for non-completion of the work in time) for this default.

In such case the Engineer-in-Charge may not accept the item of work at the rates applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the authority specified in schedule 'F' may consider reasonable during the preparation of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment and/or get it and other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer-in-Charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor.

**क्षति के लिए  
उत्तरदायी  
ठेकेदार, दोष  
देयता अवधि  
के दौरान दोष**

**खंड 17**

यदि ठेकेदार या उसके कामकाजी लोग या नौकर भवन के किसी भी हिस्से को तोड़ देंगे, विकृत कर देंगे, घायल कर देंगे या नष्ट कर देंगे जिसमें वे काम कर रहे हैं, या कोई भवन, सड़क, केबल, बाड़, बाड़, पानी का पाइप, केबल, नाले, बिजली या टेलीफोन पोस्ट या तार, पेड़, घास या घास के मैदान, या उस परिसर से सटी खेती की गई जमीन जिस पर काम या कोई हिस्सा निष्पादित किया जा रहा है, या यदि प्रगति पर रहते हुए काम को कोई नुकसान होगा, तो किसी भी कारण से या यदि कोई दोष, सिकुड़ना या अन्य दोष बारह महीने के भीतर काम में दिखाई देते हैं (रुपये की लागत वाले काम के मामले में छह महीने)। सड़क कार्य को छोड़कर दस लाख और उससे कम) एक प्रमाण पत्र के बाद अंतिम या अन्यथा इसके पूरा होने के बाद इंजीनियर प्रभारी द्वारा दोष या अनुचित सामग्री या कारीगरी से उत्पन्न होने वाले पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा। ठेकेदार उस संबंध में लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर उसे अपने खर्च पर या डिफॉल्ट रूप से इंजीनियर-प्रभारी को अन्य श्रमिकों द्वारा अच्छा बनाने का कारण बनता है और किसी भी राशि से खर्च काटता है जो देय हो सकती है या उसके बाद किसी भी समय ठेकेदार को देय हो सकती है, या उसकी सुरक्षा जमा राशि से या बिक्री की आय या उसके पर्याप्त हिस्से से। ठेकेदार की सुरक्षा जमा बारह महीने की समाप्ति से पहले वापस नहीं की जाएगी (रुपये की लागत वाले काम के मामले में छह महीने)। रोड वर्क को छोड़कर दस लाख और उससे कम) सर्टिफिकेट फाइनल जारी होने के बाद या अन्यथा, काम पूरा होने के बाद, या अंतिम बिल तैयार होने और जो भी बाद में हो, पारित होने तक। बशर्ते कि सड़क कार्य के मामले में, यदि प्रभारी अभियंता की राय में, इस अनुबंध के तहत ठेकेदार की सभी देनदारियों को पूरा करने के लिए सुरक्षा जमा का आधा हिस्सा पर्याप्त है, तो सुरक्षा जमा का आधा हिस्सा छह महीने के बाद वापस किया जाएगा और शेष आधा उक्त प्रमाण पत्र के जारी होने के बारह महीने के बाद या अंतिम बिल तैयार होने और जो भी बाद में पारित होने तक वापस किया जाएगा।

ई एंड एम सेवाओं के रखरखाव और संचालन कार्यों के मामले में, ठेकेदारों से काटी गई सुरक्षा जमा को अंतिम भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर या रखरखाव अनुबंध के पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर, जो भी पहले हो, वापस कर दिया जाएगा।

**उपकरण और  
संयंत्र आदि  
की आपूर्ति के  
लिए ठेकेदार।**

**खंड 18**

ठेकेदार अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सभी सामग्री, मशीनरी, उपकरण और संयंत्र अपनी लागत पर प्रदान करेगा। इसके अलावा, उपकरण, उपकरण, उपकरण, अन्य संयंत्र, सीढ़ी, कॉर्डेज, टैकल, मचान और काम के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक अस्थायी कार्य, चाहे वह मूल, परिवर्तित या प्रतिस्थापित हो और चाहे अनुबंध का हिस्सा बनने वाले विनिर्देशों या अन्य दस्तावेजों में शामिल हो या इन शर्तों में संदर्भित हो या नहीं, या जो किसी भी मामले के रूप में प्रभारी अभियंता-की आवश्यकताओं को पूरा करने या अनुपालन करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकता है, जिसके लिए इन शर्तों के तहत वह संतुष्ट होने का हकदार है, या जिसे वह गाड़ी के साथ मिलकर काम करने का हकदार है।

**Contractor  
Liable for  
Damages,  
defects during  
defect liability  
Period**

**Clause 17**

If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of building in which they may be working, or any building, road, road kerb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone post or wires, trees, grass or grassland, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause whatever or if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) after a certificate final or otherwise of its completion shall have been given by the Engineer in- Charge as aforesaid arising out of defect or improper materials or workmanship the contractor shall upon receipt of a notice in writing on that behalf make the same good at his own expense or in default the Engineer-in-Charge cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be due or at any time thereafter may become due to the contractor, or from his security deposit or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof. The security deposit of the contractor shall not be refunded before the expiry of twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. Provided that in the case of road work, if in the opinion of the Engineer-in-Charge, half of the security deposit is sufficient, to meet all liabilities of the contractor under this contract, half of the security deposit will be refundable after six months and the remaining half after twelve months of the issue of the said certificate of completion or till the final bill has been prepared and passed whichever is later.

In case of Maintenance and Operation works of E&M services, the security deposit deducted from contractors shall be refunded within one month from the date of final payment or within one month from the date of completion of the maintenance contract whichever is earlier.

**Contractor to  
Supply Tools  
& Plants etc.**

**Clause 18**

The contractor shall provide at his own cost all materials, machinery, tools & plants as specified in schedule F. In addition to this, appliances, implements, other plants, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works required for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specifications or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-in-Charge as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefore to and from the work.

ठेकेदार किसी भी समय और समय-समय पर काम या सामग्री की जांच के लिए माप की गिनती, वजन और सहायता के उद्देश्य से आवश्यक साधनों और सामग्रियों के साथ अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों की आपूर्ति भी बिना शुल्क के करेगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, ठेकेदार की कीमत पर प्रभारी अभियंता द्वारा प्रदान किया जा सकता है और इस अनुबंध के तहत या अन्यथा और/या उसकी सुरक्षा जमा या बिक्री की आय से ठेकेदार को देय किसी भी पैसे से खर्च काटा जा सकता है।, या उसके पर्याप्त हिस्से का।

**कामगारों को भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली**

#### **खंड 18क**

प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार मुआवजा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के आधार पर। 1923, सरकार ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक को कार्यों के निष्पादन में मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, सरकार ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूल करेगी: और, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसी राशि या उसके किसी हिस्से को सुरक्षा जमा से घटाकर या सरकार द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी, चाहे वह इस अनुबंध के तहत हो या अन्यथा। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगी, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर और सरकार को सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा देने के बाद, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी हो सकती है। इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप।

**यदि ठेकेदार विफल रहता है तो श्रमिकों को भुगतान और सुविधाएं सुनिश्चित करना**

#### **खंड 18बी**

प्रत्येक मामले में जिसमें अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के प्रावधानों के आधार पर, सरकार किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। काम के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगार, या उपरोक्त अधिनियम और खंड 19एच के तहत या सीपीडब्ल्यूडी के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में कोई व्यय करने के लिए ठेकेदार के श्रम विनियम, या सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ठेकेदार, सरकार ठेकेदार से भुगतान की गई मजदूरी की राशि या इस प्रकार किए गए व्यय की राशि वसूल करेगी; और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 20 की उप-धारा (2) और धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार सुरक्षा जमा से या सरकार द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती करके ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगी, चाहे वह इस अनुबंध के तहत हो या अन्यथा सरकार ठेकेदार के लिखित अनुरोध को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1), उप-धारा (4) के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे को लड़ने के लिए बाध्य नहीं होगी। ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर और सभी लागतों के लिए सरकार को पूर्ण सुरक्षा देने पर जिसके लिए सरकार इस तरह के दावे का विरोध करने में उत्तरदायी हो सकती है।

The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, and counting, weighing and assisting the measurement for examination at any time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing, the same may be provided by the Engineer-in-Charge at the expense of the contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the contractor, under this contract or otherwise and/or from his security deposit or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portion thereof.

**Recovery of  
Compensation  
paid to  
Workmen**

**Clause 18A**

In every case in which by virtue of the provisions sub- section (1) of section 12 of the Workmen's Compensation Act. 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works , Government will recover from the contractor , the amount of the compensation so paid: and, , without prejudice to the rights of the Government under sub- section(2) of section 12 , of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise. Government shall not be bound to contest any claim made against it under sub- section (1) of section 12, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in consequence of contesting such claim.

**Ensuring  
Payment and  
Amenities to  
Workers if  
Contractor  
fails**

**Clause 18B**

In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said Act and the rules under Clause 19H or under the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations, or under the Rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by C.P.W.D. Contractors, Government will recover from the contractor, the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred; and without prejudice to the rights of the Government under sub-section(2) of Section 20, and sub-section (4) of Section 21, of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise Government shall not be bound to contest any claim made against it under sub-section (1) of Section 20, sub-section (4) of Section 21, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.

### खंड 19

ठेकेदार काम शुरू होने से पहले अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत एक वैध लाइसेंस प्राप्त करेगा, और काम पूरा होने तक वैध लाइसेंस जारी रखेगा।

ठेकेदार अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों का भी पालन करेगा। ठेकेदार बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

ठेकेदार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

इन आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई भी विफलता कार्य के परिणामी गैर-निष्पादन से उत्पन्न होने वाले इस अनुबंध के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगी।

### खंड 19क

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी श्रम को काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

### खंड 19 ख

- (i) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रम को सीधे या उपठेकेदारों के माध्यम से भुगतान करेगा, वेतन सीपीडब्ल्यूडी में परिभाषित उचित मजदूरी से कम नहीं होगा ठेकेदार के श्रम विनियम या अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, जहां भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार।
- (ii) ठेकेदार, इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के प्रावधानों के बावजूद, काम पर अप्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिकों को उचित वेतन का भुगतान करने का कारण बनेगा, जिसमें उक्त कार्य के संबंध में उसके उप-ठेकेदारों द्वारा लगे कोई भी श्रम शामिल है, जैसे कि श्रम उसके द्वारा तुरंत नियोजित किया गया था।
- (iii) इस अनुबंध के ठेकेदार के हिस्से के प्रदर्शन के लिए कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार के श्रम विनियमों का पालन करेगा या अनुपालन करने का कारण बनेगा। सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी के भुगतान, मजदूरी अवधि, मजदूरी की वसूली से कटौती का भुगतान नहीं किया गया और अनधिकृत रूप से की गई कटौती, वेतन पुस्तकों का रखरखाव या मजदूरी पर्ची वेतन के पैमाने का प्रकाशन और रोजगार की अन्य शर्तें, आवधिक रिटर्न का निरीक्षण और प्रस्तुत करना और समान प्रकृति के अन्य सभी मामले या अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, जहां भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार

**Labour Laws  
to be  
complied by  
the  
Contractor**

**Clause 19**

The contractor shall obtain a valid licence under the Contract Labour (R&A) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, before the commencement of the work, and continue to have a valid license until the completion of the work.

The contractor shall also comply with provisions of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. The contractor shall also abide by the provisions of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

The contractor shall also comply with the provisions of the building and other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996 and the building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996.

Any failure to fulfill these requirements shall attract the penal provisions of this contract arising out of the resultant non-execution of the work.

**Clause 19A**

No labour below the age of fourteen years shall be employed on the work.

**Payment of  
Wages**

**Clause 19B**

- (i) The contractor shall pay to labour employed by him either directly or through subcontractors, wages not less than fair wages as defined in the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.
- (ii) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.
- (iii) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with the Central Public Works Department contractor's Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages recovery of wages not paid and deductions unauthorizedly made, maintenance of wage books or wage slips publication of scale of wage and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature or as per the provisions of the Contract Labour(Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.

- (iv) **(क)** संबंधित अभियंता-प्रभारी को ठेकेदार को देय धन से किसी भी राशि की कटौती करने का अधिकार होगा, जो श्रमिकों के लाभ के लिए अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने के कारण किसी श्रमिक या श्रमिकों को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए आवश्यक या अनुमानित है।, मजदूरी का भुगतान न करना या उसकी मजदूरी से की गई कटौती जो अनुबंध की शर्तों या विनियमों के गैर-पालन से उचित नहीं है।
- (ख)** न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 के प्रावधान के तहत, ठेकेदार काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को एक दिन के लिए 6 दिनों के निरंतर काम की अनुमति देने और शुल्क के समान दर पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य है। चूक की स्थिति में, अभियंता-प्रभारी को किसी भी श्रम के लिए साप्ताहिक छुट्टियों के लिए मजदूरी के कारण भुगतान नहीं की गई राशि या राशि की कटौती करने और संबंधित अभियंता-प्रभारी द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धन से उसके हकदार व्यक्तियों को भुगतान करने का अधिकार होगा।
- दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, हालांकि, दिल्ली प्रशासन संख्या एफ.12 (162) एमडब्ल्यूओ/डीएबी/43884-91, दिनांक 31-12-1979 की अधिसूचना के तहत तय की गई सभी समावेशी न्यूनतम दैनिक मजदूरी के रूप में समय-समय पर संशोधित में आराम के साप्ताहिक दिन के लिए मजदूरी शामिल है, साप्ताहिक अवकाश के लिए अतिरिक्त भुगतान का सवाल ही नहीं उठेगा।
- (v) ठेकेदार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी देयता अधिनियम, 1938, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और ठेकेदार के प्रावधानों का पालन करेगा। श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, या उसके संशोधन या उससे संबंधित कोई अन्य कानून और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियम।
- (vi) ठेकेदार उपरोक्त कानूनों और सीपीडब्ल्यूडी के पालन के तहत और किए जाने वाले भुगतानों के खिलाफ क्षतिपूर्ति सरकार को क्षतिपूर्ति देगा और रखेगा अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार के श्रम विनियम।
- (vii) पूर्वोक्त कानून इस अनुबंध का एक हिस्सा माना जाएगा और उसके किसी भी उल्लंघन को इस अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।
- (viii) जो भी समय के लिए न्यूनतम मजदूरी है, या यदि देय मजदूरी ऐसी मजदूरी से अधिक है, तो ठेकेदार द्वारा जमादार के हस्तक्षेप के बिना सीधे काम करने वालों को ऐसी मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और जमादार कमीशन के माध्यम से या अन्यथा काम करने वालों को देय न्यूनतम मजदूरी से किसी भी राशि की कटौती या वसूली करने का हकदार नहीं होगा।
- (ix) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जमादार द्वारा कामगारों के वेतन से कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई राशि नहीं काटी गई है या वसूल नहीं की गई है।

(iv) **(a)** The Engineer-in-Charge concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non-fulfillment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

**(b)** Under the provision of Minimum Wages (Central) Rules, 1950, the contractor is bound to allow to the labours directly or indirectly employed in the works one day rest for 6 days continuous work and pay wages at the same rate as for duty. In the event of default, the Engineer-in-Charge shall have the right to deduct the sum or sums not paid on account of wages for weekly holidays to any labours and pay the same to the persons entitled thereto from any money due to the contractor by the Engineer-in-Charge concerned.

In the case of Union Territory of Delhi, however, as the all inclusive minimum daily wages fixed under Notification of the Delhi Administration No.F.12(162)MWO/DAB/ 43884-91, dated 31-12-1979 as amended from time to time are inclusive of wages for the weekly day of rest, the question of extra payment for weekly holiday would not arise.

- (v) The contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employees Liability Act, 1938, Workmen's Compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947, Maternity Benefits Act, 1961, and the Contractor's Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, or the modifications thereof or any other laws relating thereto and the rules made there under from time to time.
- (vi) The contractor shall indemnify and keep indemnified Government against payments to be made under and for the observance of the laws aforesaid and the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations without prejudice to his right to claim indemnity from his sub-contractors.
- (vii) The laws aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.
- (viii) Whatever is the minimum wage for the time being, or if the wage payable is higher than such wage, such wage shall be paid by the contractor to the workmen directly without the intervention of Jamadar and that Jamadar shall not be entitled to deduct or recover any amount from the minimum wage payable to the workmen as and by way of commission or otherwise.
- (ix) The contractor shall ensure that no amount by way of commission or otherwise is deducted or recovered by the Jamadar from the wage of workmen.

### खंड 19ग

इस अनुबंध के ठेकेदार के हिस्से के प्रदर्शन के लिए काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार अपने खर्च पर सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार सुरक्षा प्रावधानों की व्यवस्था करेगा सुरक्षा कोड समय-समय पर तैयार किया जाता है और अपने खर्च पर इसके संबंध में सभी सुविधाओं का प्रावधान करेगा। यदि ठेकेदार उपर्युक्त के अनुसार व्यवस्था करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह प्रत्येक डिफॉल्ट के लिए अनुसूची एफ में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा तय किए गए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अलावा, इंजीनियर-प्रभारी व्यवस्था करने और सुविधाएं प्रदान करने और ठेकेदार से इस संबंध में खर्च की गई लागत की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा।

### खंड 19घ

ठेकेदार प्रत्येक महीने की चौथी और 19 तारीख तक प्रभारी अभियंता को एक सच्चा विवरण प्रस्तुत करेगा, जो पिछले महीने की दूसरी छमाही और चालू महीने की पहली छमाही के संबंध में क्रमशः दिखाता है: -

- (1) उसके द्वारा काम पर नियोजित मजदूरों की संख्या,
- (2) उनके काम के घंटे,
- (3) उन्हें भुगतान की गई मजदूरी,
- (4) रात के दौरान घटी दुर्घटनाएं जो उन परिस्थितियों को दर्शाती हैं जिनके तहत वे घटित हुई थीं और उनके कारण होने वाली क्षति और चोट की सीमा, और
- (5) उन महिला श्रमिकों की संख्या जिन्हें खंड 19एफ के अनुसार मातृत्व लाभ की अनुमति दी गई है और उन्हें राशि का भुगतान किया गया है।

ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, प्रत्येक डिफॉल्ट या भौतिक रूप से गलत विवरण के लिए अनुसूची एफ में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा तय की गई राशि। संभागीय अधिकारी का निर्णय ठेकेदार को देय किसी भी बिल से कटौती करने में अंतिम होगा, जुर्माना के रूप में लगाई गई राशि और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

### खंड 19ङ

इस अनुबंध के ठेकेदार के हिस्से के प्रदर्शन के लिए कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए सभी नियमों का पालन करेगा या अनुपालन करने का कारण बनेगा। और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए स्वच्छता व्यवस्था।

### खंड 19च

छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा: -

1. छुट्टी:

- (i) डिलीवरी के मामले में - मातृत्व अवकाश 8 सप्ताह से अधिक नहीं, वितरण के दिन तक और सहित 4 सप्ताह और उस दिन के बाद 4 सप्ताह,
- (ii) गर्भपात के मामले में गर्भपात की तारीख से 3 सप्ताह तक।

**Clause 19C**

In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provisions as per C.P.W.D. Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid, he shall be liable to pay a penalty as decided by the authority mentioned in Schedule F for each default and in addition, the Engineer-in- Charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred in that behalf from the contractor.

**Clause 19D**

The contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer-in-Charge, a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month respectively:-

- (1) The number of labourers employed by him on the work,
- (2) Their working hours,
- (3) The wages paid to them,
- (4) The accidents that occurred during the said for night showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them, and
- (5) The number of female workers who have been allowed maternity benefit according to Clause 19F and the amount paid to them.

Failing which the contractor shall be liable to pay to Government, a sum as decided by the authority mentioned in Schedule F for each default or materially incorrect statement. The decision of the Divisional Officer shall be final in deducting from any bill due to the contractor, the amount levied as fine and be binding on the contractor.

**Clause 19E**

In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the Central Public Works Department and its contractors.

**Clause 19F**

Leave and pay during leave shall be regulated as follows:-

1. Leave :
  - (i) In the case of delivery - maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks up to and including the day of delivery and 4 weeks following that day,
  - (ii) In the case of miscarriage - upto 3 weeks from the date of miscarriage.

## 2. भुगतान:

- (i) डिलीवरी के मामले में छुट्टी का भुगतान मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं की औसत दैनिक कमाई की दर से होगा, जिसकी गणना उन दिनों की कुल मजदूरी पर की जाएगी जब पूर्णकालिक काम तीन महीने की अवधि के दौरान किया गया था। जिस तारीख को वह नोटिस देती है कि वह सीमित होने की उम्मीद करती है या केवल एक दिन की दर से, जो भी अधिक हो।
- (ii) गर्भपात के मामले में छुट्टी वेतन उन दिनों अर्जित कुल मजदूरी पर गणना की गई औसत दैनिक कमाई की दर से जब ऐसे गर्भपात की तारीख से ठीक पहले तीन महीने की अवधि के दौरान पूर्णकालिक काम किया गया था।

## 3. मातृत्व अवकाश के अनुदान के लिए शर्तें:

किसी महिला को कोई मातृत्व अवकाश लाभ तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि उसे छुट्टी पर जाने की तारीख से ठीक पहले छह महीने से कम की कुल अवधि के लिए नियोजित नहीं किया गया हो।

## 4. ठेकेदार परिशिष्ट-I और II में दिखाए गए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में मातृत्व (लाभ) का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, और इसे काम के स्थान पर रखा जाएगा।

## खंड 19 छ

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठेकेदार के श्रम विनियम और श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था के संरक्षण के लिए मॉडल नियमों के किसी भी प्रावधान के डिफॉल्ट या उल्लंघन की स्थिति में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त नियमों और 'नियमों के प्रावधानों के तहत कोई भी जानकारी प्रस्तुत करना या कोई बयान दाखिल करना जो भौतिक रूप से गलत है, वह किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार को प्रत्येक चूक, उल्लंघन या प्रस्तुत करने, प्रस्तुत करने, प्रस्तुत करने, ऐसे भौतिक रूप से गलत बयान दर्ज करने और ठेकेदार (ओं) की स्थिति में निविदा के लिए किए गए कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत के अधीन डिफॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए दंड को बढ़ाकर 200 / - रुपये प्रति दिन किया जा सकता है। प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

क्या प्रभारी अभियंता को यह प्रतीत होना चाहिए कि ठेकेदार सीपीडब्ल्यूडी के प्रावधानों का ठीक से पालन और अनुपालन नहीं कर रहे हैं ठेकेदार के श्रम विनियम और मॉडल नियम और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधान, और अनुबंध श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम 1971, ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्य-लोगों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा के लिए (इसके बाद इसे "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है) प्रभारी अभियंता के पास ठेकेदार (ओं) को लिखित रूप में नोटिस देने की शक्ति होगी, जिसमें यह आवश्यक होगा कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और उसमें निर्धारित सुविधाएं नोटिस में निर्दिष्ट उचित समय के भीतर कार्य-लोगों को प्रदान की जाएं। यदि ठेकेदार उक्त नियमों का पालन करने और / पालन करने के लिए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विफल हो जाएगा और पूर्वोक्त रूप से कार्य-लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, प्रभारी अभियंता के पास प्रदान करने की शक्ति होगी। ठेकेदार (ओं) की लागत पर यहां उल्लिखित सुविधाएं।

2. Pay :
  - (i) In the case of delivery - leave pay during maternity leave will be at the rate of the women's average daily earnings, calculated on total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of Rupee one only a day whichever is greater.
  - (ii) In the case of miscarriage - leave pay at the rate of average daily earning calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date of such miscarriage.
3. Conditions for the grant of Maternity Leave:

No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than six months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.
4. The contractor shall maintain a register of Maternity (Benefit) in the Prescribed Form as shown in appendix -I and II, and the same shall be kept at the place of work.

**Clause 19G**

In the event of the contractor(s) committing a default or breach of any of the provisions of the Central Public Works Department, Contractor's Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filing any statement under the provisions of the above Regulations and' Rules which is materially incorrect, he/they shall, without prejudice to any other liability, pay to the Government a sum as decided by the authority mentioned in Schedule F for every default, breach or furnishing, making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs.200/- per day for each day of default subject to a maximum of 5 percent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the parties.

Should it appear to the Engineer-in-Charge that the contractor(s) is/are not properly observing and complying with the provisions of the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, and the Contract Labour (R& A) Central Rules 1971, for the protection of health and sanitary arrangements for work-people employed by the contractor(s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said Rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within a reasonable time to be specified in the notice. If the contractor(s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and/observe the said Rules and to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Engineer-in-Charge shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost of the contractor(s).

ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुसार कार्यों के निष्पादन के संबंध में साइट पर अपने काम करने वाले लोगों के लिए आवश्यक सभी आवश्यक झोपड़ियाँ और स्वच्छता व्यवस्थाएँ बनाएगा, बनाएगा और बनाए रखेगा, और यदि अनुमोदित मानकों के अनुसार इसे स्थापित या निर्मित नहीं किया गया है, तो प्रभारी अभियंता के पास ठेकेदार (ओं) को लिखित रूप में नोटिस देने की शक्ति होगी, जिसमें यह आवश्यक होगा कि उक्त झोपड़ियों और स्वच्छता व्यवस्थाओं को अनुमोदित मानकों के अनुसार पुनर्निर्मित किया जाए और / या पुनर्निर्मित किया जाए, और यदि ठेकेदार (ओं) को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता व्यवस्थाओं को फिर से तैयार करने या पुनर्निर्मित करने में विफल रहेगा। प्रभारी अभियंता के पास ठेकेदार (ओं) की लागत पर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता व्यवस्थाओं को हटाने या पुनर्निर्मित करने की शक्ति होगी।

### **खंड 19ज**

ठेकेदार अपनी लागत पर नियोजित अपने श्रम के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था करेगा जिसमें उचित दरवाजे की खिड़कियाँ, वेंटिलेशन, पानी की आपूर्ति, जल निकासी, और स्वच्छता स्थापना आदि होनी चाहिए।

### **खंड 19 झ**

प्रभारी अभियंता ठेकेदार को कार्य स्थल से किसी भी व्यक्ति या ठेकेदारों के काम पर काम करने वाले व्यक्तियों को बर्खास्त करने या हटाने की आवश्यकता हो सकती है जो अक्षम हो सकता है या खुद का कदाचार कर सकता है और ठेकेदार तुरंत ऐसी आवश्यकताओं का पालन करेगा। रखरखाव/मरम्मत या नवीनीकरण कार्यों आदि के संबंध में। जहां श्रम की व्यक्तिगत आवासों तक आसान पहुंच है, ठेकेदार श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करेगा, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी और वह ऐसे श्रम की ओर से किसी भी अप्रिय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।

### **खंड 19ज**

ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह देखे कि निर्माणाधीन भवन निर्माण के दौरान अनधिकृत किसी के कब्जे में नहीं है, और पूर्ण भवन के खाली कब्जे के साथ प्रभारी अभियंता को सौंप दिया जाता है। यदि इस तरह के भवन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है, तो प्रभारी अभियंता के पास उस स्थिति में उक्त भवन / भवनों को स्वीकार करने से इनकार करने का विकल्प होगा। इस खाते पर स्वीकृति में किसी भी देरी को पूरा करने में देरी के रूप में माना जाएगा और इस तरह की देरी के लिए, अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता द्वारा कार्य के निविदा मूल्य के 5% तक की लेवी लगाई जा सकती है, जिसका निर्णय औचित्य और मात्रा दोनों के संबंध में अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

हालांकि, अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता, एक नोटिस के माध्यम से, ठेकेदार को निर्माण और वितरण पर या उससे पहले किसी भी समय अवैध कब्जे को हटाने की आवश्यकता हो सकती है।

The contractor(s) shall erect, make and maintain at his/ their own expense and as per approved standards all necessary huts and sanitary arrangements required for his/their work-people on the site in connection with the execution of the works, and if the same shall not have been erected or constructed, according to approved standards, the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodelled and/or reconstructed according to approved standards, and if the contractor(s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards within the period specified in the notice, the Engineer-in-Charge shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor(s).

**Clause 19H**

The contractor(s) shall at his/their own cost arrange appropriate accommodation for his/ their labour employed which should have proper doors windows, ventilation, water supply, drainage, & sanitary installation etc.

**Clause 19I**

The Engineer-in-Charge may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractors' employ upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements. In respect of maintenance/repair or renovation works etc. where the labour have an easy access to the individual houses, the contractor shall issue identity cards to the labourers, whether temporary or permanent and he shall be responsible for any untoward action on the part of such labour.

**Clause 19J**

It shall be the responsibility of the contractor to see that the building under construction is not occupied by anybody unauthorized during construction, and is handed over to the Engineer-in-Charge with vacant possession of complete building. If such building though completed is occupied illegally, then the Engineer-in-Charge shall have the option to refuse to accept the said building/buildings in that position. Any delay in acceptance on this account will be treated as the delay in completion and for such delay, a levy upto 5% of tendered value of work may be imposed by the Superintending Engineer/ Chief Engineer whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum and be binding on the contractor.

However, the Superintending Engineer/ Chief Engineer, through a notice, may require the contractor to remove the illegal occupation any time on or before construction and delivery.

### खंड 19 ट

ठेकेदार, कार्य के सभी चरणों में, कुशल/अर्ध-कुशल व्यापारियों को तैनात करेगा जो योग्य हैं और सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण संस्थान / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीएमएआर) / राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, सीआईडीसी या राज्य / केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/प्रमाणित किसी भी समान प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष व्यापार में प्रमाण पत्र रखते हैं। ऐसे योग्य व्यापारियों की संख्या कार्य के किसी भी चरण में प्रत्येक व्यापार में आवश्यक कुल कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों के 20% से कम नहीं होगी। ठेकेदार प्रत्येक व्यापार, इसकी समय-सारणी और योग्य व्यापारियों की सूची के संबंध में आवश्यक मानव दिवसों की संख्या और अनुमोदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रभारी अभियंता को अपेक्षित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इस तरह के अनुमोदन के बावजूद, यदि व्यापारियों के पास संबंधित व्यापार के काम को निष्पादित करने के लिए अपर्याप्त कौशल पाया जाता है, तो ठेकेदार इंजीनियर-इन-चार्ज से लिखित नोटिस के दो दिनों के भीतर ऐसे व्यापारियों को प्रतिस्थापित करेगा। अभियंता-प्रभारी का अनुमोदन प्राप्त करने में ठेकेदार की ओर से विफलता या योग्य व्यापारियों को तैनात करने में विफलता ठेकेदार द्वारा प्रति दिन अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट दर पर भुगतान किए जाने वाले मुआवजे को आकर्षित करेगी। प्रभारी अभियंता का निर्णय कि क्या विशेष व्यापारी के पास अपेक्षित कौशल है और डिफॉल्ट के मामले में मुआवजे की राशि अंतिम और बाध्यकारी होगी।

हमेशा प्रदान किया जाता है, कि इस खंड के प्रावधान, निविदा के लिए अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए लागू नहीं होंगे। 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले काम के लिए। 10 करोड़, और रुपये तक. 50 करोड़, ठेकेदार कुशल/अर्ध-कुशल व्यापारियों के स्तर पर प्रमाणन के लिए सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के समन्वय से परियोजना में लगे अकुशल श्रमिकों के कम से कम 20% के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) मानदंडों के अनुसार साइट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

रुपये से अधिक की लागत वाले काम के लिए। 50 करोड़, ठेकेदार कुशल/अर्ध-कुशल व्यापारियों के स्तर पर प्रमाणन के लिए सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के समन्वय से परियोजना में लगे अकुशल श्रमिकों के कम से कम 30% के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) मानदंडों के अनुसार साइट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। ऊपर बताए गए ऐसे प्रशिक्षण की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आवश्यक स्थान और श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाएगा और कोई दावा नहीं किया जाएगा कि क्या कभी मनोरंजन किया जाएगा।

### खंड 19 ठ

इस अनुबंध के संबंध में नियोक्ता की ओर से ईएसआई और ईपीएफ योगदान का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए नियोक्ता की ओर से इन योगदानों की प्रतिपूर्ति इंजीनियर-प्रभारी द्वारा ठेकेदार को वास्तविक आधार पर की जाएगी। तैनाती श्रम का सत्यापन प्रभारी अभियंता द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली या किसी अन्य उपयुक्त विधि के माध्यम से किया जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई की लागू और पात्र राशि की प्रतिपूर्ति अधिमानतः 7 दिनों के भीतर की जाएगी, लेकिन भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के 30 दिनों के बाद नहीं की जाएगी, बशर्ते कि यह क्रम में हो।

**Employment  
of  
skilled/semi-  
skilled  
workers**

**Clause 19K**

The contractor shall, at all stages of work, deploy skilled/semi-skilled tradesmen who are qualified and possess certificate in particular trade from CPWD Training Institute/Industrial Training Institute/ National Institute of construction Management and Research (NICMAR)/ National Academy of Construction, CIDC or any similar reputed and recognized Institute managed/ certified by State/Central Government. The number of such qualified tradesmen shall not be less than 20% of total skilled/semi-skilled workers required in each trade at any stage of work. The contractor shall submit number of man days required in respect of each trade, it's scheduling and the list of qualified tradesmen along with requisite certificate from recognized Institute to Engineer in charge for approval. Notwithstanding such approval, if the tradesmen are found to have inadequate skill to execute the work of respective trade, the contractor shall substitute such tradesmen within two days of written notice from Engineer-in-Charge. Failure on the part of contractor to obtain approval of Engineer-in-Charge or failure to deploy qualified tradesmen will attract a compensation to be paid by contractor at the rate specified in schedule 'F' per such tradesman per day. Decision of Engineer in Charge as to whether particular tradesman possesses requisite skill and amount of compensation in case of default shall be final and binding.

Provided always, that the provisions of this clause, shall not be applicable for works with estimated cost put to tender being less than Rs. 5 crores.

For work costing more than Rs. 10 Crores, and upto Rs. 50 Crores, the contractor shall arrange on site training as per National Skill Development Corporation (NSDC) norms for at least 20% of the unskilled workers engaged in the project in co-ordination with the CPWD Regional Training Institute & National Skill Development Corporation (NSDC) for certification at the level of skilled/semi-skilled tradesmen.

For work costing more than Rs. 50 Crores, the contractor shall arrange on site training as per National Skill Development Corporation (NSDC) norms for at least 30% of the unskilled worker engaged in the project in coordination with the CPWD Regional Training Institute & National Skill Development Corporation (NSDC) for certification at the level of skilled/semi-skilled tradesmen. The cost of such training as stated above shall be borne by the Government. The necessary space and workers shall be provided by the contractor and no claim what so ever shall be entertained.

**Contribution  
of EPF and  
ESI**

**Clause 19L**

The ESI and EPF contributions on the part of employer in respect of this contract shall be paid by the contractor. These contributions on the part of the employer paid by the contractor shall be reimbursed by the Engineer-in-charge to the contractor on actual basis. The Verification of deployment labour will be done through biometric attendance system or any other suitable method by the Engineer in Charge. The applicable and eligible amount of EPF & ESI shall be reimbursed preferably within 7 days but not later than 30 days of submission of documentary proof of payment provided same are in order.

न्यूनतम  
मजदूरी  
अधिनियम का  
अनुपालन  
किया जाना है

सबलेट न होने  
का काम करें।  
सॉल्वेंसी के  
मामले में  
कार्रवाई

फर्म के  
संविधान में  
परिवर्तन की  
सूचना दी  
जाएगी

जीवन चक्र  
लागत

#### खंड 20

ठेकेदार समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के सभी प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और अनुबंध श्रम को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम कानूनों का पालन करेगा। समय-समय पर लागू किया जा सकता है।

#### खंड 21

प्रभारी अभियंता के लिखित अनुमोदन के बिना अनुबंध को सौंपा या सबलेट नहीं किया जाएगा। और यदि ठेकेदार अपने अनुबंध को सौंपेगा या घटाएगा, या ऐसा करने का प्रयास करेगा, या दिवालिया हो जाएगा या कोई दिवाला कार्यवाही शुरू करेगा या अपने लेनदारों के साथ कोई रचना करेगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा, या यदि कोई रिश्तत, ग्रेच्युटी, उपहार, ऋण, अनुलाभ, इनाम या लाभ आर्थिक या अन्यथा, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठेकेदार या उसके किसी नौकर या एजेंट द्वारा अपने कार्यालय या रोजगार से संबंधित किसी भी तरह से सरकार के रोजगार में किसी भी सार्वजनिक अधिकारी या व्यक्ति को दिया जाएगा, या यदि ऐसा कोई अधिकारी या व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध में रुचि रखता है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रभारी अभियंता को सरकार के हित में यहां खंड 3 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को अपनाने की शक्ति होगी और इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने की स्थिति में, उक्त खंड 3 में निर्दिष्ट परिणाम होंगे।

#### खंड 22

इनमें से किसी भी शर्त के तहत मुआवजे के माध्यम से देय सभी राशियों को वास्तविक नुकसान या क्षति के संदर्भ के बिना सरकार के उपयोग पर लागू करने के लिए उचित मुआवजे के रूप में माना जाएगा और क्या कोई क्षति बनी रहेगी या नहीं।

#### खंड 23

जहां ठेकेदार एक साझेदारी फर्म है, फर्म के संविधान में कोई भी परिवर्तन करने से पहले इंजीनियर-इन-चार्ज की लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। जहां ठेकेदार एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यावसायिक चिंता का विषय है, ठेकेदार द्वारा किसी भी साझेदारी समझौते में प्रवेश करने से पहले पूर्वोक्त रूप में ऐसा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जहां साझेदारी फर्म को ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों को पूरा करने का अधिकार होगा। यदि पूर्वोक्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो अनुबंध को इसके खंड 21 के उल्लंघन में सौंपा गया माना जाएगा और वही कार्रवाई की जा सकती है, और वही परिणाम उक्त खंड 21 में दिए गए अनुसार होंगे।

#### खंड 24

ठेकेदार रखरखाव अवधि से परे संरचनात्मक तत्वों सहित भवनों की सुरक्षा, गुणवत्ता और सुदृढ़ता के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार के पास काम पूरा होने की तारीख से न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष तक ऐसे दोषों को सुधारने का दायित्व होगा। अभियंता-प्रभारी द्वारा नोटिस जारी करने के पैंतालीस दिनों से अधिक के उचित समय के भीतर दोषों को ठीक करना होगा। यदि ठेकेदार 45 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है, तो एजेंसी को डिबार करने की कार्रवाई उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

**Minimum Wages Act to be complied with**

**Clause 20**

The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, amended from time to time and rules framed there under and other labour laws affecting contract labour that may be brought into force from time to time.

**Work not to be sublet. Action in case of insolvency**

**Clause 21**

The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Engineer- in-Charge. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so, or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe, gratuity, gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor, or any of his servants or agent to any public officer or person in the employ of Government in any way relating to his office or employment, or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have power to adopt the course specified in Clause 3 hereof in the interest of Government and in the event of such course being adopted, the consequences specified in the said Clause 3 shall ensue.

**Clause 22**

All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of Government without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

**Changes in firm's Constitution to be intimated**

**Clause 23**

Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Engineer-in- Charge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern, such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement where under the partnership firm would have the right to carry out the works hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of Clause 21 hereof and the same action may be taken, and the same consequences shall ensue as provided in the said Clause 21.

**Life Cycle cost**

**Clause 24**

The contractor shall be responsible for safety, quality and soundness of the buildings including structural elements beyond maintenance period. The contractor shall have obligation to rectify such defects minimum up to 5 (five) years from the date of completion of work. The defects have to be rectified within a reasonable time not exceeding forty-five days after issue of notice by Engineer- in- Charge. If contractor does not take corrective action within 45 days, then action for debarring of the agency shall be taken by the appropriate authority.

अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, विनिर्देशों, डिजाइन, ड्राइंग और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद पहले उल्लेख किए गए हैं और काम पर उपयोग की जाने वाली कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता के बारे में या किसी अन्य प्रश्न के बारे में, दावा, अधिकार, मामला या बात जो भी किसी भी तरह से अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित है, डिजाइन, ड्राइंग, विनिर्देश, अनुमान, निर्देश, आदेश या इन शर्तों या अन्यथा कार्यों के संबंध में या निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता चाहे कार्य की प्रगति के दौरान उत्पन्न हुई हो या रद्द करने के बाद, समाप्ति, पूर्णता या परित्याग को इसके बाद उल्लिखित के रूप में निपटाया जाएगा:

(i) यदि ठेकेदार उससे मांगे गए किसी भी कार्य को अनुबंध की आवश्यकताओं से बाहर मानता है, या प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी भी ड्राइंग, रिकॉर्ड या निर्णय पर विवाद करता है या यदि प्रभारी अभियंता किसी भी कार्य या निर्णय पर विचार करता है अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने या काम करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर, अस्वीकार्य और विवादित है, तो ऐसा पक्ष विवाद के उत्पन्न होने के 15 दिनों के भीतर तुरंत मुख्य अभियंता/सीपीएम का अनुरोध करेगा, या जहां कोई मुख्य अभियंता/सीपीएम नहीं है, अतिरिक्त महानिदेशक / विशेष महानिदेशक जो विवादों को विवाद समिति (डीआरसी) को 15 दिनों के भीतर संदर्भित करेगा। ऐसे प्रत्येक विवाद के संबंध में दावा की गई राशि के साथ विवादों की सूची। विवाद निवारण समिति (डीआरसी) संदर्भ प्राप्त होने से दोनों पक्षों की सहमति से 60 दिनों की अवधि के भीतर 30 दिनों की अवधि के भीतर अपना निर्णय देती है। विवाद निवारण समिति (डीआरसी) का गठन अनुसूची 'एफ' में दर्शाए अनुसार होगा। बशर्ते कि किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता/कानूनी वकील आदि द्वारा विवाद निवारण समिति के समक्ष नहीं किया जाएगा। डीआरसी स्वीकृति के लिए संबंधित को अपना निर्णय प्रस्तुत करेगा। डीआरसी के निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों की समय सीमा में एडीजी/एसडीजी उक्त निर्णय पर स्वीकृति या अन्यथा व्यक्त करेगा यदि विवाद निवारण समिति (डीआरसी) उपरोक्त अवधि के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहती है या एडीजी/एसडीजी अपनी स्वीकृति देने में विफल रहता है। उपरोक्त समय सीमा या कोई भी पक्ष विवाद निवारण समिति के निर्णय से असंतुष्ट है तो कोई भी पक्ष विवाद निवारण समिति के निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर या उपरोक्त की समाप्ति पर उपलब्ध समय सीमा मुख्य अभियंता/सीपीएम, एनसीबी को कार्य के प्रभारी या यदि कोई मुख्य अभियंता/सीपीएम नहीं है, तो अतिरिक्त महानिदेशक /एनसीबी के संबंधित क्षेत्र के विशेष महानिदेशक या यदि कोई अतिरिक्त महानिदेशक/विशेष महानिदेशक, महानिदेशक, एनसीबी नहीं हैं, तो दूसरे पक्ष को सूचना के तहत परिशिष्ट XVII के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए।

यह अनुबंध का एक शब्द है कि मध्यस्थता को लागू करने वाले प्रत्येक पक्ष को मध्यस्थता को लागू करने से पहले दावों / विवादों के निपटान के पूर्वोक्त तंत्र को समाप्त करना चाहिए।

**Clause 25**

Except where otherwise provided in the contract, all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, design, drawings and instructions here-in before mentioned and as to the quality of workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions, orders or these conditions or otherwise concerning the works or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the work or after the cancellation, termination, completion or abandonment thereof shall be dealt with as mentioned hereinafter:

- (i) If the contractor considers any work demanded of him to be outside the requirements of the contract, or disputes any drawings, record or decision given in writing by the Engineer-in-Charge or if the Engineer in Charge considers any act or decision of the contractor on any matter in connection with or arising out of the contract or carrying out of the work, to be unacceptable and is disputed, such party shall promptly within 15 days of the arising of the disputes request the Chief Engineer/ CPM, or where there is no Chief Engineer/CPM, the Additional Director General/Special Director General who shall refer the disputes to Dispute Redressal Committee (DRC) within 15 days along with a list of disputes with amounts claimed if any in respect of each such dispute. The Dispute Redressal Committee (DRC) give its decision within a period of 60 days extendable by 30 days by consent of both the parties from the receipt of reference. The constitution of Dispute Redressal Committee (DRC) shall be as indicated in Schedule 'F'. Provided that no party shall be represented before the Dispute Redressal Committee by an advocate/legal counsel etc.

The DRC will submit its decision to the concerned for acceptance. ADG/SDG in a time limit of 30 days from receipt of DRC decision will convey acceptance or otherwise on the said decision if the Dispute Redressal Committee (DRC) fails to give its decision within the aforesaid period or the ADG/SDG fails to give his acceptance in the aforesaid time limit or any party is dissatisfied with the decision of Dispute Redressed Committee then either party may within a period of 30days from the receipt of the decision of Dispute Redressal Committee or on expiry of aforesaid the time limits available may give notice to the Chief Engineer/CPM, NCBS, in charge of the work or if there be no Chief Engineer/ CPM, the Additional Director General

/Special Director General of the concerned region of NCBS or if there be no Additional Director General/ Special Director General, the Director General, NCBS for appointment of arbitrator on prescribed proforma as per Appendix XVII under intimation to the other party.

It is a term of contract that each party invoking arbitration must exhaust the aforesaid mechanism of settlement of claims/disputes prior to invoking arbitration.

सीई/सीपीएम/एडीजी/एसडीजी ऐसे मामले में ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एकमात्र मध्यस्थ या तीन मध्यस्थों में से एक को नियुक्त करेगा और ऐसे विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा। जहां भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होते हैं, ठेकेदार मध्यस्थता के लिए अनुरोध करने या अभियंता-प्रभारी द्वारा सीई / एडीजी / एसडीजी / डीजी को मध्यस्थ को नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा।, जैसा भी मामला हो, और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। की स्थिति में

(क) एक पार्टी दूसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहती है, या

(ख) दो नियुक्त मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं, फिर महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी दूसरे या पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा जैसा भी मामला हो।

(ii) विवाद या अंतर को एकमात्र मध्यस्थ वाले न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा जहां दावा की गई राशि 20 करोड़ रुपये या उससे कम है। जहां दावा किया गया मूल्य रुपये से अधिक है। 20 करोड़, ट्रिब्यूनल में उपरोक्त तीन मध्यस्थ शामिल होंगे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की आवश्यकताएं और कोई और वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन और उसके तहत और उसके लिए बनाए गए नियम लागू होंगे।

यह इस अनुबंध का एक शब्द है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस के साथ ऐसे प्रत्येक विवाद के संबंध में दावा की गई राशि, यदि कोई हो, के साथ विवादों की एक सूची देगा और एडीजी/एसडीजी के निर्णय का संदर्भ देगा। डीआरसी की खोज/सिफारिश पर।

यह इस अनुबंध का एक शब्द भी है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का सदस्य (सदस्यों) सार्वजनिक कार्य इंजीनियरिंग अनुबंधों को संभालने में अनुभव के साथ एक स्नातक अभियंता होगा, और इसके अलावा वह पहले मुख्य अभियंता/समक्ष से कम स्तर पर काम करेगा (यानी। भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर)। इसे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए एक अनिवार्य योग्यता के रूप में माना जाएगा।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति से पहले या उसके समय पक्ष 2015 में संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अनुसार तेजी से मध्यस्थता के लिए लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं।

2015 में संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) में प्रावधान के अधीन, जिसके तहत काउंटर दावे, यदि कोई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संदर्भ की आवश्यकता के बिना सीधे मध्यस्थ के समक्ष दायर किया जा सकता है। मध्यस्थ केवल ऐसे विवादों पर निर्णय लेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे संदर्भित किए जाते हैं और उसे संदर्भित प्रत्येक विवाद और दावे के खिलाफ अलग पुरस्कार देंगे और सभी मामलों में जहां किसी भी पक्ष द्वारा दावों की कुल राशि रुपये से अधिक है। 1,00,000/-, मध्यस्थ पुरस्कार के लिए कारण देगा।

यह अनुबंध का एक शब्द भी है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क डीजी, सीपीडब्ल्यूडी, ओएम द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो नंबर 2/2006 / एसई (टीएलसी) / सीएसक्यू / 137 दिनांक 19-11-2019 (या इसके नवीनतम संशोधन के रूप में डीजी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुमोदित। इस शुल्क को पार्टियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

मध्यस्थता का स्थान अनुसूची एफ में उल्लिखित होगा। यदि मध्यस्थता के स्थान का कोई उल्लेख नहीं है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता के स्थान का निर्धारण करेगा।

मध्यस्थता का स्थान ऐसा स्थान होगा जो दोनों पक्षों के परामर्श से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी समझौते को विफल करने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्थल का फैसला करेगा।

The CE/CPM/ADG/ SDG shall in such case appoint the sole arbitrator or one of the three arbitrators as the case may be within 30 days of receipt of such a request and refer such disputes to arbitration. Wherever the Arbitral Tribunal consists of three Arbitrators, the contractor shall appoint one arbitrator within 30 days of making request for arbitration or of receipt of request by Engineer-in-charge to CE/ADG/ SDG /DG for appointment of arbitrator, as the case may be, and two appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who shall act as the Presiding Arbitrator.

In the event of

- (a) A party fails to appoint the second Arbitrator, or
  - (b) The two appointed Arbitrators fail to appoint the Presiding Arbitrator, then the Director General, CPWD shall appoint the second or Presiding Arbitrator as the case may be.
- (ii) Disputes or difference shall be referred for adjudication through arbitration by a Tribunal having sole arbitrator where claimed amount is Rs.20 Crore or less. Where claimed Value is more than Rs. 20 Crore, Tribunal shall consist of three Arbitrators as above. The requirements of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) and any further statutory modification or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being in force shall be applicable.

It is a term of this contract that the party invoking arbitration shall give a list of disputes with amounts claimed, if any, in respect of each such dispute along with the notice for appointment of arbitrator and giving reference to the decision of the ADG/ SDG on the finding / recommendation of DRC.

It is also a term of this contract that member(s) of the Arbitration Tribunal shall be a Graduate Engineer with experience in handling public works engineering contracts, and further he shall have earlier worked at a level not lower than Chief Engineer/ equivalent (i.e. Joint Secretary Level of Government of India). This shall be treated as a mandatory qualification to be appointed as arbitrator.

Parties, before or at the time of appointment of Arbitral Tribunal may agree in writing for fast track arbitration as per the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) as amended in 2015.

Subject to provision in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) as amended in 2015 whereby the counter claims if any can be directly filed before the arbitrator without any requirement of reference by the appointing authority. The arbitrator shall adjudicate on only such disputes as are referred to him by the appointing authority and give separate award against each dispute and claim referred to him and in all cases where the total amount of the claims by any party exceeds Rs. 1,00,000/-, the arbitrator shall give reasons for the award.

It is also a term of the contract that fees payable to arbitral tribunal shall be as approved by DG, CPWD, OM issued vide no.2/2006/SE(TLC)/CSQ /137 dated 19-11-2019 (or its latest amendment as approved by DG, CPWD).

This fee shall be shared equally by parties.

The place of arbitration shall be as mentioned in Schedule F. In case there is no mention of place of arbitration, the arbitral tribunal shall determine the place of arbitration.

The venue of the arbitration shall be such place as may be fixed by the Arbitral Tribunal in consultation with both the parties. Failing any such agreement, then the Arbitral Tribunal shall decide the venue.

**ठेकेदार  
सरकार को  
क्षतिपूर्ति  
करेगा। पेटेंट  
अधिकारों के  
विरुद्ध**

### **खंड 26**

ठेकेदार किसी भी पेटेंट या डिजाइन या किसी भी कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा और किसी भी रॉयल्टी का भुगतान करेगा जो अनुबंध में शामिल किसी भी लेख या उसके हिस्से के संबंध में देय हो सकता है। उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में सरकार के तहत किए गए किसी भी दावे या कार्रवाई की स्थिति में, ठेकेदार को तुरंत अधिसूचित किया जाएगा और ठेकेदार अपने खर्च पर, किसी भी विवाद को निपटाने या किसी भी मुकदमे का संचालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। वहाँ से उत्पन्न हो सकता है, बशर्ते कि ठेकेदार भारत के राष्ट्रपति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि पेटेंट या डिजाइन या किसी कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकार का उल्लंघन इस संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा पारित आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम है।

**निविदा में  
एकमुश्त  
प्रावधान**

### **खंड 27**

जब जिस अनुमान पर निविदा की जाती है, उसमें कार्य के कुछ हिस्सों के संबंध में एकमुश्त राशि शामिल होती है, तो ठेकेदार शामिल कार्य की वस्तुओं या विचाराधीन कार्य के हिस्से के संबंध में उसी दरों पर भुगतान करने का हकदार होगा जो इस अनुबंध के तहत देय हैं। ऐसी वस्तुओं के लिए, या यदि विचाराधीन कार्य का हिस्सा माप के देय अभियंता-प्रभारी की राय में नहीं है, तो अभियंता-प्रभारी अपने विवेक से अनुमान में दर्ज एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है, और अभियंता-प्रभारी का लिखित प्रमाण पत्र अनुबंध के प्रावधानों के तहत उसे देय किसी भी राशि या राशि के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ अंतिम और निर्णायक होगा।

**कार्रवाई जहां  
कोई विनिर्देश  
निर्दिष्ट नहीं हैं**

### **खंड 28**

कार्य के किसी भी वर्ग के मामले में, जिसके लिए खंड 11 में संदर्भित कोई विनिर्देश नहीं है, ऐसा कार्य भारतीय मानक विनिर्देशों के ब्यूरो के अनुसार किया जाएगा। यदि भारतीय मानक ब्यूरो में ऐसी कोई विशिष्टताएं नहीं हैं, तो काम निर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, यदि उपलब्ध नहीं है तो राज्य जिला विनिर्देशों के अनुसार। यदि ऊपर आवश्यक कोई विनिर्देश नहीं हैं, तो प्रभारी अभियंता के निर्देशों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार से कार्य किया जाएगा।

**ठेकेदार से देय  
राशि के संबंध  
में रोक और  
ग्रहणाधिकार**

### **खंड 29**

(i) जब भी अनुबंध से या उसके तहत या ठेकेदार के खिलाफ धन की राशि के भुगतान के लिए कोई दावा या दावा किया जाता है, तो प्रभारी अभियंता या सरकार को रोक देने का अधिकार होगा और इस तरह की राशि को बनाए रखने के लिए एक ग्रहणाधिकार भी होगा। या सुरक्षा से आंशिक रूप से, यदि ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है और उपरोक्त उद्देश्य के लिए, प्रभारी अभियंता या सरकार सुरक्षा जमा को रोकने का हकदार होगा, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो और ऐसे किसी भी दावे को अंतिम रूप देने या स्थगित करने पर भी ग्रहणाधिकार है। दावा की गई राशि या राशि को कवर करने के लिए सुरक्षा अपर्याप्त होने की स्थिति में या यदि ठेकेदार से कोई सुरक्षा नहीं ली गई है, तो प्रभारी अभियंता या सरकार रोक के हकदार होंगे और इस तरह के दावे की सीमा तक बनाए रखने के लिए ग्रहणाधिकार होगा। देय पाए गए किसी भी राशि या राशि से या जो उसके बाद किसी भी समय एक ही अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय हो सकती है या सरकार के प्रभारी अभियंता या ऐसे किसी भी दावे के स्थगन के लंबित होने तक प्रभारी अभियंता के माध्यम से किसी भी अनुबंधित व्यक्ति के साथ कोई अन्य अनुबंध।

**Contractor to indemnify Govt. against Patent Rights**

**Clause 26**

The contractor shall fully indemnify and keep indemnified the President of India against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against Government in respect of any such matters as aforesaid, the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise there from, provided that the contractor shall not be liable to indemnify the President of India if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-Charge in this behalf.

**Lumpsum Provisions in Tender**

**Clause 27**

When the estimate on which a tender is made includes lump sum in respect of parts of the work, the contractor shall be entitled to payment in respect of the items of work involved or the part of the work in question at the same rates as are payable under this contract for such items, or if the part of the work in question is not, in the opinion of the Engineer-in-Charge payable of measurement, the Engineer-in-Charge may at his discretion pay the lump-sum amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Engineer-in-Charge shall be final and conclusive against the contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of the clause.

**Action where no Specifications are specified**

**Clause 28**

In the case of any class of work for which there is no such specifications as referred to in Clause 11, such work shall be carried out in accordance with the Bureau of Indian Standards Specifications. In case there are no such specifications in Bureau of Indian Standards, the work shall be carried out as per manufacturers' specifications, if not available then as per state District Specifications. In case there are no such specifications as required above, the work shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and requirements of the Engineer-in-Charge.

**Withholding and lien in respect of sum due from Contractor**

**Clause 29**

(i) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract or against the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which may at any time thereafter become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Engineer-in-Charge of the Government or any contracting person through the Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim.

यह अनुबंध की एक सहमत अवधि है कि अभियंता-प्रभारी या सरकार द्वारा ऊपर उल्लिखित ग्रहणाधिकार के तहत रोक दी गई या बरकरार रखी गई धनराशि या धनराशि को अभियंता-प्रभारी या सरकार द्वारा रोक दिया जाएगा या बनाए रखा जाएगा। जब तक कि अनुबंध से या उसके तहत उत्पन्न होने वाला दावा मध्यस्थ द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है (यदि अनुबंध मध्यस्थता खंड द्वारा शासित होता है) सक्षम न्यायालय, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार के पास ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा नहीं होगा। ऊपर उल्लिखित ग्रहणाधिकार के तहत इस तरह के रोक या प्रतिधारण के संबंध में किसी भी खाते पर और ठेकेदार को विधिवत अधिसूचित किया गया। इस खंड के प्रयोजन के लिए, जहां ठेकेदार एक साझेदारी फर्म या एक सीमित कंपनी है, इंजीनियर-प्रभारी या सरकार को रोकने का अधिकार होगा और इस तरह की दावा की गई राशि या राशि को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बनाए रखने के लिए एक ग्रहणाधिकार भी होगा। किसी भी भागीदार/सीमित कंपनी को देय राशि से, चाहे वह उसकी व्यक्तिगत क्षमता में हो या अन्यथा।

- (ii) सरकार को अंतिम बिल के भुगतान के बाद किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित ठेकेदार के कार्यों और अंतिम बिलों की लेखापरीक्षा और तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा और यदि ऐसी लेखापरीक्षा और तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी कार्य या अनुबंध के तहत उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी राशि का अधिक भुगतान किया गया पाया जाता है और निष्पादित नहीं किया गया पाया जाता है, तो ठेकेदार अधिक भुगतान की राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा और सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह इस खंड के उप-खंड (i) में निर्धारित तरीके से या किसी अन्य कानूनी रूप से अनुमेय तरीके से उससे वसूल करे; और यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार को उसके तहत उसके द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य के संबंध में उससे कम भुगतान किया गया था, तो भुगतान की राशि सरकार द्वारा उस पर किसी भी ब्याज के बिना विधिवत भुगतान की जाएगी।

बशर्ते कि सरकार ओवरपेड किसी भी राशि की वसूली के लिए हकदार नहीं होगी, न ही ठेकेदार एक ओर अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता और दूसरी ओर ठेकेदार के बीच इस तरह के भुगतान पर सहमति होने पर कम भुगतान की गई किसी भी राशि के भुगतान का हकदार होगा। अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता द्वारा मूल्यांकन के बाद काम के लिए भुगतान की अनुमति देने वाले अनुबंध की किसी भी अवधि के तहत।

**अन्य अनुबंधों  
में दावों के  
संबंध में  
ग्रहणाधिकार**

#### **खंड 29क**

अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय कोई भी राशि (उसे वापस करने योग्य सुरक्षा जमा सहित) प्रभारी अभियंता या सरकार या किसी अन्य अनुबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ग्रहणाधिकार के माध्यम से रोक या बनाए रखा जा सकता है। प्रभारी अभियंता या सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी भी दावे के खिलाफ प्रभारी अभियंता या सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अभियंता या सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ठेकेदार द्वारा किए गए किसी अन्य अनुबंध से या उसके तहत उत्पन्न होने वाली राशि के भुगतान के संबंध में।

It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under the lien referred to above by the Engineer-in-Charge or Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or Government till the claim arising out of or under the contract is determined by the arbitrator (if the contract is governed by the arbitration clause) by the competent court, as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

- (i) Government shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract, etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed to have been done by him under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of over-payment and it shall be lawful for Government to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (i) of this clause or in any other manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by Government to the contractor, without any interest thereon whatsoever.

Provided that the Government shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Superintending Engineer or Executive Engineer on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Superintending Engineer or the Executive Engineer.

**Lien in  
respect of  
claims in  
other  
Contracts**

**Clause 29A**

Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Engineer-in-Charge or the Government or any other contracting person or persons through Engineer-in-Charge against any claim of the Engineer-in-Charge or Government or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Engineer-in-Charge or the Government or with such other person or persons.

यह अनुबंध की एक सहमत अवधि है कि अभियंता-प्रभारी या सरकार द्वारा इस खंड के तहत रोक दी गई या बरकरार रखी गई राशि को अभियंता-प्रभारी या सरकार द्वारा रोक दिया जाएगा या बनाए रखा जाएगा या उसके दावे तक उसी अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध से उत्पन्न होने वाली राशि या तो पारस्परिक रूप से मध्यस्थता खंड या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार के पास इस खाते पर या किसी अन्य आधार पर ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा नहीं होगा। इस खंड के तहत रोक या बनाए रखा गया और ठेकेदार को इस तरह के रूप में विधिवत अधिसूचित किया गया।

## कार्यों के लिए जल

### खंड 30

ठेकेदार काम के लिए आवश्यक पानी के लिए अपनी व्यवस्था करेगा और इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

- (i) ठेकेदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला पानी प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए निर्माण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होगा।
- (ii) प्रभारी अभियंता ठेकेदार (ओं) के जोखिम और लागत पर पानी की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा यदि पानी की खरीद के लिए ठेकेदार (ओं) द्वारा की गई व्यवस्था अभियंता-प्रभारी की राय में है, असंतोषजनक।

## संयंत्र और मशीनरी का किराया

### खंड 31

ठेकेदार अपने खर्च पर काम के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी उपकरणों, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों (इसके बाद टी एंड पी के रूप में संदर्भित) की व्यवस्था करेगा

## तकनीकी कर्मचारियों और कर्मचारियों का रोजगार

### खंड 32

ठेकेदार का अधीक्षण, पर्यवेक्षण, तकनीकी कर्मचारी और कर्मचारी

- (i) ठेकेदार कार्य के निष्पादन के दौरान और उसके बाद सभी आवश्यक अधीक्षण प्रदान करेगा जो अनुबंध के तहत दायित्वों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

ठेकेदार निविदा की स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद और कार्य शुरू होने से पहले, प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में सूचित करेगा, प्रमाण पत्र के साथ नाम, योग्यता, अनुभव, आयु, पता (पता) और अन्य विवरण, कार्य के प्रभारी प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधि जो कार्य की निगरानी करेंगे। ऐसे तकनीकी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) की न्यूनतम आवश्यकता और उनकी योग्यता और अनुभव अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट से कम नहीं होंगे। यहां तक कि ठेकेदार (या फर्म / कंपनी के मामले में भागीदार) स्वयं एक इंजीनियर है, ठेकेदार की ओर से अनुसूची 'एफ' में शर्त के अनुसार प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि / तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) को नियुक्त करना आवश्यक है।

अभियंता-प्रभारी ऐसे संचार की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर ठेकेदार को अपने अनुमोदन या अन्यथा ऐसे प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा। ऐसे किसी भी अनुमोदन को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और ऐसी निकासी के मामले में, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के अनुसार ऐसे किसी अन्य प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को नियुक्त करेगा।

It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the Engineer-in-Charge or the Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or the Government or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the arbitration clause or by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

**Water for Works**

**Clause 30**

The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions.

- (i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge.
- (ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in-Charge, unsatisfactory.

**Hire of Plant & Machinery**

**Clause 31**

The contractor shall arrange at his own expense all tools, plant, machinery and equipment (hereinafter referred to as T&P) required for execution of the work.

**Employment of Technical Staff and employees**

**Clause 32**

Contractors Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees

- (i) The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract.

The contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the tender and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer-in-Charge, the name(s), qualifications, experience, age, address(s) and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be in charge of the work and other technical representative(s) who will be supervising the work. Minimum requirement of such technical representative(s) and their qualifications and experience shall not be lower than specified in Schedule 'F'. Even if the contractor (or partner(s) in case of firm/ company) is himself / herself an Engineer, it is necessary on the part of the contractor to employ principal technical representative / technical representative (s) as per stipulation in Schedule 'F'

The Engineer-in-Charge shall within 3 days of receipt of such communication intimate in writing his approval or otherwise of such a representative(s) to the contractor. Any such approval may at any time be withdrawn and in case of such withdrawal, the contractor shall appoint another such representative(s) according to the provisions of this clause.

निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ऐसे प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधि को अभियंता-प्रभारी से अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और काम शुरू होने से पहले साइट पर उपलब्ध होगा।

खंड के तहत प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि पर लागू सभी प्रावधान अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) पर भी लागू होंगे, प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) पर्यवेक्षण के लिए कार्य स्थल पर हर समय मौजूद होंगे जब कोई निर्माण गतिविधि प्रगति पर है और निर्देश लेने के लिए इंजीनियर-प्रभारी और/या उसके नामित प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार स्वयं / स्वयं भी प्रस्तुत करें। प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) को दिए गए निर्देशों को उसी बल के रूप में माना जाएगा जैसे कि ये ठेकेदार को दिए गए हैं। प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधि वास्तव में कार्य के निष्पादन के सभी चरणों के दौरान, कार्यों के माप की रिकॉर्डिंग/जांच/परीक्षण जांच के दौरान और जब भी इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा आवश्यक हो, साइट पर पूरी तरह से उपलब्ध होंगे और साइट ऑर्डर बुक में इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके नामित प्रतिनिधि (ओं) द्वारा बताए गए निर्देशों को भी नोट करेंगे और निर्देशों को नोट करने और माप / जांचे गए माप / परीक्षण जांचे गए माप की स्वीकृति के प्रतीक में अपने हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिनिधि किसी अन्य कार्य की देखभाल नहीं करेगा। कार्य के प्रभारी अभियंता द्वारा पूर्वोक्त तरीके से विधिवत अनुमोदित विकल्प दो दिनों से अधिक समय तक किसी भी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की स्थिति में प्रदान किए जाएंगे।

यदि अभियंता-प्रभारी, जिसका इस संबंध में निर्णय अंतिम है और ठेकेदार पर बाध्यकारी है, आश्वस्त है कि ऐसा कोई तकनीकी प्रतिनिधि प्रभावी ढंग से नियुक्त नहीं किया गया है या प्रभावी रूप से इस खंड के प्रावधान में भाग नहीं ले रहा है या पूरा नहीं कर रहा है, तो अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट ठेकेदार से एक वसूली (गैर-वापसीयोग्य) प्रभावित की जाएगी और साइट ऑर्डर बुक में दर्ज इंजीनियर-इन-चार्ज का निर्णय और माप पुस्तकों में दर्ज माप की जांच / परीक्षण अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, यदि ठेकेदार उपयुक्त तकनीकी प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि और/या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) को नियुक्त करने में विफल रहता है और यदि ऐसे नियुक्त व्यक्ति प्रभावी रूप से उपस्थित नहीं होते हैं या विधिवत अनुमोदित विकल्प के बिना दो दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं या अपनी जिम्मेदारियों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं, तो प्रभारी अभियंता के पास काम के निष्पादन को तब तक निलंबित करने की पूरी शक्तियां होंगी जब तक कि उपयुक्त अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) की नियुक्ति नहीं हो जाती है और ठेकेदार को काम के कारण देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठेकेदार तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) के रोजगार का प्रमाण पत्र (उसके द्वारा नियोजित इंजीनियरों को जारी फॉर्म -16 या सीपीएफ कटौती की प्रति के रूप में) प्रत्येक खाता बिल/अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत करेगा और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा यदि किसी भी समय प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यक हो।

Decision of the tender accepting authority shall be final and binding on the contractor in this respect. Such a principal technical representative and other technical representative(s) shall be appointed by the contractor soon after receipt of the approval from Engineer-in-charge and shall be available at site before start of work.

All the provisions applicable to the principal technical representative under the Clause will also be applicable to other technical representative(s) The principal technical representative and other technical representative(s) shall be present at the site of work for supervision at all times when any construction activity is in progress and also present himself/themselves, as required, to the Engineer-in-Charge and/or his designated representative to take instructions. Instructions given to the principal technical representative or other technical representative(s) shall be deemed to have the same force as if these have been given to the contractor. The principal technical representative and other technical representative(s) shall be actually available at site fully during all stages of execution of work, during recording/checking/test checking of measurements of works and whenever so required by the Engineer-in- Charge and shall also note down instructions conveyed by the Engineer-in-Charge or his designated representative(s) in the site order book and shall affix his/their signature in token of noting down the instructions and in token of acceptance of measurements/checked measurements/ test checked measurements. The representative(s) shall not look after any other work. Substitutes, duly approved by Engineer-in-Charge of the work in similar manner as aforesaid shall be provided in event of absence of any of the representative(s) by more than two days.

If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative(s) is/are effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery (nonrefundable) shall be effected from the contractor as specified in Schedule 'F' and the decision of the Engineer-In-Charge as recorded in the site order book and measurement recorded checked/test checked in Measurement Books shall be final and binding on the contractor. Further if the contractor fails to appoint suitable technical Principal technical representative and/or other technical representative(s) and if such appointed persons are not effectively present or are absent by more than two days without duly approved substitute or do not discharge their responsibilities satisfactorily, the Engineer-in-Charge shall have full powers to suspend the execution of the work until such date as suitable other technical representative(s) is/are appointed and the contractor shall be held responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit a certificate of employment of the technical representative(s) (in the form of copy of Form-16 or CPF deduction issued to the Engineers employed by him) along with every on account bill/ final bill and shall produce evidence if at any time so required by the Engineer-in-Charge.

- (ii) ठेकेदार साइट पर केवल ऐसे तकनीकी सहायक प्रदान करेगा और नियुक्त करेगा जो अपने संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अनुभवी हैं और ऐसे फोरमैन और पर्यवेक्षी कर्मचारी जो काम का उचित पर्यवेक्षण करने के लिए सक्षम हैं।

ठेकेदार काम के उचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रम प्रदान करेगा और नियोजित करेगा।

प्रभारी अभियंता ठेकेदार को किसी भी व्यक्ति को काम से हटाने के लिए आपत्ति करने और आवश्यकता करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो उसकी राय में खुद को कदाचार करता है, या अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अक्षम या लापरवाह है या जिसका रोजगार अन्यथा अभियंता-प्रभारी द्वारा अवांछनीय माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बिना कार्य स्थल पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए व्यक्तियों को जल्द से जल्द सक्षम स्थानापन्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**ठेकेदार द्वारा देय लेवी/कर**

### **खंड 33**

- (i) इस अनुबंध के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में जीएसटी, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर या कोई अन्य कर, लेवी या उपकर ठेकेदार द्वारा देय होगा और सरकार इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी, सिवाय इसके कि खंड 38 के तहत प्रदान किया गया है

- (ii) ठेकेदार लाल बजरी, पत्थर, कंकर आदि की आपूर्ति के लिए रॉयल्टी जमा करेगा और आवश्यक परमिट प्राप्त करेगा। स्थानीय अधिकारियों से।

यदि किसी कानून, अधिसूचना या आदेश के अनुसार या उसके तहत कोई रॉयल्टी, उपकर या इसी तरह का आदेश भारत सरकार द्वारा देय हो जाता है और ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों को किसी भी सामग्री के संबंध में देय नहीं होता है। कार्यों में ठेकेदार, तो ऐसे मामले में, यह भारत सरकार के लिए वैध होगा और यह अधिकार होगा और ठेकेदार के बकाया से पूर्वोक्त परिस्थितियों में भुगतान की गई राशि की वसूली का हकदार होगा।

**निविदाओं की प्राप्ति के बाद लगाए जाने पर लेवी/करों की प्रतिपूर्ति के लिए शर्तें**

### **खंड 34**

- (i) सभी निविदा दरों में निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि पर लागू कोई कर, लेवी या उपकर शामिल होगा, जिसमें विस्तार यदि कोई हो। कोई समायोजन नहीं अर्थात् जीएसटी, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर या इनपुट पर लागू किसी कर, लेवी या उपकर की दर में किसी भी भिन्नता के लिए वृद्धि या कमी की जाएगी।

हालांकि, जीएसटी या भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर की दरों में भिन्नता या किसी अन्य कर, लेवी या उपकर को लागू करने या निरस्त करने के प्रभाव को दोनों तरफ, वृद्धि या कमी पर समायोजित किया जाएगा।

बशर्ते कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर या किसी भी कर (जीएसटी के अलावा) के लिए, लेवी या उपकर में परिवर्तन किया गया या निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद लगाया गया, यदि कोई हो, तो ठेकेदार को किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी जब ठेकेदार आवश्यक रूप से और उचित रूप से करों / लेवी / उपकर की ऐसी बढ़ी हुई राशि का भुगतान करता है।

- (ii) The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistants as are skilled and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to the work.

The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work.

The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes.

**Levy/Taxes payable by Contractor**

**Clause 33**

- (i) GST, Building and other Construction Workers Welfare Cess or any other tax, levy or Cess in respect of input for or output by this contract shall be payable by the contractor and Government shall not entertain any claim whatsoever in this respect except as provided under Clause 38
- (ii) The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for supply of the red bajri, stone, kankar, etc. from local authorities.

If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes payable by the Government of India and does not any time become payable by the contractor to the State Government, Local authorities in respect of any material used by the contractor in the works, then in such a case, it shall be lawful to the Government of India and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the contractor.

**Conditions for reimbursement of levy/taxes if levied after receipt of Tenders**

**Clause 34**

- (i) All tendered rates shall be inclusive of any tax, levy or cess applicable on last stipulated date of receipt of tender including extension if any. No adjustment i.e. increase or decrease shall be made for any variation in the rate of GST, Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax, levy or cess applicable on inputs.

However, effect of variation in rates of GST or Building and Other Construction Workers Welfare Cess or imposition or repeal of any other tax, levy or cess applicable on output of the works contract shall be adjusted on either side, increase or decrease.

Provided further that for Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax (other than GST), levy or cess varied or imposed after the last date of receipt of tender including extension if any, any increase shall be reimbursed to the contractor only if the contractor necessarily and properly pays such increased amount of taxes/ levies/cess.

बशर्ते यह भी कि जीएसटी सहित ऐसी वृद्धि अनुबंध की विस्तारित अवधि में नहीं की जाएगी, जिसके लिए अकेले ठेकेदार देरी के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि अनुसूची एफ में खंड 5 के तहत समय के विस्तार के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ii) ठेकेदार इस शर्त के प्रयोजन के लिए आवश्यक पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा जैसा कि आवश्यक हो सकता है और सरकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि और/या प्रभारी अभियंता द्वारा इसका निरीक्षण करने की अनुमति देगा और ऐसी अन्य जानकारी/दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा जिसकी प्रभारी अभियंता को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है।

(iii) ठेकेदार, ऐसे किसी भी अतिरिक्त कर या लेवी या उपकर, या ऐसे कर या लेवी या उपकर के परिवर्तन या निरसन के लागू होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर, प्रभारी अभियंता को एक लिखित नोटिस देगा कि यह इस शर्त के अनुसार दिया गया है, साथ ही उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी।

**ठेकेदार की मृत्यु पर अनुबंध की समाप्ति**

#### **खंड 35**

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रभारी अभियंता के पास ठेकेदार को मुआवजा दिए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

**यदि सीपीडब्ल्यूडी में काम करने वाले रिश्तेदार हैं तो ठेकेदार को निविदा की अनुमति नहीं है**

#### **खंड 36**

ठेकेदार को उन अनुबंधों के पुरस्कार और निष्पादन के लिए जिम्मेदार सीपीडब्ल्यूडी सर्कल (बागवानी/नर्सरी श्रेणियों के ठेकेदारों के मामले में डिवीजन) में कार्यों के लिए निविदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उसके निकट रिश्तेदार को डिवीजनल अकाउंटेंट या अधीक्षण अभियंता और जूनियर इंजीनियर (दोनों शामिल) के ग्रेड के बीच किसी भी क्षमता में एक अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। वह उन व्यक्तियों के नामों को भी सूचित करेगा जो किसी भी क्षमता में उसके साथ काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित हैं और जो सीपीडब्ल्यूडी में किसी भी राजपत्रित अधिकारी के निकट रिश्तेदार हैं या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का कोई भी उल्लंघन उसे इस विभाग के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटाने के लिए उत्तरदायी बनाएगा। यदि ठेकेदार किसी अन्य विभाग में पंजीकृत है, तो उसे इस शर्त के किसी भी उल्लंघन के लिए सीपीडब्ल्यूडी में निविदा करने से वंचित कर दिया जाएगा।  
नोट: "निकट रिश्तेदार" शब्द का अर्थ पत्नी, पति, माता-पिता और दादा-दादी, बच्चे और पोते, भाई-बहन, चाचा, चाची और चचेरे भाई और उनके संबंधित ससुराल वालों से है।

**सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर ठेकेदार के रूप में काम करने के लिए कोई राजपत्रित इंजीनियर नहीं**

#### **खंड 37**

भारत सरकार के इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित रैंक का कोई भी इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदार या कर्मचारी के रूप में काम नहीं करेगा। लिखित रूप में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है यदि या तो ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, जिसने निविदा प्रस्तुत करने या ठेकेदार की सेवा में सगाई करने से पहले, जैसा भी मामला हो, भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

Provided further that such increase including GST shall not be made in the extended period of contract for which the contractor alone is responsible for delay as determined by authority for extension of time under Clause 5 in Schedule F.

- (ii) The contractor shall keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorized representative of the Government and/or the Engineer-in-Charge and shall also furnish such other information/document as the Engineer-in-Charge may require from time to time.
- (iii) The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such further tax or levy or cess, or variation or repeal of such tax or levy or cess give a written notice thereof to the Engineer-in-charge that the same is given pursuant to this condition, together with all necessary information relating thereto.

**Termination of Contract on death of contractor**

**Clause 35**

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Engineer in Charge on behalf of the President of India shall have the option of terminating the contract without levy compensation to the contractor.

**If relative working in CPWD then the contractor not allowed to tender**

**Clause 36**

The contractor shall not be permitted to tender for works in the CPWD circle (Division in case of contractors of Horticulture/Nursery categories) responsible for award and execution of contracts in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Junior Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted Officer in the C.P.W.D. or in the Ministry of Housing and Urban Affairs. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this Department. If however the contractor is registered in any other department, he shall be debarred from tendering in CPWD for any breach of this condition.

NOTE: By the term "near relatives" is meant wife, husband, parents and grandparents, children and grandchildren, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins and their corresponding in-laws.

**No Gazetted Engineer to work as Contractor within one year of retirement**

**Clause 37**

No engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in engineering or administrative duties in an engineering department of the Government of India shall work as a contractor or employee of a contractor for a period of one year after his retirement from government service without the previous permission of Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

खंड 38

- (i) कार्य के पूरा होने के बाद और जारी की गई सामग्रियों के गैर-समाधान की स्थिति में किसी भी मध्यवर्ती चरण में काम में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की सैद्धांतिक मात्रा की गणना नीचे दिए गए आधार और विधि पर की जाएगी: -
- (क) सीमेंट और बिटुमेन की मात्रा की गणना कार्य की विभिन्न वस्तुओं के लिए आवश्यक सीमेंट और बिटुमेन की मात्रा के आधार पर की जाएगी जैसा कि अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित दरों की अनुसूची में दिखाया गया है। यदि कोई आइटम निष्पादित किया जाता है जिसके लिए सीमेंट या बिटुमेन की खपत के लिए मानक स्थिरांक उपरोक्त अनुसूची / विवरण में उपलब्ध नहीं हैं या उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इंजीनियर द्वारा निर्धारित मानक सूत्र के आधार पर गणना की जाएगी। प्रभारी।
- (ख) स्टील रीइनफोर्समेंट या संरचनात्मक स्टील अनुभागों की सैद्धांतिक मात्रा को डिजाइन के अनुसार आवश्यक मात्रा के रूप में लिया जाएगा या इंजीनियर-प्रभारी द्वारा अधिकृत किया जाएगा, जिसमें अधिकृत लैपेज, कुर्सियां आदि शामिल हैं। साथ ही टुकड़ों में काटने के कारण 3% अपव्यय, ऐसी सैद्धांतिक मात्रा निर्धारित की जा रही है और वास्तविक के साथ तुलना की जा रही है, प्रत्येक व्यास वार, खंड वार और श्रेणी वार अलग से।
- (ग) जीआई की सैद्धांतिक मात्रा और सीआई या अन्य पाइप, नाली, तार और केबल, सुअर लीड और जीआई / एमएस शीट को वास्तव में आवश्यक मात्रा के रूप में लिया जाएगा और टुकड़ों में काटने के कारण अपव्यय के लिए 5% से अधिक मापा जाएगा (जीआई/एमएस के मामले को छोड़कर) शीट यह 10% होगा), इस तरह के निर्धारण और तुलना को व्यास वार और श्रेणी वार बनाया जा रहा है।
- (घ) वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किसी अन्य सामग्री के लिए।  
इस प्रकार गणना की गई सामग्रियों की सैद्धांतिक मात्रा में गैर-अनुसूचित वस्तुओं के लिए अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट भिन्नता की अनुमति दी जाएगी, सामग्री की सैद्धांतिक मात्रा के संबंध में अधीक्षण अभियंता सीई का निर्णय जो वास्तव में उपयोग किया जाना चाहिए था, अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
- (ii) इस खंड के तहत उक्त कार्रवाई निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार काम नहीं करने के लिए अनुबंध की किसी अन्य शर्तों के तहत ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

खंड 39

कार्य (चाहे पूरी तरह से निर्मित हो या नहीं) और सभी सामग्री, मशीन, उपकरण और संयंत्र, मचान, अस्थायी इमारतें और उससे जुड़ी अन्य चीजें ठेकेदार के जोखिम पर होंगी जब तक कि काम प्रभारी अभियंता को वितरित नहीं किया जाता है और उससे प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र। शत्रुता या युद्ध जैसे ऑपरेशन के परिणामस्वरूप कार्य को क्षतिग्रस्त या नष्ट करने के लिए साइट पर उचित रूप से लाए गए कार्य या किसी भी सामग्री की स्थिति में, ठेकेदार को इंजीनियर-प्रभारी द्वारा किसी भी मलबे को हटाने का आदेश दिए जाने पर (लिखित रूप में) साइट से, क्षतिग्रस्त कार्य से बचाई गई सभी सेवा योग्य सामग्रियों को इकट्ठा करना और ठीक से ढेर करना या स्टोर में निकालना और मलबे की साइट को साफ करने के काम के लिए इस समझौते के प्रावधान के अनुसार अनुबंध दरों पर भुगतान किया जाएगा।

**Theoretical consumption of Material**

**Clause 38**

- (i) After completion of the work and also at any intermediate stage in the event of Non reconciliation of materials issued theoretical quantity of materials used in the work shall be calculated on the basis and method given hereunder:-
- (a) Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity of cement & bitumen required for different items of work as shown in the Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed for which standard constants for the consumption of cement or bitumen are not available in the above mentioned schedule/statement or cannot be derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer-in-Charge.
  - (b) Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections shall be taken as the quantity required as per design or as authorized by Engineer- in-Charge, including authorized lappages, chairs etc. plus 3% wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being determined and compared with the actual, each diameter wise, section wise and category wise separately.
  - (c) Theoretical quantity of G.I. & C.I. or other pipes, conduits, wires and cables, pig lead and G.I./M.S. sheets shall be taken as quantity actually required and measured plus 5% for wastage due to cutting into pieces (except in the case of G.I./M.S. sheets it shall be 10%), such determination & comparison being made diameter wise & category wise.
  - (d) For any other material as per actual requirements.  
Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall be allowed as specified in Schedule 'F' For non scheduled items, the decision of the Superintending Engineer CE regarding theoretical quantities of materials which should have been actually used, shall be final and binding on the contractor.
- (ii) The said action under this clause is without prejudice to the right of the Government to take action against the contractor under any other conditions of contract for not doing the work according to the prescribed specifications.

**Compensation during warlike situations**

**Clause 39**

The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer-in-Charge and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities or warlike operation, the contractor shall when ordered (in writing) by the Engineer- in-Charge to remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris.

सेवा योग्य सामग्री को ढेर करना या हटाना और प्रभारी अभियंता द्वारा आदेशित सभी कार्यों के पुनर्निर्माण के लिए, ऐसे भुगतान क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से पहले मूल रूप से निष्पादित कार्य के मूल्य तक मुआवजे के अतिरिक्त हैं और इसके लिए भुगतान नहीं किया गया है।

क्षतिग्रस्त या नष्ट किए गए कार्यों के मामले में, लेकिन पहले से ही मापा और भुगतान नहीं किया गया है, मुआवजे का आकलन मंडल अधिकारी द्वारा Rs.2,00,000 / - तक और उच्च राशि के लिए संबंधित अगले उच्च अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को नुकसान / विनाश के लिए और अनुबंध के प्रावधान के अनुसार दी गई दरों के विश्लेषण के आधार पर सामग्री को बहाल करने के लिए भुगतान किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें एकत्र किया गया था, वह अंतिम और इस अनुबंध के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

बशर्ते कि शत्रुता या युद्ध जैसे कार्यों के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा (ए) जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के खिलाफ ऐसी सभी सावधानियां नहीं बरती थीं जो एआरपी द्वारा आवश्यक मानी जाती हैं (हवाई छापा सावधान) अधिकारी या इंजीनियर-प्रभारी (बी) किसी भी सामग्री आदि के लिए। कार्य स्थल पर या किसी भी उपकरण, संयंत्र, मशीनरी, मचान, अस्थायी भवन और अन्य चीजों के लिए नहीं जो काम के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। ठेकेदार को पूर्वोक्त रूप से पुनर्निर्माण करने की स्थिति में, उसे इसके पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार की अनुमति दी जाएगी जैसा कि प्रभागीय अधिकारी द्वारा उचित माना जाता है।

**प्रशिक्षु  
अधिनियम के  
प्रावधानों का  
अनुपालन  
किया जाना है**

#### **खंड 40**

ठेकेदार समय-समय पर प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके तहत जारी नियमों और आदेशों का पालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी विफलता अनुबंध का उल्लंघन होगी और अधीक्षण अभियंता, अपने विवेक से, अनुबंध को रद्द कर सकता है। ठेकेदार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी आर्थिक दायित्व के लिए भी उत्तरदायी होगा।

**श्रम निकासी के  
बाद सुरक्षा  
जमा जारी  
करना**

#### **खंड 41**

कार्य की सुरक्षा जमा राशि तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक कि ठेकेदार श्रम अधिकारी से श्रम प्रमाण पत्र के बाद निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। जैसे ही काम लगभग पूरा हो जाता है, ठेकेदार प्रभारी अभियंता को सूचना के तहत श्रम अधिकारी को निकासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। अभियंता-प्रभारी, उक्त संचार प्राप्त होने पर, श्रम अधिकारी को यह सूचित करने के लिए लिखेगा कि क्या काम के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ कोई शिकायत लंबित है। यदि कोई शिकायत लंबित नहीं है, तो कार्य पूरा होने के बाद 3 महीने के बाद तक रिकॉर्ड पर और/या श्रम अधिकारी से इस आशय का कोई संचार पूरा होने की तारीख के छह महीने बाद तक प्राप्त नहीं होता है, यह माना जाएगा कि इसे मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और यदि अन्यथा देय हो तो सुरक्षा जमा जारी की जाएगी।

Stacking or removal of serviceable material and for reconstruction of all works ordered by the Engineer-in-Charge, such payments being in addition to compensation upto the value of the work originally executed before being damaged or destroyed and not paid for.

In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, the compensation shall be assessed by the Divisional Officer upto Rs.2,00,000/- - and by the next higher officer concerned for a higher amount. The contractor shall be paid for the damages/ destruction suffered and for restoring the material at the rate based on analysis of rates tendered for in accordance with the provision of the contract. The certificate of the Engineer-in-Charge regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on all parties to this contract.

Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or warlike operations (a) unless the contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. (Air Raid Precaution) Officers or the Engineer-in-Charge (b) for any material etc. not on the site of the work or for any tools, plant, machinery, scaffolding, temporary building and other things not intended for the work. In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Divisional Officer.

**Apprentices  
Act provisions  
to be  
complied with**

**Clause 40**

The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961 and the rules and orders issued there under from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Superintending Engineer may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

**Release of  
Security  
deposit after  
labour  
clearance**

**Clause 41**

Release of Security Deposit of the work shall not be refunded till the contractor produces a clearance certificate after labour certificate from the Labour Officer. As soon as the work is virtually complete the contractor shall apply for the clearance certificate to the Labour Officer under intimation to the Engineer-in-Charge. The Engineer-in-Charge, on receipt of the said communication, shall write to the Labour Officer to intimate if any complaint is pending against the contractor in respect of the work. If no complaint is pending, on record till after 3 months after completion of the work and/or no communication is received from the Labour Officer to this effect till six months after the date of completion, it will be deemed to have received the clearance certificate and the Security Deposit will be released if otherwise due.

## **तकनीकी विनिर्देश**

### **विनिर्देश**

यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी के मानक विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों में प्रासंगिक वस्तुओं की अनुपलब्धता के मामले में कार्य प्रासंगिक आईएस विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट [https://www.cpwd.gov.in/Documents/cpwd\\_publication.aspx](https://www.cpwd.gov.in/Documents/cpwd_publication.aspx) में उपलब्ध सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों की प्रति को मुफ्त में डाउनलोड करें और निविदा से पहले विनिर्देशों से खुद को परिचित कराएं। यह विनिर्देश समझौते का हिस्सा बन जाएगा।

### **Technical Specification**

#### **SPECIFICATION**

The work shall be carried out as per standard specifications enclosed/ of CPWD. In case of non-availability of relevant item(s) in CPWD specifications the work shall be carried out as per relevant IS specifications.

Contractor are advised to refer to the copy of CPWD specifications available in website [https://www.cpwd.gov.in/Documents/cpwd\\_publication.aspx](https://www.cpwd.gov.in/Documents/cpwd_publication.aspx) to download at free of cost and acquaint themselves with the specifications before tendering. These specifications shall become part of the agreement.